BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

OA NO 703/2023

NEWS ITEM TITLED "GRAMINO NE SDM SE KAILASH NADI MEI AVAID KHANAN ROKANE KEE MAANG KEE"

INDEX

S.No	Particulars	Page no
1.	Report by respondent no 2	1-5
2.	Copy of the permits	6-39
3.	Uttarakhand Minor Mineral Concession Rule 2001	40- 110

Adv Anjali Rajput

कार्यालय जिलाधिकारी उधमसिंहनगर।

Email Id:dmusn.1995@gmail.com फोन नं0-05944-242344 / फैक्स-05944-250406

पत्र संख्या 3260 /न्याय सहा0-2(63/4)/2024, दिनांक 16 /12/2024

सेवा में,

Deputy Registrar
National Green Tribunal,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi.

विषय– माननीय एन0जी0टी0 में योजित आवेदन संख्या 703/2023 Suo Moto matter In item appearing in The Hindustan dated 31-10-2023 entitled" ग्रामीणों ने एस0डी0एम0 से कैलाश नदी से अवैध खनन रोकने की मांग की' के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 के पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माननीय एन0जी0टी0 में योजित आवेदन संख्या 703/2023 Suo Moto matter In item appearing in The Hindustan dated 31-10-2023 entitled" ग्रामीणों ने एस0डी0एम0 से कैलाश नदी से अवैध खनन रोकने की मांग की' के सम्बन्ध में INSTRUCTION उपलब्ध कराने कि निर्देश दिये गये है।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रदत्त आदेश के कम में उपनिदेशक खनन एवं क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड काशीपुर से आख्या प्राप्त की गयी। उपनिदेशक खनन द्वारा अपने पत्र सं0 1129/भू0ख0नि0व0–ऊ0सिं0न0/एन0जी0टी0/2024–25 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा संयुक्त आख्या उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया है कि:–

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 26.07.2024 के प्रस्तर 4 में तालिकाबद्ध 11 खनन संकक्रियाओं के संबंध में प्रस्तर 5 में उक्त खनन संकक्रियाओं के संबंध में वांछित राज्य बोर्ड से सहमति की स्थिति तथा Mining Methodology तथा पूर्व में Illegal Mining के Restoration का विवरण निम्नानुसार है।

S.No.	Owner Name	Address	Current Status of Consent to operate from PCB	Mining Method	Remarks
1	Uttarakhand Van Vikas Nigam	Nandhor River	Valid up to 30.09.2026	Mannual	वर्तमान में संचालन में नहीं।
2	Priya Agarwal (4.390 Hect)	Kailash River	Valid up to 11.09.2023 Applied (Under Process)	Mannual	समयावधि समाप्त
3	Priya Agarwal (3.183 Hect)	Kailash River	Valid up to 28.08.2023 Applied (Under Process)	Mannual	समयावधि समाप्त
4	Priya Agarwal (1.959 Hect)	Kailash River	Valid up to 05.08.2023 Applied (Under Process)	Mannual	वर्तमान में संचालन में नहीं।
5	Jitendersingh (6 Hect)	Kailash River	Valid up to 31.03.2023 Applied (Under Process)	Mannual	वर्तमान में संचालन में नहीं।
6	Abdul Aleem (2.969 Hect)	Kailash River	Valid up to 31.03.2025	Mannual	संचालित
7	Puneet Kumar Goyal (3.024 Hect)	Kailash River	Valid up to 31.03.2025	Mannual	असंचालित
8	Puneet Kumar Goyal (2.876 Hect)	Kailash River	Valid up to 31.03.2025	Mannual	संचालित
9	Rama Construction (4.654 Hect)	Kailash River	Valid up to 31.03.2025	Mannual	संचालित
10	Rajesh Sharma	Kailash River	Valid up to 30.09.2024 Not Applied	Mannual	असंचालित
11	Guru Nanak Enterprises	Kailash River	Valid up to 30.09.2024 Not Applied	Mannual	असंचालित

नोट:– असंचालित– पट्टाधारक द्वारा उपखनिज की वार्षिक मात्रा की पूर्ण निकासी माह जून 2024 तक कर ली गयी है/ ई–रवन्ना पोर्टल आई0डी0 विभाग द्वारा suspend की गयी है।

उक्त स्वीकृत क्षेत्रों में उपखनिजों की निकासी ओपन कास्ट माईनिंग कार्य प्रणाली के द्वारा सम्पन्न की जाती है खनन कार्य अधिकतम 03 मीटर अथवा जल स्तर जो भी न्यून हो तक किया जाता है। खनन कार्य चुगान वर्ष 01 अक्टूबर से 30 जून (खनन सत्र) तक किया जाता है। खनन कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त तक किया जाता है।

अवैध खनन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त पट्टो की सूची में क्रम सं0 04 में प्रिया अग्रवाल (1.959है0) के पक्ष में जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 18.04.2022 के द्वारा अवैध खनन किये जाने पर रू0 6,53,268/- की धनराशि आरोपित की गयी। जिसके सापेक्ष पट्टाधारक द्वारा दिनांक 20.09.2022 को विभागीय लेखाशीर्षक में जमा कर दिया गया है। अवैध खनन स्थल नदी तल में होने से प्रत्येक वर्षाकाल उपरान्त नदी द्वारा अपने साथ लाये गये अवसाद निक्षेप से रिक्त स्थल में जमा/भराव होता है, जिससे Restoration कार्य किया जाना सम्भव नही है।

अतः उपनिदेशक खनन द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या संलग्न कर सेवा में प्रेषित है।

संलग्न–यथानुसार

भवदीय,

(नितिन सिंह भदौरिया)
जिलाधिकारी
उधमसिंहनगर।

प्रतिलिपि– श्रीमती अंजली राजपुत, अधिवक्ता, उत्तराखण्ड राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
उधमसिंहनगर।

प्रेषक,

उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
उधमसिंहनगर।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

पत्र सं0 1129 /भू0खनि0वि0–उ0सिं0न0/एन0जी0टी0/2024–25, दिनांक 12 दिसम्बर, 2024.

विषयः– माननीय एन.जी.टी. में योजित आवेदन संख्या 703/2023 Titled as ग्रामीणों ने एस.डी.एम. से कैलाश नदी से अवैध खनन रोकने की मांग की" के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन के कम में महोदय के पत्र संख्या–1624/न्याय सहा0–20/2024 दिनांक 13.11.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण में संयुक्त आख्या/Instruction उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आख्या महोदय के अवलोकनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ0 अमित गौरव)
उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक।

पृ0सं0 /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चामुण्डा कॉम्पलेक्स रामनगर रोड काशीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ0 अमित गौरव)
उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक।

माननीय एन.जी.टी. में योजित आवेदन संख्या 703/2023 Titled as ग्रामीणों ने एस.डी.एम. से कैलाशनदी से अवैध खनन रोकने की मांग की" के संबंध में।

कृपया उपरोक्त माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदनके कम में जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या-1624/न्याय सहा0-2()/2024 दिनांक 13.11.2024 में प्रकरण पर संयुक्त आख्या/Instruction उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुये है। उक्त कम में आख्या निम्नवत् है।

1. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 26.07.2024 के प्रस्तर 4 में तालिकाबद्ध 11 खनन संकक्रियाओं के संबंध में प्रस्तर 5 में उक्त खनन संकक्रियाओं के संबंध में वांछित राज्य बोर्ड से सहमति की स्थिति तथा Mining Methodology तथा पूर्व में illegal Mining केRestoration का विवरण निम्नानुसार है।

S.No.	Owner Name	Address	Current Status of Consent to operate from PCB	Mining Method	Remarks
1	Uttarakhand Van Vikas Nigam	Nandhor River	Valid up to 30.09.2026	Mannual	वर्तमान में संचालन में नही।
2	Priya Agarwal (4.390 Hect)	Kailash River	Valid up to 11.09.2023 Applied (Under Process)	Mannual	समयावधि समाप्त
3	Priya Agarwal (3.183 Hect)	Kailash River	Valid up to 28.08.2023 Applied (Under Process)	Mannual	समयावधि समाप्त
4	Priya Agarwal (1.959 Hect)	Kailash River	Valid up to 05.08.2023 Applied (Under Process)	Mannual	वर्तमान में संचालन में नही।
5	Jitendersingh (6 Hect)	Kailash River	Valid up to 31.03.2023 Applied (Under Process)	Mannual	वर्तमान में संचालन में नही।
6	Abdul Aleem (2.969 Hect)	Kailash River	Valid up to 31.03.2025	Mannual	संचालित
7	Puneet Kumar Goyal (3.024 Hect)	Kailash River	Valid up to 31.03.2025	Mannual	असंचालित
8	Puneet Kumar Goyal (2.876 Hect)	Kailash River	Valid up to 31.03.2025	Mannual	संचालित
9	Rama Construction (4.654 Hect)	Kailash River	Valid up to 31.03.2025	Mannual	संचालित
10	Rajesh Sharma	Kailash River	Valid up to 30.09.2024 Not Applied	Mannual	असंचालित
11	Guru Nanak Enterprises	Kailash River	Valid up to 30.09.2024 Not Applied	Mannual	असंचालित

- **नोटः-असंचालित-पट्टाधारक द्वारा उपखनिज की वार्षिक मात्रा की पूर्ण निकासी माह जून 2024 तक कर ली गयी है/ ई-रवन्ना पोर्टल आई0डी0 विभाग द्वारा suspend की गयी है।**

2. उक्त स्वीकृत क्षेत्रों में उपखनिजों की निकासी ओपन कास्ट माईनिंग कार्य प्रणाली के द्वारा सम्पन्न की जाती है। खनन कार्य अधिकतम 03 मीटर अथवा जल स्तर जो भी न्यून हो तक किया जाता है। खनन कार्य चुगान वर्ष 01 अक्टूबर से 30 जून (खनन सत्र) तक किया जाता है। खनन कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त तक किया जाता है।

3. अवैध खनन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त पट्टो की सूची में कम सं0 04 में प्रिया अग्रवाल (1.959है0) के पक्ष में जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 18.04.2022 के द्वारा अवैध खनन किये जाने पर रू0 6,53,268/- की धनराशि आरोपित की गयी। जिसके सापेक्ष पट्टाधारक द्वारा दिनांक 20.09.2022 को विभागीय लेखाशीर्षक में जमा कर दिया गया है। अवैध खनन स्थल नदी तल में होने सेप्रत्येक वर्षाकाल उपरान्त नदी द्वारा अपने साथ लाये गये अवसाद निक्षेप से रिक्त स्थल में जमा/भराव होता है, जिससेRestoration कार्य किया जाना सम्भव नही है।

(नरेश गोस्वमी)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

उपनिदेशक/भू-वैज्ञानिक,
उधमसिंहनगर।

संख्याः 1122 /VII-A-1/2023/41-ख/2017

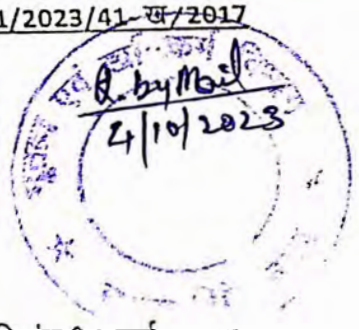

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल/उधमसिंहनगर।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 20 मार्च, 2023

विषयः– उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में जनपद नैनीताल एवं उधमसिंहनगर के वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत बहने वाली नन्धौर एवं कैलाश नदी, कुल रकवा 468 है0 वन भूमि में उपखनिज बालू, बजरी एवं बोल्डर के चुगान हेतु 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत खनन पट्टा के नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 683/VII-1/2018/41–ख/17, दिनांक 21 मार्च, 2018 द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम, अरण्य विकास भवन, 73–नेहरू रोड, देहरादून को जनपद नैनीताल एवं उधमसिंहनगर के वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत बहने वाली नन्धौर एवं कैलाश नदी, कुल रकवा 468.00 है0 वन भूमि में 05 वर्ष की अवधि हेतु उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर के चुगान हेतु खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पत्र संख्या–4835/उ0ख/व0वि0नि0/नू0खनि0ई0/2022–23, दिनांक 27 फरवरी, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अध्याय–2 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में जनपद नैनीताल एवं उधमसिंहनगर के वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत बहने वाली नन्धौर एवं कैलाश नदी, कुल रकवा 468.00 है0 वन भूमि में 05 वर्ष की अवधि के लिए उपखनिज रेता, बजरी एवं बोल्डर के चुगान हेतु शासनादेश दिनांक 21 मार्च, 2018 द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा की अवधि समाप्ति तिथि दिनांक 20 मार्च, 2023 से Forest Clearance की वैधता की अवधि तक चुगान/खनन पट्टा का नवीनीकरण निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. स्वीकृत क्षेत्र का सीमाबन्धन/पिलरबन्दी नियम–17 के अनुसार खनन विभाग के द्वारा राजस्व विभाग एवं वन विभाग के साथ सयुक्त रूप से किया जायेगा।
2. शासन के पत्र संख्या 770/VII-A-1/2021/212ख/14, दिनांक 08 जून, 2021 के अनुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 2601(अ), दिनांक 07.10.2014 के क्रम में शासनादेश संख्या 1621/VII-1/212–ख/2014, दिनांक 17.12.2014 में किये गये प्राविधान वर्तमान में भी प्रभावी होने के दृष्टिगत पट्टाधारक द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पर्यावरणीय अनुमति संख्या J-11015 /401/2015-IA.II(M), दिनांक 27.02.2018 की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
3. पट्टाधारक द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त फॉरेस्ट क्लीयरेंस संख्या 8–34/2016–एफ0सी0, दिनांक 06 सितम्बर, 2017 की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा एवं अग्रेत्तर अवधि हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से वन अनापत्ति (Forest Clearance) प्राप्त की जायेगी।
4. प्रश्नगत खनन क्षेत्र में खनन/चुगान कार्य पर्यावरणीय अनुमति संख्या J-11015/401/2015-IA.II(M), दिनांक 27.02.2018 में अनुमत अधिकतम गहराई 1.5 मी0 अथवा ग्राउन्ड वाटर लेवल जो भी कम हो तक, के अनुसार किया जायेगा।

5. पट्टाधारक द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या 334/VII-A-1/2020/5(15)/19 दिनांक 04 मार्च 2020 के क्रम में यदि चुगान/खनन कार्य 3.0 मीटर अथवा ग्राउन्ड वाटर लेवल, जो भी कम हो तक, के अनुसार किये जाने का अनुरोध किया जाता है तो उक्तानुसार पर्यावरणीय अनुमति में संशोधन कराया जाना होगा।
6. पट्टाधारक के द्वारा स्वीकृत उपखनिज क्षेत्र से उपखनिज का खनन/चुगान का कार्य निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-34 के खनन योजना अनुमोदित करायी जायेगी तथा तदनुसार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन/चुगान कार्य किया जायेगा।
7. जिलाधिकारी एवं जिला खान आधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि सीमाबन्धित खनन क्षेत्र में स्थाई स्तम्भ लगाये जाने की पुष्टि के उपरान्त ही ई-रवन्ना प्रपत्र एम0एम0-11 पट्टाधारक को निर्गत किया जाय।
8. उपखनिज चुगान नीति-2016 के बिन्दु-8(ड.) के प्रावधानानुसार निगम द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में चुगान कार्य करने से पूर्व एवं चुगान समाप्ति के समय आधुनिक उपकरण जैसे ड्रोन से लिये गये फोटोग्राफ की प्रति भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय में जमा कराया जाना आवश्यक होगा।
9. पट्टाधारक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार प्रत्येक खनन सत्र में किये गये खनन कार्य की Compliance Report निदेशालय को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जायेगी।
10. पट्टाधारक द्वारा प्रतिवर्ष चुगान कार्य आरम्भ करने से पूर्व एवं चुगान की समाप्ति के उपरान्त शासनादेश संख्या 1948/VII-A-1/2020/5(39)/20, दिनांक 08.12.2020 के द्वारा गठित समिति से प्रश्नगत क्षेत्र/उपखनिज लॉट की Replenishment Study करायी जानी आवश्यक होगी।
11. पट्टाधारक के द्वारा खनन योजना/पर्यावरणीय अनुमति में निकासी हेतु निर्धारित वार्षिक मात्रा की पूर्ण निकासी की जायेगी एवं उक्तानुसार वार्षिक रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान किया जाना होगा।
12. उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम-14 एवं उपखनिज चुगान नीति-2016 के बिन्दु-17 के प्राविधानानुसार निगम द्वारा चुगान कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निदेशक भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई से समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करते हुए निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर करने के उपरान्त ही उपखनिज का चुगान प्रारम्भ किया जायेगा।
13. पट्टाधारक नदी के प्रत्येक किनारे से 25% भाग छोडते हुये स्वीकृत क्षेत्रान्तर्गत उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर का चुगान करेगा।
14. पट्टाधारक के द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज उपखनिज परिहार नियमावली 2001 समय-समय पर यथा संशोधित के नियम-21 के अनुसूची-1 में संशोधन की दशा में संशोधनोपरान्त तत्समय निर्धारित रायल्टी दर के अनुसार रायल्टी का भुगतान किया जायेगा।
15. पट्टाधारक के द्वारा समय-समय पर मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकारण, मा0 उच्च न्यायालय तथा शासन द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
16. पट्टाधारक उपखनिज की निकासी का त्रैमासिक विवरण प्रपत्र एम0एम0-12 में जिलाधिकारी कार्यालय एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।
17. पट्टाधारक के द्वारा उत्तराखण्ड खनिज परिहार नियमावली-2001 समय-समय पर यथा संशोधित, उत्तराखण्ड खनिज नीति-2016 एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों का कडाई से अनुपालन करेगा।
18. पट्टाधारक द्वारा उपखनिज चुगान नीति-2016 के बिन्दु संख्या 22(3) के प्राविधानानुसार चुगान पट्टा क्षेत्र के प्रवेश एवं निकासी गेटों पर कम्प्यूट्राईज्ड धर्मकांटा एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित किया जायेगा तथा रिकॉर्डिंग की सी0डी0 प्रत्येक माह भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के जिला कार्यालय व जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

19. पट्टाधारक द्वारा उपखनिज चुगान नीति–2016 के बिन्दु संख्या 22(4) के प्राविधानानुसार चुगान पट्टा क्षेत्रों से खनिजों के परिवहन हेतु उपयोग में लाये जाने वाले पंजीकृत वाहन की सूचना पट्टाधारक के द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को उपलब्ध कराई जायेगी।
20. पट्टाधारक द्वारा उपखनिज चुगान नीति–2016 के बिन्दु संख्या 22(5) के प्राविधानानुसार पट्टा क्षेत्र से निकासी किये गये खनिज का मासिक विवरण निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्य कर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपद स्तरीय कार्यालयों में प्रत्येक माह प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। समयान्तर्गत मासिक विवरण प्रस्तुत न करने पर पट्टाधारक पर प्रत्येक माह रू0 2000/– का अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।
21. पट्टाधारक द्वारा उपखनिज चुगान नीति–2016 के बिन्दु संख्या 22(6) के प्राविधानानुसार पट्टाधारक को चुगान कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वाणिज्य कर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
22. पट्टाधारक स्वीकृत खनन क्षेत्र से उपखनिज की निकासी/परिवहन ई–रवन्न प्रपत्र एम0एम0–11 पर करेगा।
23. पट्टा धारक उपखनिज की निकासी इस रीति से करेगा जिससे कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पडे।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव।

संख्या ५३२ /VII-A-1/2023/41- ख/2017, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव नियंत्रण प्राधिकरण, देहरादून।
4– प्रबन्ध निदेशक, वन विकास निगम लि0, देहरादून।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हनुमान प्रसाद तिवारी)
उप सचिव।

संख्याः 1678 / VII-1 / 2019 / 50-ख / 18

प्रेषक,

डा० मेहरबान सिंह बिष्ट,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1

देहरादून, दिनांकः 09 अगस्त, 2019

विषयः जनपद उधमसिंहनगर, तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी के खसरा संख्या 55मि, 70मि, 68मि, 65मि मध्ये रकबा 4.390 है० मैदानी क्षेत्रान्तर्गत रिक्त उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) को ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से आवटन हेतु उच्चतम बोलीदाता श्रीमती प्रिया अग्रवाल पत्नी श्री अंकुर अग्रवाल, निवासी गांधीनगर वार्ड नं०–4, बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने के संदर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ अवगत कराना है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1620 / VII-1 / 2018 / 50ख / 2018, दिनांक 12 सितम्बर, 2018 द्वारा श्रीमती प्रिया अग्रवाल पत्नी श्री अंकुर अग्रवाल, निवासी मौ० वार्ड नं०–4, गांधीनगर, तहसील बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर के पक्ष में जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी के मैदानी क्षेत्रान्तर्गत कुल 4.390 है० क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज के चुगान हेतु 05 वर्ष की अवधि के लिए चुगान / खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु 06 माह की अवधि का आशय पत्र (Letter of Intent) कतिपय शर्तों की अनुपालना किये जाने के अधीन स्वीकृत किया गया।

2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–674 / ई–निवि०सहई–नीला० / भू०खनि०ई० / उ०सि०न० / 2019–20, दिनांक 28 जून, 2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रीमती प्रिया अग्रवाल पत्नी श्री अंकुर अग्रवाल, निवासी गांधीनगर वार्ड नं०–4, बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर के पक्ष में जनपद उधमसिंहनगर तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी के मैदानी क्षेत्रान्तर्गत कुल 4.390 है० में उपलब्ध उपखनिज के चुगान हेतु 05 वर्ष की अवधि हेतु चुगान / खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने के लिए 06 माह की अवधि हेतु स्वीकृत आशय पत्र दिनांक 12.09.2018 यथासंशोधित दिनांक 18.07.2019 की अनुपालना के दृष्टिगत उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के प्रावधानानुसार उक्त आशय पत्र में स्वीकृत कुल 05 वर्ष की अवधि में से अवशेष अवधि अर्थात् दिनांक 11.09.2023 तक जनपद उधमसिंहनगर, तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी के मैदानी क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 55मि, 70मि, 68मि, 65मि मध्ये रकबा 4.390 है० क्षेत्र में उपखनिज के चुगान हेतु चुगान / खनन पट्टा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. पट्टाधारक द्वारा प्रश्नगत उपखनिज क्षेत्र हेतु जारी निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों, उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय–समय पर यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29(2) के अनुसार पट्टे की अवधि की संगणना आशय पत्र निर्गत होने की तिथि से की जायेगी।
3. स्वीकृत क्षेत्रान्तर्गत उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली (संशोधित) 2017 के नियम 29(क)(1) एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण के पत्र संख्या–30–01(50) / 2018, दिनांक 07

जून, 2019 द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय अनुमति के अनुसार उपखनिज का चुगान कार्य अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई अथवा भू-जल स्तर, जो भी कम हो, तक किया जायेगा।

4. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29.क(21) के अनुसार स्वीकृत खनिज क्षेत्र से खनिज निकासी किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish एवं Consent to operate प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।

5. पट्टाधारक द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण के पत्र संख्या-30-01(50)/2018, दिनांक 07 जून, 2019 के द्वारा निर्गत पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा तथा पर्यावरणीय अनुमति की छमाही अनुपालना आख्या (Compliance Report) की प्रति राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, देहरादून को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. पट्टाधारक द्वारा अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पत्र संख्या- 2486/ उ0ख0/भा0ख0/उ0सि0ख0/2018-19, दिनांक 08 फरवरी, 2019 के द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन कार्य किया जायेगा।

7. राष्ट्रीय पार्क के सम्बन्ध में तत्समय प्रचलित प्रावधानों के अनुसार प्रश्नगत खनन क्षेत्र के दूरी के निर्धारित मानकों के अन्तर्गत पड़ने की दशा में खनन पट्टा क्षेत्र हेतु एन0बी0डब्ल्यू0एल0 की अनुमति पट्टाधारक द्वारा प्राप्त की जानी होगी।

8. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत निजी नाप भूमि पड़ने की दशा में निजी भूमि के भूस्वामी को उसकी भूमि के क्षेत्रफल पर अनुमत गहराई के सापेक्ष आगणित मात्रा पर प्रतिटन निर्धारित नीलामी धनराशि से गुणाकर प्राप्त धनराशि का 10 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के रूप में पट्टाधारक द्वारा देय होगा। किसी भी वाद की स्थिति में पट्टाधारक द्वारा प्रतिपूर्ति धनराशि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका वितरण राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित किये जाने उपरान्त राजस्व विभाग के माध्यम से किया जायेगा व निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को सूचित किया जायेगा।

9. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29.(1) के अनुसार खनन पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी आदेश जारी होने के उपरान्त Performance guarantee अर्थात् स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु अधिकतम वार्षिक ई-नीलामी बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत, निर्धारित विभागीय पेमेन्ट गेटवे के द्वारा सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत जमा किया जायेगा। वार्षिक नीलामी धनराशि का पच्चीस प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप में जमा की जायेगी, जिसका समायोजन पट्टे के अन्तिम वर्ष में उपखनिज निकासी मात्रा के सापेक्ष किया जायेगा। Performance guarantee जमा किये जाने के बाद आशय पत्र निर्गत किये जाने के समय जमा कराई गई धरोहर राशि (बैंक गारन्टी) अवमुक्त कर दी जायेगी।

10. स्वीकृत खनन क्षेत्र का पट्टा विलेख उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29.(1) के अनुसार निष्पादित किया जायेगा।

11. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29.क.(4) के अनुसार प्रथम वर्ष हेतु पट्टा धनराशि एवं नियम 29.क(6) के अनुसार खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में पिछले वर्ष की पट्टा धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि कर उस वर्ष हेतु पट्टा धनराशि आगणित की जायेगी।

12. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29.क (12),(13) एवं निविदा की शर्त संख्या-13(1),(2) में रायल्टी के अतिरिक्त निर्धारित शुल्क के स्थान पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1998/VII-I/2018/80ख/16, दिनांक 14 फरवरी, 2018 के अनुसार खनिज निकासी हेतु रायल्टी के अतिरिक्त निर्धारित शुल्क (क) स्टाम्प शुल्क- रायल्टी का 2 प्रतिशत (ख) जिला खनिज फाउण्डेशन में अंशदान-रायल्टी का 25 प्रतिशत (ग) क्षतिपूर्ति-रायल्टी का 15 प्रतिशत पट्टाधारक द्वारा जमा किया जायेगा।

...खण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29.क(13) के अनुसार पट्टाधा... द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0 आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

14. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29.क(14) के अनुसार खनिजों की निकासी निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा निर्धारित वार्षिक मात्रा के अनुसार अग्रिम मूल्य जमा कर ई-रवन्ना के माध्यम से की जायेगी।

15. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29.क(15) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा 01 वर्ष की निर्धारित मात्रा समय से पूर्व ही निकासी किये जाने की दशा में उक्त वर्ष में अग्रेत्तर निकासी स्थगित रहेगी।

16. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29.क(16) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत चुगान/खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत समस्त वांछित उपकरण आदि स्थापित किये जाने होंगे। साथ ही नियम 29.क(17) व नियम 29.क(19) में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29.क(18) के अनुसार नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की मशीनें यथा जे0सी0बी0 पोकलैण्ड सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन/चुगान कार्य नहीं किया जायेगा।

18. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29.क(23) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा खनन एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 (समय-समय पर यथासंशोधित), उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित), मा0 न्यायालयों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों/दिशा निर्देशों तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव

संख्या: [illegible] (1)/VII-1/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरांकित पत्र दिनांक 28 जून, 2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. श्रीमती प्रिया अग्रवाल पत्नी श्री अंकुर अग्रवाल, निवासी गांधीनगर वार्ड नं0-4, बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एस0 डुंगरियाल)
संयुक्त सचिव

प्रेषक,

एन०एस० डुंगरियाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

संख्या: 2385/VII-1/2019/55ख/18

देहरादून, दिनांक: 29 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2019

विषय: जनपद उधमसिंहनगर, तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 3.183 है० मैदानी क्षेत्रान्तर्गत रिक्त उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु उच्चतम बोलीदाता श्रीमती प्रिया अग्रवाल पत्नी श्री अंकुर अग्रवाल, निवासी गांधीनगर वार्ड नं०-4, बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध अवगत कराना है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1649/VII-1/2018/55ख/18, दिनांक 29 अगस्त, 2018 द्वारा श्रीमती प्रिया अग्रवाल पत्नी श्री अंकुर अग्रवाल, निवासी गांधीनगर वार्ड नं० 4, बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर के पक्ष में जनपद उधमसिंहनगर, तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकवा 3.183 है० में उपखनिज के चुगान हेतु 05 वर्ष की अवधि हेतु चुगान/खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु 06 माह की अवधि हेतु कतिपय शर्तों की अनुपालना किये जाने हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) स्वीकृत किया गया तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-1403/VII-1/19/55ख/18, दिनांक 07 जून, 2019 द्वारा श्रीमती प्रिया अग्रवाल के पक्ष में उक्त स्वीकृत आशय पत्र दिनांक 29.8.2018 में वर्णित "जनपद उधमसिंह नगर की तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, क्षेत्रफल 3.183 है०" के स्थान पर "जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी के खसरा संख्या 67मि मध्ये रकवा 3.183 है०" का संशोधन किया गया।

2. अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-673/ई-निवि०सहई- नीला०/भू०खनि०ई०/उ०सिं०न०/2019-20, दिनांक 28 जून, 2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रीमती प्रिया अग्रवाल पत्नी श्री अंकुर अग्रवाल, निवासी गांधीनगर वार्ड नं० 4, बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर के पक्ष में जनपद उधमसिंहनगर, तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी के क्षेत्रान्तर्गत कुल 3.183 है० भूमि में उपखनिज के चुगान हेतु 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत आशय पत्र दिनांक 29.8.2018 यथासंशोधित दिनांक 7.6.2019 की अनुपालना में हुए विलम्ब का मर्षण करते हुए उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के प्रावधानानुसार उक्त आशय पत्र में स्वीकृत कुल 05 वर्ष की अवधि में से अवशेष अवधि अर्थात् दिनांक 28.8.2023 तक जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी के खसरा संख्या 67मि मध्ये रकवा 3.183 है० भूमि में उपखनिज के चुगान हेतु चुगान/खनन पट्टा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. पट्टाधारक द्वारा प्रश्नगत उपखनिज क्षेत्र हेतु जारी निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों, उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29(2) के अनुसार पट्टे की अवधि की संगणना आशय पत्र निर्गत होने की तिथि से की जायेगी।
3. स्वीकृत क्षेत्रान्तर्गत उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली (संशोधित), 2017 के नियम 29.(क)1. एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण के पत्र संख्या-32-01(49)/2018, दिनांक 07 जून, 2019 द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय अनुमति के अनुसार उपखनिज का चुगान कार्य अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई अथवा भू-जल स्तर, जो भी कम हो, तक किया जायेगा।

4. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29.क 21. के अनुसार स्वीकृत खनिज क्षेत्र से खनिज निकासी किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish एवं Consent to operate प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।
5. पट्टाधारक द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण के पत्र संख्या–32–01(49)/2018, दिनांक 07 जून, 2019 के द्वारा निर्गत पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा तथा पर्यावरणीय अनुमति की शर्त सं० 15 के क्रम में पर्यावरणीय अनुमति की छमाही अनुपालना आख्या (Compliance Report) की प्रति राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, उत्तराखण्ड देहरादून एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, देहरादून को उपलब्ध कराई जायेगी।
6. पट्टाधारक द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पत्र संख्या–2487/उ0ख0/मा0प्ला0/उ0सिं0न0/2018–19, दिनांक 08 फरवरी, 2019 के द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन कार्य किया जायेगा।
7. राष्ट्रीय पार्क के सम्बन्ध में तत्समय प्रचलित प्रावधानों के अनुसार प्रश्नगत खनन क्षेत्र के दूरी में निर्धारित मानकों के अन्तर्गत पड़ने की दशा में खनन पट्टा क्षेत्र हेतु एन0बी0डब्ल्यू0एल0 की अनुमति पट्टाधारक द्वारा प्राप्त की जानी होगी।
8. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत निजी नाप भूमि पड़ने की दशा में निजी भूमि के भूस्वामी को उसकी भूमि के क्षेत्रफल पर अनुमत गहराई के सापेक्ष आगणित मात्रा पर प्रतिटन निर्धारित नीलामी धनराशि से गुणाकर प्राप्त धनराशि का 10 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के रूप में पट्टाधारक द्वारा देय होगा। किसी भी वाद की स्थिति में पट्टाधारक द्वारा प्रतिपूर्ति धनराशि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका वितरण राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित किये जाने उपरान्त राजस्व विभाग के माध्यम से किया जायेगा व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को सूचित किया जायेगा।
9. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29.(1) के अनुसार खनन पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी आदेश जारी होने के उपरान्त Performance guarantee अर्थात् स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु अधिकतम वार्षिक ई–नीलामी बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत, निर्धारित विभागीय पेमेन्ट गेटवे के द्वारा सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत जमा किया जायेगा। वार्षिक नीलामी धनराशि का पच्चीस प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप में जमा की जायेगी, जिसका समायोजन पट्टे के अन्तिम वर्ष में उपखनिज निकासी मात्रा के सापेक्ष किया जायेगा। Performance guarantee जमा किये जाने के बाद आशय पत्र निर्गत किये जाने के समय जमा कराई गई धरोहर राशि (बैंक गारन्टी) अवमुक्त कर दी जायेगी।
10. स्वीकृत खनन क्षेत्र का पट्टा विलेख उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29.(1) के अनुसार निष्पादित किया जायेगा।
11. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29.क 4. के अनुसार प्रथम वर्ष हेतु पट्टा धनराशि एवं नियम 29.क 6 के अनुसार खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में पिछले वर्ष की पट्टा धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि कर उस वर्ष हेतु पट्टा धनराशि आगणित की जायेगी।
12. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29.क 12,13 एवं निविदा की शर्त संख्या–13(1),(2) में रायल्टी के अतिरिक्त निर्धारित शुल्क के स्थान पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1998/VII-1/2018/80ख/16, दिनांक 14 फरवरी, 2018 के अनुसार खनिज निकासी हेतु रायल्टी के अतिरिक्त निर्धारित शुल्क (क) स्टाम्प शुल्क– रायल्टी का 2 प्रतिशत (ख) जिला खनिज फाउन्डेशन में अंशदान–रायल्टी का 25 प्रतिशत (ग) क्षतिपूर्ति–रायल्टी का 15 प्रतिशत पट्टाधारक द्वारा जमा किया जायेगा।

13. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29.क 13 के अनुस पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0 आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।
14. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29.क 14 के अनुसा खनिजों की निकासी निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा निर्धारित वार्षिक मात्रा के अनुसा अग्रिम मूल्य जमा कर ई–रवन्ना के माध्यम से की जायेगी।
15. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29.क 15 के अनुसा पट्टाधारक द्वारा 01 वर्ष की निर्धारित मात्रा समय से पूर्व ही निकासी किये जाने की दशा में उक्त वर्ष में अग्रेत्तर निकासी स्थगित रहेगी।
16. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29.क 16 के अनुसार पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत चुगान/खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत समस्त वांछित उपकरण आदि स्थापित किये जाने होंगे। साथ ही नियम 29.क 17 व नियम 29.क 19 में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
17. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29.क 18 के अनुसार नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की मशीनें यथा जे0सी0बी0 पोकलैण्ड सक्शन मशीन, लिफटर आदि मशीनों द्वारा खनन/चुगान कार्य नहीं किया जायेगा।
18. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29.क 23 के अनुसार पट्टाधारक द्वारा खनन एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 (समय–समय पर यथासंशोधित), उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय–समय पर यथासंशोधित), मा0 न्यायालयों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों/दिशा निर्देशों तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कसने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0 डुमरियाल)
संयुक्त सचिव

संख्याः 232 02 (1)/VII-1/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून के उक्तांकित पत्र दिनांक 28 जून, 2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. श्रीमती प्रिया अग्रवाल पत्नी श्री अंकुर अग्रवाल, निवासी गांधीनगर वार्ड नं0 4, बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव

एन०एस० डुंगरियाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

30

संख्या: 2415 /VII-I/2019/47ख/2018

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

औद्योगिक विकास अनुभाग—1 देहरादून, दिनांक: 30 दिसम्बर, 2019

विषय: जनपद ऊधमसिंहनगर तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी के खसरा सं0 67 मि मध्ये रकवा 1.959 है0 मैदानी क्षेत्रान्तर्गत रिक्त उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) को ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु उच्चतम बोलीदाता श्रीमती प्रिया अग्रवाल पत्नी श्री अंकुर अग्रवाल, निवासी–गांधीनगर वार्ड–4, बाजपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर के पक्ष में पर्यावरणीय अनुमति (Environment Clearance) प्राप्ति के उपरान्त खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासन के आशय पत्र संख्या–1616/VII-I/2018/47ख/2018, दिनांक 06 अगस्त, 2018 द्वारा श्रीमती प्रिया अग्रवाल पत्नी श्री अंकुर अग्रवाल, निवासी–गांधीनगर वार्ड–4, बाजपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर के पक्ष में जनपद ऊधमसिंहनगर तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी के खसरा सं0 67 मि मध्ये रकवा 1.959 है0 में उपखनिज के चुगान हेतु 05 वर्ष की अवधि हेतु चुगान/खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु 06 माह की अवधि हेतु कतिपय शर्तों की अनुपालना किये जाने हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) स्वीकृत किया गया।

2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–992/ई–निवि०सहई–नीला०/भू०खनि०ई०/उ०सि०न०/2019–20, दिनांक 15 नवम्बर, 2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रीमती प्रिया अग्रवाल पत्नी श्री अंकुर अग्रवाल, निवासी–गांधीनगर वार्ड–4, बाजपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर के पक्ष में जनपद ऊधमसिंहनगर तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी के खसरा सं0 67 मि मध्ये रकवा 1.959 है0 भूमि में उपखनिज के चुगान हेतु 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत आशय पत्र दिनांक 06 अगस्त, 2018 यथासंशोधित दिनांक 18 जुलाई, 2019 की अनुपालना में हुए विलम्ब का मर्षण करते हुए उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के प्रावधानानुसार उक्त आशय पत्र में स्वीकृत कुल 05 वर्ष की अवधि में से अवशेष अवधि अर्थात् दिनांक 05.08.2023 तक जनपद ऊधमसिंहनगर तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी के खसरा सं0 67 मि मध्ये रकवा 1.959 है0 भूमि में उपखनिज के चुगान हेतु चुगान/खनन पट्टा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. पट्टाधारक द्वारा प्रस्नगत उपखनिज क्षेत्र हेतु जारी निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तो, उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

CamScanner

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29(2) के अनुसार पट्टे की अवधि की संगणना आशय पत्र निर्गत होने की तिथि से की जायेगी।

3. स्वीकृत क्षेत्रान्तर्गत उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली (संशोधित), 2017 के नियम 29(क)(1) एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण के पत्र सं0 31-01(18)/2018, दिनांक 07.06.2019 एवं संशोधित पर्यावरणीय अनुमति संख्या 190/SEIAA दिनांक 17.10.2019 के द्वारा निर्गत पर्यावरणीय अनुमति के अनुसार उपखनिज का चुगान कार्य अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई अथवा भू-जल स्तर, जो भी कम हो, तक किया जायेगा।

4. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(21) के अनुसार स्वीकृत खनिज क्षेत्र से खनिज निकासी किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to estsblish एवं Consent to operate प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।

5. पट्टाधारक द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण के पत्र संख्या 31-01(43)/2018, दिनांक 07.06.2019 एवं संशोधित पर्यावरणीय अनुमति संख्या 190/SEIAA दिनांक 17.10.2019 के द्वारा निर्गत पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा तथा पर्यावरणीय अनुमति की शर्त सं0-15 के क्रम में पर्यावरणीय अनुमति की छमाही अनुपलना आख्या (Compliance Report) की प्रति राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण उत्तराखण्ड देहरादून एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार देहरादून को उपलब्ध कराई जायेगी।

6. पट्टाधारक द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पत्र संख्या 2489/उ0ख0/मा0प्ला0/उ0सिं0न0/2018-19, दिनांक 08 फरवरी, 2019 के द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन कार्य किया जायेगा।

7. राष्ट्रीय पार्क के सम्बन्ध में तत्समय प्रचलित प्राविधानों के अनुसार प्रश्नगत खनन क्षेत्र के दूरी में निर्धारित मानकों के अन्तर्गत पड़ने की दशा में खनन पट्टा क्षेत्र हेतु एन0बी0डब्ल्यू0एल0 की अनुमति पट्टाधारक द्वारा प्राप्त की जानी होगी।

8. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत निजी नाप भूमि पड़ने की दशा में निजी भूमि के भूस्वामी को उसकी भूमि के क्षेत्रफल पर अनुमत गहराई के सापेक्ष आगणित मात्रा पर प्रतिटन निर्धारित नीलामी धनराशि से गुणाकर प्राप्त धनराशि का 10 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के रूप में पट्टाधारक द्वारा देय होगा। किसी भी वाद की स्थिति में पट्टाधारक द्वारा प्रतिपूर्ति धनराशि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी जिसका वितरण राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित किये जाने उपरान्त राजस्व विभाग के माध्यम से किया जायेगा व निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को सूचित किया जायेगा।

9. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29(1) के अनुसार खनन पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी आदेश जारी होने के उपरान्त Performance guarantee अर्थात् स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु अधिकतम वार्षिक ई-नीलामी बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत, निर्धारित विभागीय पेमेन्ट गेटवे के द्वारा सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत जमा किया जायेगा। वार्षिक नीलामी धनराशि का पच्चीस प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप में जमा की जायेगी, जिसका समायोजन पट्टे के अन्तिम वर्ष में उपखनिज निकासी मात्रा के सापेक्ष किया जायेगा। Performance guarantee जमा किये जाने के बाद आशय पत्र निर्गत किये जाने के समय जमा कराई गई धरोहर राशि (बैंक गारन्टी) अवमुक्त कर दी जायेगी।

10. स्वीकृत खनन क्षेत्र का पट्टा विलेख उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29(1) के अनुसार निष्पादित किया जायेगा।

11. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(4) के अनुसार प्रथम वर्ष हेतु पट्टा धनराशि एवं 29क(6) के अनुसार खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में पिछले वर्ष की पट्टा धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि कर उस वर्ष हेतु पट्टा धनराशि आगणित की जायेगी।

12. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(12),(13) एवं निविदा की शर्त संख्या-13 (1),(2) में रायल्टी के अतिरिक्त निर्धारित शुल्क के स्थान पर उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1998/2018/00स/16, दिनांक 14 फरवरी, 2018 के अनुसार खनिज निकासी हेतु रायल्टी के अतिरिक्त निर्धारित शुल्क (क) स्टाम्प शुल्क- रायल्टी का 2 प्रतिशत (ख) जिला खनिज फाउन्डेशन में अंशदान-रायल्टी का 25 प्रतिशत (ग) क्षतिपूर्ति-रायल्टी का 15 प्रतिशत पट्टाधारक द्वारा जमा किया जायेगा।

13. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(13) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एंव शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0 आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।
14. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(14) के अनुसार खनिजों की निकासी निदेशक द्वारा निर्धारित वार्षिक मात्रा के अनुसार अग्रिम मूल्य जमा कर ई-रवन्ना के माध्यम से की जायेगी।
15. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(15) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा 01 वर्ष की निर्धारित मात्रा समय से पूर्व ही निकासी किये जाने की दशा में उक्त वर्ष में अग्रेत्तर निकासी स्थगित रहेगी।
16. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(16) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत चुगान/खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत समस्त वांछित उपकरण आदि स्थापित किये जाने होंगें साथ ही नियम 29क(17) व नियम 29क(19) में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
17. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(18) के अनुसार नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की मशीनें यथा जे0सी0बी0 पोकलैण्ड सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन/चुगान कार्य नहीं किया जायेगा।
18. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(23) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा खनन एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 (समय-समय पर यथासंशोधित), उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित), मा0 न्यायालयों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों/दिशा निर्देशों तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0 डुंगरियाल)
संयुक्त सचिव

संख्याः 2545 (1)/ VII-1/2019/47ख/2018तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून के उक्तांकित पत्र दिनांक 15 नवम्बर, 2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. श्रीमती प्रिया अग्रवाल पत्नी श्री अंकुर अग्रवाल, निवासी--गाँधीनगर वार्ड-4, बाजपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव

डॉ० मेहरबान सिंह बिष्ट,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

दिनांक/वर्ष 15/2/2020
अनुभाग( )/विभाग ...
पत्रावली संख्या...
पत्रांक संख्या ... A
क्रम संख्या ... 19/2

DM/AC/ORB/ ... /DA

सेवा में

जिलाधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक: 29 जनवरी, 2020

विषय: जनपद ऊधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी के खसरा संख्या 55मि, 70मि, 69मि, 65मि मध्ये क्षेत्रफल 6.00 है0 की नदी तल क्षेत्रान्तर्गत उपलब्ध उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) को ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु उच्चतम बोलीदाता श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री आन सिंह, निवासी– ग्राम सुपीताल, सुरपंखा, जनपद नैनीताल के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध अवगत कराना है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1926/VII-1/ ... /2018 दिनांक 12 सितम्बर, 2018 द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री आन सिंह, निवासी– ग्राम सुपीताल सुरपंखा, जनपद नैनीताल के पक्ष मे जनपद ऊधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी क्षेत्रफल 6.00 है0 क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज के चुगान हेतु 05 वर्ष की अवधि के लिए चुगान/खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु 06 माह की अवधि का आशय पत्र (Letter of Intent) कतिपय शर्तों की अनुपालना किये जाने के अधीन स्वीकृत किया गया।

2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–1259/ई–निवि०सह ई–नीला० भू०खनि०ई० /उ०सि०न०/2019–20, दिनांक 10 जनवरी, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री आन सिंह, निवासी– ग्राम सुपीताल, सुरपंखा, जनपद नैनीताल के पक्ष मे जनपद ऊधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी के खसरा संख्या 55मि, 70मि, 69मि, 65मि मध्ये क्षेत्रफल 6.00 है0 क्षेत्र मे उपलब्ध उपखनिज के चुगान हेतु 05 वर्ष की अवधि हेतु चुगान/खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने के लिए 06 माह की अवधि हेतु स्वीकृत आशय पत्र दिनांक 12.09.2018 यथासंशोधित दिनांक 04.11.2019 की अनुपालना के दृष्टिगत उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के प्राविधानानुसार उक्त आशय पत्र में स्वीकृत कुल 05 वर्ष की अवधि में से अवशेष अवधि अर्थात् दिनांक 11.09.2023 तक जनपद ऊधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी के खसरा संख्या 55मि, 70मि, 69मि, 65मि मध्ये क्षेत्रफल 6.00 है0 क्षेत्र में उपखनिज के चुगान हेतु चुगान/खनन पट्टा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है –

1. पट्टाधारक द्वारा प्रश्नगत उपखनिज क्षेत्र हेतु जारी निविदा प्रपत्र मे वर्णित सभी शर्तो, उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय–समय पर यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29(2) के अनुसार पट्टे की अवधि की संगणना आशय पत्र निर्गत होने की तिथि से की जायेगी।
3. स्वीकृत क्षेत्रान्तर्गत उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली (संशोधित), 2017 के नियम 29.(क)(1) एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण के पत्र संख्या–107–... (47)/2018, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय अनुमति के अनुसार उपखनिज का चुगान कार्य अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई अथवा भू–जल स्तर, जो भी कम हो, तक किया जायेगा।

4. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29.क(21) के अनुसार स्वीकृत खनिज क्षेत्र से खनिज निकासी किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish एवं Consent to operate प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

5. पट्टाधारक द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण के पत्र संख्या 107-01(47)/2018, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा निर्गत पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा तथा पर्यावरणीय अनुमति की शर्त संख्या-16 के क्रम में पर्यावरणीय अनुमति की छमाही अनुपालन आख्या (Compliance Report) की प्रति राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, उत्तराखण्ड देहरादून एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, देहरादून को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. पट्टाधारक द्वारा अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पत्र संख्या- 2488/उ0ख0/मा0प्ला0/उ0सि0न0/2018-19, दिनांक 08 फरवरी, 2019 के द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन कार्य किया जायेगा तथा उपखनिज की निकासी ई-निविदा सह ई-नीलामी में प्राप्त उच्चतम मात्रा 90,000.00 टन प्रतिवर्ष की जायेगी।

7. राष्ट्रीय पार्क के सम्बन्ध में तत्समय प्रचलित प्रावधानों के अनुसार प्रश्नगत खनन क्षेत्र के दूरी में निर्धारित मानको के अन्तर्गत पड़ने की दशा में खनन पट्टा क्षेत्र हेतु एन0बी0डब्ल्यू0एल0 की अनुमति पट्टाधारक द्वारा प्राप्त की जानी होगी।

8. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत निजी नाप भूमि पड़ने की दशा में निजी भूमि के भूस्वामी को उसकी भूमि के क्षेत्रफल पर अनुमत गहराई के सापेक्ष आगणित मात्रा पर प्रतिटन निर्धारित नीलामी धनराशि से गुणाकर प्राप्त धनराशि का 10 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के रूप में पट्टाधारक द्वारा देय होगा। किसी भी वाद की स्थिति में पट्टाधारक द्वारा प्रतिपूर्ति धनराशि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका वितरण राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित किये जाने उपरान्त राजस्व विभाग के माध्यम से किया जायेगा व निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को सूचित किया जायेगा।

9. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29.(1) के अनुसार खनन पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी आदेश जारी होने के उपरान्त Performance guarantee अर्थात् स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु अधिकतम वार्षिक ई-नीलामी बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत, निर्धारित विभागीय पेमेन्ट गेटवे के द्वारा सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत जमा किया जायेगा। वार्षिक नीलामी धनराशि का पच्चीस प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप में जमा की जायेगी, जिसका समायोजन पट्टे के अन्तिम वर्ष में उपखनिज निकासी मात्रा के सापेक्ष किया जायेगा। Performance guarantee जमा किये जाने के बाद आशय पत्र निर्गत किये जाने के समय जमा कराई गई धरोहर राशि (बैंक गारन्टी) अवमुक्त कर दी जायेगी।

10. स्वीकृत खनन क्षेत्र का पट्टा विलेख उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29.(1) के अनुसार निष्पादित किया जायेगा।

11. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29.क.(4) के अनुसार प्रथम वर्ष हेतु पट्टा धनराशि एवं नियम 29.क(6) के अनुसार खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में पिछले वर्ष की पट्टा धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि कर उस वर्ष हेतु पट्टा धनराशि आगणित की जायेगी।

12. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29.क (12),(13) एवं निविदा की शर्त संख्या-13(1),(2) में रायल्टी के अतिरिक्त निर्धारित शुल्क के स्थान पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1998/VII-1/2018/80ख/16, दिनांक 14 फरवरी, 2018 के अनुसार खनिज निकासी हेतु रायल्टी के अतिरिक्त निर्धारित शुल्क (क) स्टाम्प शुल्क- रायल्टी का 2 प्रतिशत (ख) जिला खनिज फाउन्डेशन में अंशदान-रायल्टी का 25 प्रतिशत (ग) क्षतिपूर्ति-रायल्टी का 15 प्रतिशत पट्टाधारक द्वारा जमा किया जायेगा।

13. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29.क(13) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0 आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

-3-

14. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29.क(14) के अनुसार खनिजों की निकासी निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा निर्धारित वार्षिक मात्रा के अनुसार अग्रिम मूल्य जमा कर ई–रवन्ना के माध्यम से की जायेगी।

15. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29.क(15) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा 01 वर्ष की निर्धारित मात्रा समय से पूर्व ही निकासी किये जाने की दशा में उक्त वर्ष में अवशेष निकासी स्थगित रहेगी।

16. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29.क(16) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत चुगान/खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत समस्त वांछित उपकरण आदि स्थापित किये जाने होंगे। साथ ही नियम 29.क(17) व नियम 29.क(19) में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29.क(18) के अनुसार नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की मशीनें यथा जे0सी0बी0 पोकलैण्ड सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन/चुगान कार्य नहीं किया जायेगा।

18. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29.क(23) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा खनन एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 (समय–समय पर यथासंशोधित), उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय–समय पर यथासंशोधित), मा0 न्यायालयों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों/दिशा निर्देशों तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा० मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव

संख्या: 29 (1)/VII-1/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्तांकित पत्र दिनांक 10 जनवरी, 2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री आन सिंह, निवासी– ग्राम खुर्पीताल, खुरपंखा, जनपद नैनीताल।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0 एस0 डुमोरिया)
संयुक्त सचिव

C

प्रेषक,

दिनेश यादव,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या-2189 /VII-A-1/2021-02 (90)/2018

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 देहरादून दिनांक: 06 जनवरी, 2022

विषय: ई-निविदा सह ई-नीलामी के अन्तर्गत उच्चतम बोलीदाता श्री अब्दुल अलीम पुत्र श्री अब्दुल खालिक, निवासी-अब्दुल्ला बिल्डिंग, बरेली रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल के पक्ष में जनपद ऊधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम मेरावराना के क्षेत्रान्तर्गत 2.969 है0 (राजस्व अभिलेखानुसार खाता खतौनी संख्या 1 के खसरा संख्या 38, कुल रकबा 84.406 है0 भूमि रा0औ0वि0नि0 लि0, उत्तराखण्ड (सिडकुल) के नाम दर्ज है का भाग है) उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज (बालू बजरी, बोल्डर) का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 2458/VII-1/18/02(90)/2018, दिनांक 07.12.2018 द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली 2017 के प्रावधानानुसार श्री अब्दुल अलीम पुत्र श्री अब्दुल खालिक, निवासी-अब्दुल्ला बिल्डिंग, बरेली रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल के पक्ष में जनपद ऊधमसिंहनगर तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी के क्षेत्रान्तर्गत 12.894 है0 मैदानी क्षेत्रान्तर्गत रिक्त वर्ग 6(1) उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज के चुगान/खनन हेतु 05 वर्ष की अवधि हेतु चुगान/खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु 06 माह की अवधि हेतु कतिपय शर्तों के अधीन आशय पत्र (Letter of Intent) स्वीकृत किया गया।

2- उक्त के अतिरिक्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1167/VII-A-1/2021/2(90)/18, दिनांक 25 अगस्त, 2021 द्वारा आशय पत्र दिनांक 07.12.2018 में वर्णित "जनपद ऊधमसिंहनगर तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी के क्षेत्रान्तर्गत 12.894 है0" के स्थान पर "जनपद ऊधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम मेरावराना के क्षेत्रान्तर्गत 2.969 है0 भूमि, जोकि राजस्व अभिलेखानुसार खाता खतौनी संख्या 1 के खसरा संख्या 38, कुल रकबा 84.406 है0 भूमि रा0औ0वि0नि0 लि0, उत्तराखण्ड (सिडकुल) के नाम दर्ज है" संशोधन किया गया है।

3- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-3588/खनन/भू0खनि0ई0/ई-निविदा-उ0सि0न0/2021-22, दिनांक 10.12.2021 द्वारा संस्तुति सहित उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ई-निविदा सह ई-नीलामी के अन्तर्गत श्री अब्दुल अलीम पुत्र श्री अब्दुल खालिक, निवासी-अब्दुल्ला बिल्डिंग, बरेली रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल के पक्ष में जनपद ऊधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम मेरावराना के क्षेत्रान्तर्गत 2.969 है0 भूमि में आशय पत्र दिनांक 07.12.2018 की अनुपालना में अद्यतन हुए विलम्ब का मर्षण करते हुए 05 वर्ष की अवधि अर्थात 06.12.2023 तक उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम-28क(18) के प्रावधानानुसार खनन पट्टा निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. पट्टाधारक द्वारा प्रश्नगत उपखनिज क्षेत्र हेतु जारी निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों, उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29(02) के अनुसार पट्टे की अवधि की गणना आशय पत्र निर्गत होने की तिथि से की जायेगी।
3. स्वीकृत क्षेत्रान्तर्गत उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली (संशोधित) 2017 के नियम 29 (क) (1) एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण के पत्र संख्या 294-01(201)/ 2021, दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 के द्वारा निर्गत पर्यावरणीय अनुमति के अनुसार उपखनिज का चुगान कार्य अधिकतम 3.0 मीटर की गहराई अथवा भू-जल स्तर, जो भी कम हो, तक किया जायेगा।

4. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(21) के अनुसार स्वीकृत खनिज क्षेत्र से खनिज निकासी किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish एवं Consent to operate प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।
5. पट्टाधारक द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण के पत्र संख्या 294-01(201)/2021, दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 के द्वारा निर्गत पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा तथा पर्यावरणीय अनुमति की शर्त सं0-12 के क्रम में पर्यावरणीय अनुमति की छ माह की अनुपालना आख्या (Compliance Report) की प्रति राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण उत्तराखण्ड देहरादून एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार देहरादून को उपलब्ध कराई जायेगी।
6. पट्टाधारक द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2534/खनन/भू0खनि0ई0/ई-निविदा/मा0प्लान/2021-22, दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन कार्य किया जायेगा तथा उपखनिज की निकासी ई-निविदा सह ई-नीलामी से प्राप्त उच्चतम मात्रा 79,200 टन प्रतिवर्ष की जायेगी।
7. राष्ट्रीय पार्क के सम्बन्ध में तत्समय प्रचलित प्राविधानों के अनुसार प्रश्नगत खनन क्षेत्र के दूरी में निर्धारित मानकों के अन्तर्गत पड़ने की दशा में खनन पट्टा क्षेत्र हेतु एन0बी0डब्ल्यू0एल0 की अनुमति पट्टाधारक द्वारा प्राप्त की जानी होगी।
8. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत निजी नाप भूमि पड़ने की दशा में निजी भूमि के भूस्वामी को उसकी भूमि के क्षेत्रफल पर अनुमत गहराई के सापेक्ष आगणित मात्रा पर प्रतिटन निर्धारित नीलामी धनराशि से गुणाकर प्राप्त धनराशि का 10 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के रूप में पट्टाधारक द्वारा देय होगा। किसी भी वाद की स्थिति में पट्टाधारक द्वारा प्रतिपूर्ति धनराशि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी जिसका वितरण राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित किये जाने उपरान्त राजस्व विभाग के माध्यम से किया जायेगा व निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को सूचित किया जायेगा।
9. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29(1) के अनुसार खनन पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी आदेश जारी होने के उपरान्त Performance guarantee अर्थात् स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु अधिकतम वार्षिक ई-नीलामी बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत, निर्धारित विभागीय पेमेन्ट गेटवे के द्वारा सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत जमा किया जायेगा। वार्षिक नीलामी धनराशि का पच्चीस प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप में जमा की जायेगी, जिसका समायोजन पट्टे के अन्तिम वर्ष में उपखनिज निकासी मात्रा के सापेक्ष किया जायेगा। Performance guarantee जमा किये जाने के बाद आशय पत्र निर्गत किये जाने के समय जमा कराई गई धरोहर राशि (बैंक गारन्टी) अवमुक्त कर दी जायेगी।
10. स्वीकृत खनन क्षेत्र का पट्टा विलेख उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29(1) के अनुसार निष्पादित किया जायेगा।
11. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(4) के अनुसार प्रथम वर्ष हेतु पट्टा धनराशि एवं 29क(6) के अनुसार खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में पिछले वर्ष की पट्टा धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि कर उस वर्ष हेतु पट्टा धनराशि आगणित की जायेगी।
12. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(12),(13) एवं निविदा की शर्त संख्या-13 (1),(2) में रायल्टी के अतिरिक्त निर्धारित शुल्क के स्थान पर उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1998/2018/80ख/16, दिनांक 14 फरवरी, 2018 के अनुसार खनिज निकासी हेतु रायल्टी के अतिरिक्त निर्धारित शुल्क (क) स्टाम्प शुल्क-रायल्टी का 2 प्रतिशत (ख) जिला खनिज फाउन्डेशन में अंशदान-रायल्टी का 25 प्रतिशत (ग) क्षतिपूर्ति-रायल्टी का 15 प्रतिशत पट्टाधारक द्वारा जमा किया जायेगा।
13. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(13) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0 आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।
14. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(14) के अनुसार खनिजो की निकासी निदेशक द्वारा निर्धारित वार्षिक मात्रा के अनुसार अग्रिम मूल्य जमा कर ई-रवन्ना के माध्यम से की जायेगी।

15. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(15) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा 01 वर्ष की निर्धारित मात्रा समय से पूर्व ही निकासी किये जाने की दशा में तत्समय वर्ष में अग्रेतर निकासी स्थगित रहेगी।
16. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(16) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत चुगान/खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत समस्त वांछित उपकरण आदि स्थापित किये जाने होंगे साथ ही नियम 29क(17) व नियम 29क(19) में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
17. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(18) के अनुसार नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की मशीनें यथा जे0सी0बी0 पोकलैण्ड सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन/चुगान कार्य नहीं किया जायेगा।
18. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(23) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा खनन एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 (समय-समय पर यथासंशोधित), उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित), मा0 न्यायालयों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों/दिशा निर्देशों तथा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव।

संख्या-2189/VII-A-1/2020, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. उप निदेशक/भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद उधमसिंहनगर।
4. श्री अब्दुल अलीम पुत्र श्री अब्दुल खालिक, निवासी-अब्दुल्ला बिल्डिंग, बरेली रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव।

संख्याः 232 /VII-A-1/2021-48 ख/18

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उद्यमसिंहनगर,

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 देहरादून, दिनांकः 15 दिसम्बर,2021

विषयः जनपद उद्यमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम साधूनगर, नदी, खसरा संख्या- 632/1/1, रकवा 0.930 है0, खसरा संख्या 632/3 रकवा 0.948 है0 एवं खसरा संख्या 632/1/2 रकवा 1.146 है0 कुल रकवा 3.024 है0 उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) को ई-निविदा सह ई-निलामी के माध्यम से आवंटन हेतु उच्चतम बोलीदाता श्री पुनीत कुमार गोयल पुत्र श्री गोविन्द कुमार निवासी वार्ड-3 सितारगंज, उद्यमसिंहनगर के पक्ष में पर्यावरणीय अनुमति प्राप्ति के उपरांत खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध अवगत कराना है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप सं० 1617/VII-I/2018 /48ख/18, दिनांक 29 अगस्त, 2018 द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2017 के प्रावधानानुसार श्री पुनीत कुमार गोयल पुत्र श्री गोविन्द कुमार, निवासी-वार्ड-3 सितारगंज, उधमसिंहनगर के पक्ष में जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम साधू नगर, कैलाश क्षेत्रफल 5.926 है0 में उपखनिज के चुगान हेतु 05 वर्ष की अवधि हेतु चुगान/खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु 06 माह की अवधि हेतु कतिपय शर्तो के अधीन आशय पत्र (Letter of Intent) स्वीकृत किया गया एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1679/VII-I/2018 /48ख/18, दिनांक 23 जुलाई, 2019 द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून के पत्र संख्या- 638/ई-निवि0सहई0नीला0/उ0सिं0न0/भू0खनि0ई0/2019-20 दिनांक 21 जून,2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तव के कम में उक्तानुसार स्वीकृत आशय पत्र (Letter of Intent) दिनांक 29अगस्त, 2018 में वर्णित " जनपद उद्यमसिंहनगर तहसील सितारगंज के ग्राम साधूनगर , कैलाश नदी, क्षेत्रफल 5.926 है0" **के स्थान पर** जनपद उद्यमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम साधूनगर , कैलाश नदी, खसरा संख्या- 632/1/1, रकवा 0.930 है, खसरा संख्या 632/3 रकवा 0.948 है0 एवं खसरा संख्या 632/1/2 रकवा 1.146 है0 कुल रकवा 3.024 है0" का संशोधन किया गया।

2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र सं0-2877/खनन/भू०खनि०ई०/ई-निविदासहई-नीला0/2020-21, दिनांक 03 फरवरी, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद उद्यमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम साधूनगर, नदी, खसरा संख्या- 632/1/1, रकवा 0.930 है0, खसरा संख्या 632/3 रकवा 0.948 है0 एवं खसरा संख्या 632/1/2 रकवा 1.146 है0 कुल रकवा 3.024 है0 उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) को ई-निविदा सह ई- निलामी के माध्यम से आवंटन हेतु उच्चतम बोलीदाता श्री पुनीत कुमार गोयल पुत्र श्री गोविन्द कुमार निवासी वार्ड-3 सितारगंज, उद्यमसिंहनगर के पक्ष में पर्यावरणीय अनुमति प्राप्ति के उपरांत क्षेत्र में उपखनिज के चुगान हेतु 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत आशय पत्र दिनांक 29 अगस्त, 2018 की अनुपालना में हुए विलम्ब का मर्षण करते हुए उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के प्रावधानानुसार स्वीकृत कुल 05 वर्ष की अवधि अर्थात दिनांक 28 अगस्त, 2023 तक उपखनिज क्षेत्र में उपखनिज के चुगान हेतु चुगान/खनन पट्टा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. पट्टाधारक द्वारा प्रश्नगत उपखनिज क्षेत्र हेतु जारी निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों, उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29(02) के अनुसार पट्टे की अवधि की संगणना आशय पत्र निर्गत होने की तिथि से की जायेगी।
3. स्वीकृत क्षेत्रान्तर्गत उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली (संशोधित) 2017 के नियम 29(क)(1) एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण के पत्र संख्या 169-01(84)/2019, दिनांक 06.11.2020 के द्वारा निर्गत पर्यावरणीय अनुमति के अनुसार उपखनिज का चुगान कार्य अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई अथवा भू-जल स्तर, जो भी कम हो, तक किया जायेगा।
4. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(21) के अनुसार स्वीकृत खनिज क्षेत्र से खनिज निकासी किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish एवं Consent to operate प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।
5. पट्टाधारक द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण के पत्र संख्या 169-01(84)/2019, दिनांक 06.11.2020 के द्वारा निर्गत पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तो का अनुपालन किया जायेगा तथा पर्यावरणीय अनुमति की शर्त सं0-16 के क्रम में पर्यावरणीय अनुमति की छमाही अनुपालना आख्या (Compliance Report) की प्रति राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण उत्तराखण्ड देहरादून एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार देहरादून को उपलब्ध कराई जायेगी।
6. पट्टाधारक द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पत्र संख्या 591/उ0ख0/मा0प्लान/उधमसिंहनगर /2019-20, दिनांक 15 जून, 2019 के द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन कार्य किया जायेगा तथा उपखनिज की निकासी ई-निविदा सह ई-नीलामी में प्राप्त उच्चतम मात्रा 88,890 टन प्रतिवर्ष की जायेगी।
7. राष्ट्रीय पार्क के सम्बन्ध में तत्समय प्रचलित प्राविधानों के अनुसार प्रश्नगत खनन क्षेत्र के दूरी में निर्धारित मानकों के अन्तर्गत पड़ने की दशा में खनन पट्टा क्षेत्र हेतु एन0बी0डब्ल्यू0एल0 की अनुमति पट्टाधारक द्वारा प्राप्त की जानी होगी।
8. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत निजी नाप भूमि पड़ने की दशा में निजी भूमि के भूस्वामी को उसकी भूमि के क्षेत्रफल पर अनुमत गहराई के सापेक्ष आगणित मात्रा पर प्रतिटन निर्धारित नीलामी धनराशि से गुणाकर प्राप्त धनराशि का 10 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के रूप में पट्टाधारक द्वारा देय होगा। किसी भी वाद की स्थिति में पट्टाधारक द्वारा प्रतिपूर्ति धनराशि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी जिसका वितरण राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित किये जाने उपरान्त राजस्व विभाग के माध्यम से किया जायेगा व निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को सूचित किया जायेगा।
9. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29(1) के अनुसार खनन पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी आदेश जारी होने के उपरान्त Performance guarantee अर्थात् स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु अधिकतम वार्षिक ई-नीलामी बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत, निर्धारित विभागीय पेमेन्ट गेटवे के द्वारा सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत जमा किया जायेगा। वार्षिक नीलामी धनराशि का पच्चीस प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप में जमा की जायेगी, जिसका समायोजन पट्टे के अन्तिम वर्ष में उपखनिज निकासी मात्रा के सापेक्ष किया जायेगा। Performance guarantee जमा किये जाने के बाद आशय पत्र निर्गत किये जाने के समय जमा कराई गई धरोहर राशि (बैंक गारन्टी) अवमुक्त कर दी जायेगी।
10. स्वीकृत खनन क्षेत्र का पट्टा विलेख उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29(1) के अनुसार निष्पादित किया जायेगा।
11. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(4) के अनुसार प्रथम वर्ष हेतु पट्टा धनराशि एवं 29क(6) के अनुसार खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में पिछले वर्ष की पट्टा धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि कर उस वर्ष हेतु पट्टा धनराशि आगणित की जायेगी।
12. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(12),(13) एवं निविदा की शर्त संख्या-13 (1),(2) में रायल्टी के अतिरिक्त निर्धारित शुल्क के स्थान पर उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1998/2018/80ख/16, दिनांक 14 फरवरी, 2018 के अनुसार खनिज निकासी हेतु रायल्टी के अतिरिक्त निर्धारित शुल्क (क) स्टाम्प शुल्क- रायल्टी का 2 प्रतिशत (ख) जिला

Scanned by CamScanner

खनिज फाउन्डेशन में अंशदान– रायल्टी का 25 प्रतिशत (ग) क्षतिपूर्ति–रायल्टी का 15 प्रतिशत पट्टाधारक द्वारा जमा किया जायेगा।

13. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(13) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित कर एंव शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0 आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।
14. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(14) के अनुसार खनिजों की निकासी निदेशक द्वारा निर्धारित वार्षिक मात्रा के अनुसार अग्रिम मूल्य जमा कर ई–रवन्ना के माध्यन से की जायेगी।
15. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(15) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा 01 वर्ष की निर्धारित मात्रा समय से पूर्व ही निकासी किये जाने की दशा में उक्त वर्ष में अग्रेत्तर निकासी स्थगित रहेगी।
16. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(16) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत चुगान/खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत समस्त वांछित उपकरण आदि स्थापित किये जाने होगें साथ ही नियम 29क(17) व नियम 29क(19) में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
17. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(18) के अनुसार नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की मशीनें यथा जे0सी0बी0 पोकलैण्ड सक्शन मशीन, लिफटर आदि मशीनों द्वारा खनन/चुगान कार्य नहीं किया जायेगा।
18. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(23) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा खनन एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 (समय–समय पर यथासंशोधित), उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय–समय पर यथासंशोधित), मा0 न्यायालयों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों/दिशा निर्देशों तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

3. कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्याः 232 (1)/VII-A-1/2021–48 ख/2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्तांकित पत्र दिनांक 03.02.2021 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. श्री पुनीत कुमार गोयल पुत्र श्री गोविन्द कुमार निवासी वार्ड–3 सितारगंज, उद्यमसिंहनगर
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव।

Scanned by CamScanner

संख्या–2186/VII-A-1/2021–02 (88)/2018

प्रेषक,

दिनेश यादव,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 06 जनवरी, 2022

विषयः ई–निविदा सह ई–नीलामी के अन्तर्गत उच्चतम बोलीदाता श्री पुनीत कुमार गोयल पुत्र श्री गोविन्द कुमार, निवासी–वार्ड नं0 03, तहसील सितारगंज, जनपद उधमसिंहनगर के पक्ष में जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम भेरावराना के क्षेत्रान्तर्गत 2.876 है0 भूमि (जोकि राजस्व अभिलेखानुसार खाता खतौनी संख्या 1 के खसरा संख्या 38, कुल रकवा 84.406 है0 भूमि रा0औ0वि0नि0 लि0, उत्तराखण्ड (सिडकुल) के नाम दर्ज है का भाग है) उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज (बालू बजरी, बोल्डर) का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 2455/VII-(1)/18/02(88) /2018, दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 द्वारा ई–निविदा सह ई–नीलामी के अन्तर्गत उच्चतम बोलीदाता श्री पुनीत कुमार गोयल पुत्र श्री गोविन्द कुमार, निवासी–वार्ड नं0 03, तहसील सितारगंज, जनपद उधमसिंहनगर के पक्ष में जनपद उधमसिंहनगर तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी के क्षेत्रान्तर्गत 12.344 है0 रिक्त निजी नाप भूमि वर्ग ख उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज के चुगान/खनन हेतु 05 वर्ष की अवधि हेतु चुगान/खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु 06 माह की अवधि हेतु कतिपय शर्तों के अधीन आशय पत्र (Letter of Intent) स्वीकृत किया गया है। उक्त के अतिरिक्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2027/VII-(1)/18/02(88) /18, दिनांक 05 नवम्बर, 2019 द्वारा 38 दिन के विलम्ब का मर्षण करते हुए स्वीकृत आशय पत्र की शर्तों की अनुपालना हेतु 06 माह की अवधि के लिए आशय पत्र का नवीनीकरण किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी। शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1112/VII-(1)/18/02(88) /2018, दिनांक 25 अगस्त, 2021 द्वारा आशय पत्र दिनांक 10.12.2018 एवं नवीनीकरण सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05.11.2019 में वर्णित "जनपद उधमसिंहनगर तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी के क्षेत्रान्तर्गत 12.344 है0 रिक्त निजी नाप भूमि वर्ग ख" के स्थान पर "जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम भेरावराना के क्षेत्रान्तर्गत 2.876 है0 भूमि, जोकि राजस्व अभिलेखानुसार खाता खतौनी संख्या 1 के खसरा संख्या 38, कुल रकवा 84.406 है0 भूमि रा0औ0वि0नि0 लि0, उत्तराखण्ड (सिडकुल) के नाम दर्ज है, का भाग है" संशोधन किया गया है।

2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–3589/खनन/भू0खनि0ई0/ई–निविदा–उ0सि0न0/2021–22, दिनांक 10.12.2021 द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के अन्तर्गत संस्तुति सहित उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ई–निविदा सह ई–नीलामी के अन्तर्गत श्री पुनीत कुमार गोयल पुत्र श्री गोविन्द कुमार, निवासी–वार्ड नं0 03, तहसील सितारगंज, जनपद उधमसिंहनगर के पक्ष में जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम भेरावराना के क्षेत्रान्तर्गत 2.876 है0 भूमि में आशय पत्र दिनांक 10.12.2018 की अनुपालना में अद्यतन हुए विलम्ब का मर्षण करते हुए 05 वर्ष की अवधि अर्थात 09.12.2023 तक खनन पट्टा निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. पट्टाधारक द्वारा प्रश्नगत उपखनिज क्षेत्र हेतु जारी निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों, उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय–समय पर यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः.....

2. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29(02) के अनुसार पट्टे की अवधि की संगणना आशय पत्र निर्गत होने की तिथि से की जायेगी।
3. स्वीकृत क्षेत्रान्तर्गत उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली (संशोधित) 2017 के नियम 29 (क) (1) एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण के पत्र संख्या 309-01 (206)/ 2021, दिनांक 12 नवम्बर, 2021 के द्वारा निर्गत पर्यावरणीय अनुमति के अनुसार उपखनिज का खनन कार्य अधिकतम 3.0 मीटर की गहराई अथवा भू-जल स्तर, जो भी कम हो, तक किया जायेगा।
4. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(21) के अनुसार स्वीकृत खनिज क्षेत्र से खनिज निकासी किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish एवं Consent to operate प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।
5. पट्टाधारक द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण के पत्र संख्या 309-01(206)/2021, दिनांक 12 नवम्बर, 2021 के द्वारा निर्गत पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा तथा पर्यावरणीय अनुमति की शर्त सं0-12 के क्रम में पर्यावरणीय अनुमति की छः माह की अनुपालना आख्या (Compliance Report) की प्रति राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण उत्तराखण्ड देहरादून एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार देहरादून को उपलब्ध कराई जायेगी।
6. पट्टाधारक द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2673/खनन/भू0खनि0ई0 /ई-निविदा/मा0प्लान/2021-22, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन कार्य किया जायेगा तथा उपखनिज की निकासी ई-निविदा सह ई-नीलामी में प्राप्त उच्चतम मात्रा 1,03,277 टन प्रतिवर्ष की जायेगी।
7. राष्ट्रीय पार्क के सम्बन्ध में तत्समय प्रचलित प्राविधानों के अनुसार प्रश्नगत खनन क्षेत्र के दूरी में निर्धारित मानकों के अन्तर्गत पड़ने की दशा में खनन पट्टा क्षेत्र हेतु एन0बी0डब्ल्यू0एल0 की अनुमति पट्टाधारक द्वारा प्राप्त की जानी होगी।
8. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत निजी नाप भूमि पड़ने की दशा में निजी भूमि के भूस्वामी को उसकी भूमि के क्षेत्रफल पर अनुमत गहराई के सापेक्ष आगणित मात्रा पर प्रतिटन निर्धारित नीलामी धनराशि से गुणाकर प्राप्त धनराशि का 10 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के रूप में पट्टाधारक द्वारा देय होगा। किसी भी वाद की स्थिति में पट्टाधारक द्वारा प्रतिपूर्ति धनराशि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी जिसका वितरण राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित किये जाने उपरान्त राजस्व विभाग के माध्यम से किया जायेगा व निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को सूचित किया जायेगा।
9. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29(1) के अनुसार खनन पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी आदेश जारी होने के उपरान्त Performance guarantee अर्थात् स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु अधिकतम वार्षिक ई-नीलामी बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत, निर्धारित विभागीय पेमेन्ट गेटवे के द्वारा सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत जमा किया जायेगा। वार्षिक नीलामी धनराशि का पच्चीस प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप में जमा की जायेगी, जिसका समायोजन पट्टे के अन्तिम वर्ष में उपखनिज निकासी मात्रा के सापेक्ष किया जायेगा। Performance guarantee जमा किये जाने के बाद आशय पत्र निर्गत किये जाने के समय जमा कराई गई धरोहर राशि (बैंक गारन्टी) अवमुक्त कर दी जायेगी।
10. स्वीकृत खनन क्षेत्र का पट्टा विलेख उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29(1) के अनुसार निष्पादित किया जायेगा।
11. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(4) के अनुसार प्रथम वर्ष हेतु पट्टा धनराशि एवं 29क(6) के अनुसार खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में पिछले वर्ष की पट्टा धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि कर उस वर्ष हेतु पट्टा धनराशि आगणित की जायेगी।

क्रमशः.....

12. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(12),(13) एवं निविदा की शर्त संख्या–13 (1),(2) मे रायल्टी के अतिरिक्त निर्धारित शुल्क के स्थान पर उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1990/2018/60ख/16, दिनांक 14 फरवरी, 2018 के अनुसार खनिज निकासी हेतु रायल्टी के अतिरिक्त निर्धारित शुल्क (क) स्टाम्प शुल्क–रायल्टी का 2 प्रतिशत (ख) जिला खनिज फाउन्डेशन में अंशदान–रायल्टी का 25 प्रतिशत (ग) क्षतिपूर्ति–रायल्टी का 15 प्रतिशत पट्टाधारक द्वारा जमा किया जायेगा।
13. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(13) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0 आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।
14. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(14) के अनुसार खनिजों की निकासी निदेशक द्वारा निर्धारित वार्षिक मात्रा के अनुसार अग्रिम मूल्य जमा कर ई–खनन के माध्यम से की जायेगी।
15. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(15) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा 01 वर्ष की निर्धारित मात्रा समय से पूर्व ही निकासी किये जाने की दशा में उक्त वर्ष में अग्रेत्तर निकासी स्थगित रहेगी।
16. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(16) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत चुगान/खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत समस्त वांछित उपकरण आदि स्थापित किये जाने होगें साथ ही नियम 29क(17) व नियम 29क(19) में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
17. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(18) के अनुसार नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की मशीनें यथा जे0सी0बी0 पोकलैण्ड सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन/चुगान कार्य नहीं किया जायेगा।
18. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(23) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा खनन एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 (समय–समय पर यथासंशोधित), उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय–समय पर यथासंशोधित), मा0 न्यायालयों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों/दिशा निर्देशों तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव।

संख्या–2186 /VII-A-1/2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. उप निदेशक/भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद उधमसिंहनगर।
4. श्री पुनीत कुमार गोयल पुत्र श्री गोविन्द कुमार, निवासी–वार्ड नं0 03, तहसील सितारगंज, जनपद उधमसिंहनगर।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव।

प्रेषक,

दिनेश यादव,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

संख्या-2185/VII-A-1/2021-02 (01)/2019

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 06 जनवरी, 2022

विषयः ई-निविदा सह ई-नीलामी के अन्तर्गत उच्चतम बोलीदाता मै0 राणा कन्स्ट्रक्शन, वार्ड नं0 05, सितारगंज, जनपद उधमसिंहनगर के पक्ष में जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम मेरावराना के क्षेत्रान्तर्गत 4.654 है0 भूमि (राजस्व अभिलेखानुसार खाता खतौनी संख्या 1 के खसरा संख्या 38, कुल रकबा 84.406 है0 भूमि रा0औ0वि0नि0 लि0, उत्तराखण्ड (सिडकुल) के नाम दर्ज है, का भाग है) उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज (बालू बजरी, बोल्डर) का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 38/VII-(1)/19/02(01)/2019, दिनांक 05 फरवरी, 2019 द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2017 के प्रावधानानुसार मै0 राणा कन्स्ट्रक्शन, वार्ड नं0 05, सितारगंज, जनपद उधमसिंहनगर के पक्ष में जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम मेरावराना, खसरा संख्या 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, क्षेत्रफल 15.00 है0 मैदानी क्षेत्रान्तर्गत उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज के चुगान/खनन हेतु 05 वर्ष की अवधि हेतु चुगान/खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु 06 माह की अवधि हेतु कतिपय शर्तों के अधीन आशय पत्र (Letter of Intent) स्वीकृत किया गया। तदोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2034, दिनांक 05 नवम्बर, 2019 द्वारा उक्त स्वीकृत आशय पत्र की शर्तो की अनुपालना हेतु 06 माह की अवधि के लिए आशय पत्र का नवीनीकरण किया गया। उक्त के अतिरिक्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1358/VII-(1)/21/02(01)/2019, दिनांक 25 अगस्त, 2021 द्वारा आशय पत्र दिनांक 05.02.2019 एवं नवीनीकरण सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05.11.2019 में वर्णित "जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम मेरावराना, खसरा संख्या 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, क्षेत्रफल 15.00 है0" के स्थान पर "जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम मेरावराना के क्षेत्रान्तर्गत 4.654 है0 भूमि, जोकि राजस्व अभिलेखानुसार खाता खतौनी संख्या 1 के खसरा संख्या 38, कुल रकबा 84.406 है0 भूमि रा0औ0वि0नि0 लि0, उत्तराखण्ड (सिडकुल) के नाम दर्ज है, का भाग है" संशोधन किया गया है।

2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-3587/खनन/भू0खनि0ई0/ई-निविदा-उ0सि0न0/2021-22, दिनांक 10.12.2021 द्वारा संस्तुति सहित उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ई-निविदा सह ई-नीलामी के अन्तर्गत उच्चतम बोलीदाता मै0 राणा कन्स्ट्रक्शन, वार्ड नं0 05, सितारगंज, जनपद उधमसिंहनगर के पक्ष में जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम मेरावराना के क्षेत्रान्तर्गत 4.654 है0 भूमि में आशय पत्र दिनांक 05.02.2019 की अनुपालना में हुए अद्यतन हुए विलम्ब का मर्षण करते हुए 05 वर्ष की अवधि अर्थात 04.02.2024 तक खनन पट्टा निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. पट्टाधारक द्वारा प्रश्नगत उपखनिज क्षेत्र हेतु जारी निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों, उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29(02) के अनुसार पट्टे की अवधि की संगणना आशय पत्र निर्गत होने की तिथि से की जायेगी।
3. स्वीकृत क्षेत्रान्तर्गत उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली (संशोधित) 2017 के नियम 29 (क) (1) एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण के पत्र संख्या 295-01(205)/2021, दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 के द्वारा निर्गत पर्यावरणीय अनुमति के अनुसार उपखनिज का चुगान कार्य अधिकतम 3.0 मीटर की गहराई अथवा भू-जल स्तर, जो भी कम हो, तक किया जायेगा।

4. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(21) के अनुसार स्वीकृत खनिज क्षेत्र से खनिज निकासी किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish एवं Consent to operate प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।
5. पट्टाधारक द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण के पत्र संख्या 295-01(205)/2021, दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 के द्वारा निर्गत पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा तथा पर्यावरणीय अनुमति की शर्त सं0-15 के क्रम में पर्यावरणीय अनुमति की छः माही अनुपालना आख्या (Compliance Report) की प्रति राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण उत्तराखण्ड देहरादून एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार देहरादून को उपलब्ध कराई जायेगी।
6. पट्टाधारक द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2533/खनन/भूखनि0इं0/ई-निविदा/मा0खान/2021-22, दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 के द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन कार्य किया जायेगा तथा उपखनिज की निकासी ई-निविदा सह ई नीलामी में प्राप्त उच्चतम मात्रा 1,25,651 टन प्रतिवर्ष की जायेगी।
7. राष्ट्रीय पार्क के सम्बन्ध में तत्समय प्रचलित प्राविधानों के अनुसार प्रश्नगत खनन क्षेत्र के दूरी में निर्धारित मानकों के अन्तर्गत पड़ने की दशा में खनन पट्टा क्षेत्र हेतु एन0बी0 डब्ल्यू0एल0 की अनुमति पट्टाधारक द्वारा प्राप्त की जानी होगी।
8. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत निजी नाप भूमि पड़ने की दशा में निजी भूमि के भूस्वामी को उसकी भूमि के क्षेत्रफल पर अनुमत गहराई के सापेक्ष आगणित मात्रा पर प्रतिटन निर्धारित नीलामी धनराशि से गुणाकर प्राप्त धनराशि का 10 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के रूप में पट्टाधारक द्वारा देय होगा। किसी भी बाद की स्थिति में पट्टाधारक द्वारा प्रतिपूर्ति धनराशि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी जिसका वितरण राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित किये जाने उपरान्त राजस्व विभाग के माध्यम से किया जायेगा व निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को सूचित किया जायेगा।
9. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29(1) के अनुसार खनन पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी आदेश जारी होने के उपरान्त Performance guarantee अर्थात् स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु अधिकतम वार्षिक ई-नीलामी बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत, निर्धारित वित्तीय पेमेन्ट गेटवे के द्वारा सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत जमा किया जायेगा। वार्षिक नीलामी धनराशि का पच्चीस प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप में जमा की जायेगी, जिसका समायोजन पट्टे के अन्तिम वर्ष में उपखनिज निकासी मात्रा के सापेक्ष किया जायेगा। Performance guarantee जमा किये जाने के बाद आशय पत्र निर्गत किये जाने के समय जमा कराई गई धरोहर राशि (बैंक गारन्टी) अवमुक्त कर दी जायेगी।
10. स्वीकृत खनन क्षेत्र का पट्टा विलेख उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29(1) के अनुसार निष्पादित किया जायेगा।
11. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(4) के अनुसार प्रथम वर्ष हेतु पट्टा धनराशि एवं 29क(6) के अनुसार खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में पिछले वर्ष की पट्टा धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि कर उस वर्ष हेतु पट्टा धनराशि आगणित की जायेगी।
12. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(12),(13) एवं निविदा की शर्त संख्या-13 (1),(2) में रायल्टी के अतिरिक्त निर्धारित शुल्क के स्थान पर उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1998/2018/80ख/16, दिनांक 14 फरवरी, 2018 के अनुसार खनिज निकासी हेतु रायल्टी के अतिरिक्त निर्धारित शुल्क (क) स्टाम्प शुल्क-रायल्टी का 2 प्रतिशत (ख) जिला खनिज फाउन्डेशन में अंशदान-रायल्टी का 25 प्रतिशत (ग) क्षतिपूर्ति-रायल्टी का 15 प्रतिशत पट्टाधारक द्वारा जमा किया जायेगा।
13. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(13) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0 आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।
14. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(14) के अनुसार खनिजों की निकासी निदेशक द्वारा निर्धारित वार्षिक मात्रा के अनुसार अग्रिम मूल्य जमा कर ई-रवन्ना के माध्यम से की जायेगी।

15. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(15) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा 01 वर्ष की निर्धारित मात्रा समय से पूर्व ही निकासी किये जाने की दशा में उक्त वर्ष में अग्रेत्तर निकासी स्थगित रहेगी।
16. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(16) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत चुगान/खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत समस्त वांछित उपकरण आदि स्थापित किये जाने होगें साथ ही नियम 29क(17) व नियम 29क(19) में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
17. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(18) के अनुसार नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की मशीनें यथा जे0सी0बी0 पोकलैण्ड सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन/चुगान कार्य नहीं किया जायेगा।
18. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 29क(23) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा खनन एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 (समय–समय पर यथासंशोधित), उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय–समय पर यथासंशोधित), मा0 न्यायालयों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों/दिशा निर्देशों तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव।

संख्या–2185/VII-A-1/2020, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. उप निदेशक/भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद उधमसिंहनगर।
4. मैं0 रामा कन्स्ट्रक्शन, वार्ड नं0 05, सितारगंज, जनपद उधमसिंहनगर।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव।

संख्या 3052/VII-A-1/2022/02(89)/2018

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक: 19 दिसम्बर, 2023

विषय: श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल, निवासी–2–450/1, तुलसीनगर, पौलीसीट, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के पक्ष में जनपद ऊधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम मेरावराना, कैलाश नदी के खसरा संख्या 38 एवं 41, कुल रकबा 6.727 है0 (जोकि राजस्व अभिलेखानुसार खसरा संख्या 38, कुल रकबा 84.406 है0 एवं खसरा संख्या 41, रकबा 10.123 है0 भूमि रा0औ0वि0नि0 लि0, उत्तराखण्ड (सिडकुल) के नाम दर्ज है, का भाग है) उपखनिज क्षेत्र में खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु निर्गत आशय पत्र उपखनिज क्षेत्र में पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य वांछित अनुमतियाँ प्राप्त होने के उपरान्त खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 2457/VII-1/18/02(89)/2018, दिनांक 20 दिसम्बर, 2018, कार्यालय ज्ञाप संख्या 2033, दिनांक 29.10.2019 व कार्यालय ज्ञाप संख्या 1164, दिनांक 25.08.2021 द्वारा ई–निविदा सह ई–नीलामी के अन्तर्गत उच्चतम बोलीदाता श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल, निवासी–2–450/1, तुलसीनगर, पौलीसीट, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के पक्ष में जनपद ऊधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम मेरावराना, कैलाश नदी के खसरा संख्या 38 एवं 41, कुल रकबा 6.727 है0 (जोकि राजस्व अभिलेखानुसार खसरा संख्या 38, कुल रकबा 84.406 है0 एवं खसरा संख्या 41, रकबा 10.123 है0 भूमि रा0औ0वि0नि0 लि0, उत्तराखण्ड (सिडकुल) के नाम दर्ज है, का भाग है) राजस्व उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज के चुगान/खनन हेतु 05 वर्ष की अवधि हेतु चुगान/खनन पटट्ा स्वीकृत किये जाने हेतु 06 माह की अवधि हेतु कतिपय शर्तो के अधीन आशय पत्र (Letter of Intent) कमशः स्वीकृत, नवीनीकरण व रकबा संशोधन किया गया है।

2– महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–4929/उ0ख0/भू0खनि0 नि0/ई0नि0सह0नी0/2023–24, दिनांक 19.12.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं शासनादेश संख्या 2457/VII-1/18/02(89)/2018, दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 द्वारा स्वीकृत आशय पत्र की अनुपालन आख्या के कम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ई–निविदा सह ई–नीलामी के अन्तर्गत उच्चतम बोलीदाता श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल, निवासी–2–450/1, तुलसीनगर, पौलीसीट, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के पक्ष में जनपद ऊधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम मेरावराना, कैलाश नदी के खसरा संख्या 38 एवं 41, कुल रकबा 6.727 है0 (जोकि राजस्व अभिलेखानुसार खसरा संख्या 38, कुल रकबा 84.406 है0 एवं खसरा संख्या 41, रकबा 10.123 है0 भूमि रा0औ0वि0नि0 लि0, उत्तराखण्ड (सिडकुल) के नाम दर्ज है, का भाग है) राजस्व उपखनिज क्षेत्र में उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली–2023 में निहित संगत प्राविधानानुसार स्वीकृत आशय पत्र की शर्तों की अनुपालना में हुये विलम्ब का मार्जन करते हुये 10 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. पट्टाधारक द्वारा प्रश्नगत उपखनिज क्षेत्र हेतु जारी निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों, उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली–2023 के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. पट्टाधारक द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण के पत्र संख्या 97–01(202)/2021, दिनांक 29 अगस्त, 2023 के द्वारा निर्गत पर्यावरणीय अनुमति के अनुसार उपखनिज का चुगान कार्य अधिकतम 3.0 मीटर की गहराई अथवा भू–जल स्तर, जो भी कम हो, तक किया जायेगा।

3. पट्टाधारक द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण के पत्र संख्या 97-01(202)/2021, दिनांक 29 अगस्त, 2023 के द्वारा निर्गत पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा तथा पर्यावरणीय अनुमति की शर्त स0-02(51) के क्रम में पर्यावरणीय अनुमति की छमाही अनुपालना आख्या (Compliance Report) की प्रति राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण उत्तराखण्ड देहरादून एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार देहरादून को उपलब्ध कराई जायेगी।

4. पट्टाधारक द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के पत्र संख्या 2677/खनन/भू0खनि0इ0/ई-निविदा/मा0 प्लान/2021-22, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 के द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन/चुगान कार्य किया जायेगा।

5. पट्टाधारक द्वारा ई-निविदा सह ई-नीलामी में प्राप्त उच्चतम मात्रा के सापेक्ष अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरणीय अनुमति में स्वीकृत मात्रा 2,42,352 टन उपखनिज की निकासी की जायेगी तथा तदनुसार निर्धारित मात्रा के सापेक्ष प्राप्त उच्चतम मूल्य के अनुसार वार्षिक पट्टा धनराशि निर्धारित की जायेगी।

6. राष्ट्रीय पार्क के सम्बन्ध में तत्समय प्रचलित प्राविधानों के अनुसार प्रश्नगत खनन क्षेत्र के दूरी में निर्धारित मानकों के अन्तर्गत पड़ने की दशा में खनन पट्टा क्षेत्र हेतु एन0बी0डब्ल्यू0एल0 की अनुमति पट्टाधारक द्वारा प्राप्त की जानी होगी।

7. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम-25(6) के अनुसार सफल बोलीदाता द्वारा खनन पट्टा के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही के दौरान आकस्मिक निधन अथवा गम्भीर अशक्त होने की दशा में अग्रेत्तर कार्यवाही उनके विधिक वारिस द्वारा की जा सकेगी।

8. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम-26(1) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति संबंधी आदेश जारी होने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा विलेख निष्पादन से पूर्व वार्षिक नीलामी पट्टा धनराशि की पच्चीस प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष पूर्व में प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में जमा एफ0डी0आर0 को विभागीय लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा, जिसका समायोजन पट्टे के अन्तिम वर्ष में वार्षिक पट्टा धनराशि के सापेक्ष किया जायेगा। नदीतल अवस्थित उपखनिजों के सम्बन्ध में महानिदेशक द्वारा जिला उपनिबन्धक द्वारा सूचित स्टाम्प शुल्क के आधार पर पट्टा विलेख निर्धारित प्रपत्र एम0एम0-06 में निष्पादित किया जायेगा। पट्टाधारक द्वारा उक्त खनन पट्टा विलेख का पंजीकरण सम्बन्धित जनपद के जिला उपनिबन्धक अधिकारी से कराया जायेगा। पट्टाविलेख पंजीकरण के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा उसकी एक-एक प्रति निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म, सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी कार्यालय को एक सप्ताह के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जायेगी।

9. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम-26(2) के अनुसार स्वीकृत खनन/चुगान पट्टों की पट्टावधि की संगणना पट्टा विलेख निष्पादन के उपरान्त पंजीकरण की तिथि से नदीतल स्थित राजस्व/वन भूमि में अवस्थित उपखनिजों के खनन पट्टों हेतु अग्रेत्तर 05 वर्ष की अवधि एवं 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे 10 वर्ष की अवधि के लिये तथा स्वस्थाने प्रकृति के उपखनिज के खनन क्षेत्र हेतु 25 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगें।

10. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम-44 के अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र में खनन संक्रियाओं हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish एवं Consent to operate प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।

11. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम-45 के अनुसार खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों, मा0 न्यायालयों, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/दिशा- निर्देशों के अधीन खनन संक्रियायें सम्पादित की जायेगी।

12. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम-50(2) के अनुसार चुगान पट्टा क्षेत्रों से खनिजों के परिवहन हेतु उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों का पंजीकरण भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में कराया जाना अनिवार्य होगा, जिस हेतु यदि राज्य सरकार के द्वारा कोई शुल्क निर्धारित किया जाता है तो वह वाहन स्वामी के द्वारा देय होगा।

13. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम-50(3) के अनुसार प्रत्येक पट्टाधारक/अनुज्ञापत्र धारक को चुगान कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वाणिज्यकर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपद स्तरीय कार्यालयों में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

14. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम–50(6) के अनुसार नदीतल उपखनिज क्षेत्रों में जे0सी0बी0, पोकलैण्ड, रोवशन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन/उत्खनन कार्य नहीं किया जायेगा। परन्तु विशेष परिस्थितियों में जैसे पहुंच मार्ग का निर्माण किये जाने, क्षेत्र में बड़े आकार के बोल्डर को हटाने, पट्टा क्षेत्र में फंसे वाहनों को निकालने आदि की दशा में अनुपति सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के द्वारा खान अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त प्रदान की जायेगी।
15. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम–50(9) के अनुसार पट्टाधारक पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों का विक्रोहन/परिवहन सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य करेगा।
16. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम–50(10) के अनुसार खनन पट्टा का आशय पत्र व खनन पट्टा के शासनादेश निर्गत होने के उपरान्त यदि आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उक्त खनन पट्टा का आशय पत्र व खनन पट्टा के शासनादेश आवेदनकर्ता के विधिक वारिस को सक्षम स्तर से निर्गत उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र तथा उसका आवेदन हेतु सक्षम होने का नोटराईज्ड अनुरोध शपथ पत्र निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में 03 माह की अवधि के अन्तर्गत प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत आशय पत्र/शासनादेश को निरस्त कर आवेदित क्षेत्र को रिक्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
17. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम–64 के अनुसार नियमावली के अधीन देय किसी धनराशि का भुगतान ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा राज्य सरकार तदर्थ निर्दिष्ट करें।
18. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम–70(1) के अनुसार खनिजों के परिवहन हेतु पट्टाधारक /अनुज्ञाधारकों को भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के ई–रवन्ना पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
19. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम–70(2) के अनुसार खनन पट्टाधारक द्वारा किसी गाडी, पशु या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा उपखनिज का परिपण कर ले जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ई–रवन्ना प्रपत्र एम0एम0–11 में पास जारी करेगा।
20. उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली–2023, मा0 न्यायालयों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों/दिशा निर्देशों तथा महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
21. उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली–2023 के अनुसार समस्त देय धनराशि पट्टाधारक द्वारा वित्तीय लेखाशीर्षक में जमा की जानी होगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव।

संख्या– /VII-A-1/2022/02(89)/2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उधमसिंहनगर।
4. श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल, निवासी–2–450/1, तुलसीनगर, पौलीसीट, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हनुमान प्रसाद तिवारी)
अपर सचिव।

संख्या–3055/VII-A-1/2023/02(3)/2019

से,

लक्ष्मण सिंह
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक: 20 दिसम्बर, 2023

विषयः गुरूनानक इन्टरप्राईजेज, सूद कॉलोनी, भोना इस्लामनगर, बाजपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर के पक्ष में जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, रकबा 7.74 है0 एवं मेरावराना, रकबा 4.85 है0, कुल क्षेत्रफल 12.59 है0 (जोकि राजस्व अभिलेखानुसार खसरा संख्या 40, रकबा 11.052 है0, खसरा संख्या 41 रकबा 10.123 है0, ग्राम मेरावराना खसरा संख्या 55/1 रकबा 11.734 है0, 55/1 रकबा 8.954 है0, ग्राम उकरौली एवं मेरावराना खसरा संख्या 38, कुल रकबा 84.406 है0 मध्ये भूमि रा0औ0वि0नि0 लि0, उत्तराखण्ड (सिडकुल) के नाम दर्ज है, का भाग है) उपखनिज क्षेत्र में खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु निर्गत आशय पत्र उपखनिज क्षेत्र में पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य वांछित अनुमतियाँ प्राप्त होने के उपरान्त खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 40/VII-1/19/02(03)/2019, दिनांक 05 फरवरी, 2019 द्वारा ई–निविदा सह ई–नीलामी के अन्तर्गत उच्चतम बोलीदाता गुरूनानक इन्टरप्राईजेज, सूद कॉलोनी, भोना इस्लामनगर, बाजपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर के पक्ष में जनपद ऊधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, खसरा संख्या 5, 12/2, 14/1 से 34, 38 से 40, 45, 46, 67 से 69, 74 से 76, 79 से 81 तक, क्षेत्रफल 40.50 है0 उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज के चुगान/खनन हेतु 05 वर्ष की अवधि हेतु चुगान/खनन पटट्ा स्वीकृत किये जाने हेतु 06 माह की अवधि हेतु कतिपय शर्तों के अधीन आशय पत्र (Letter of Intent) स्वीकृत किया गया है, जिसमें शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1993/VII-1/2019/2(3)/2019, दिनांक 4 नवम्बर, 2019 द्वारा 06 माह की अवधि हेतु किये गये नवीनीकरण तथा शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1450/VII-A-1/2021/2(3)/2019, दिनांक 25 अगस्त, 2021 द्वारा रकबा संशोधन किया गया है।

2. उक्त के सम्बन्ध में महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–4928/उ0ख0/भूखनि0नि0/ई0नि0सह0नी0/2023–24, दिनांक 19.12.2023 द्वारा, उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं शासनादेश संख्या 40/VII-1/19/02(03)/2019, दिनांक 05 फरवरी, 2019 द्वारा स्वीकृत आशय पत्र की अनुपालना आख्या के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ई–निविदा सह ई–नीलामी के अन्तर्गत उच्चतम बोलीदाता गुरूनानक इन्टरप्राईजेज, सूद कॉलोनी, भोना इस्लामनगर, बाजपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर के पक्ष में जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, रकबा 7.74 है0 एवं मेरावराना, रकबा 4.85 है0, कुल क्षेत्रफल 12.59 है0 (जोकि राजस्व अभिलेखानुसार खसरा संख्या 40, रकबा 11.052 है0, खसरा संख्या 41 रकबा 10.123 है0, ग्राम मेरावराना खसरा संख्या 55/1 रकबा 11.734 है0, 55/1 रकबा 8.954 है0, ग्राम उकरौली एवं मेरावराना खसरा संख्या 38, कुल रकबा 84.406 है0 मध्ये भूमि रा0औ0वि0नि0 लि0, उत्तराखण्ड (सिडकुल) के नाम दर्ज है, का भाग है) उपखनिज क्षेत्र में उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 में निहित प्रावधानानुसार स्वीकृत आशय

पत्र की शर्तों की अनुपालना में विलम्ब का वर्जन करते हुये 10 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. पट्टाधारक द्वारा प्रश्नगत उपखनिज क्षेत्र हेतु जारी निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों, उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. पट्टाधारक द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण के पत्र संख्या 96-01(203)/2021, दिनांक 29 अगस्त, 2023 के द्वारा निर्गत पर्यावरणीय अनुमति के अनुसार उपखनिज का चुगान कार्य अधिकतम 3.0 मीटर की गहराई अथवा भू-जल स्तर, जो भी कम हो, तक किया जायेगा।
3. पट्टाधारक द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण के पत्र संख्या 96-01(203)/2021, दिनांक 29 अगस्त, 2023 के द्वारा निर्गत पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा तथा पर्यावरणीय अनुमति की शर्त सं0-02(51) के क्रम में पर्यावरणीय अनुमति की छः माही अनुपालना आख्या (Compliance Report) की प्रति राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण उत्तराखण्ड देहरादून एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार देहरादून को उपलब्ध कराई जायेगी।
4. पट्टाधारक द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के पत्र संख्या 2767/खनन/भू0खनि0ई0/ई-निविदा/ मा0प्लान/2021-22, दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 के द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन/चुगान कार्य किया जायेगा।
5. पट्टाधारक द्वारा ई-निविदा सह ई-नीलामी में प्राप्त उच्चतम मात्रा के सापेक्ष अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरणीय अनुमति में स्वीकृत मात्रा 4,98,564 टन उपखनिज की निकासी की जायेगी तथा तद्नुसार निर्धारित मात्रा के सापेक्ष प्राप्त उच्चतम मूल्य के अनुसार वार्षिक पट्टा धनराशि निर्धारित की जायेगी।
6. राष्ट्रीय पार्क के सम्बन्ध में तत्समय प्रचलित प्राविधानों के अनुसार प्रश्नगत खनन क्षेत्र के दूरी में निर्धारित मानकों के अन्तर्गत पड़ने की दशा में खनन पट्टा क्षेत्र हेतु एन0बी0डब्ल्यू0एल0 की अनुमति पट्टाधारक द्वारा प्राप्त की जानी होगी।
7. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम-25(5) के अनुसार शासन, मा0 न्यायालयों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होगें।
8. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम-25(6) के अनुसार सफल बोलीदाता द्वारा खनन पट्टा के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही के दौरान आकस्मिक निधन अथवा गम्भीर आशक्त होने की दशा में अग्रेत्तर कार्यवाही उनके विधिक वारिस द्वारा की जा सकेगी।
9. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम-26(1) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति संबंधी आदेश जारी होने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा विलेख निष्पादन से पूर्व वार्षिक नीलामी पट्टा धनराशि की पच्चीस प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष पूर्व में प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में जमा एफ0डी0आर0 को विभागीय लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा, जिसका समायोजन पट्टे के अन्तिम वर्ष में वार्षिक पट्टा धनराशि के सापेक्ष किया जायेगा। नदीतल अवस्थित उपखनिजों के सम्बन्ध में महानिदेशक द्वारा जिला उपनिबन्धक द्वारा सूचित स्टाम्प शुल्क के आधार पर पट्टा विलेख निर्धारित प्रपत्र एम0एम0-06 में निष्पादित

किया जायेगा। पट्टाधारक द्वारा उक्त खनन पट्टा विलेख का पंजीकरण सम्बन्धित जनपद के जिला उपनिबन्धक अधिकारी से कराया जायेगा। पट्टाविलेख पंजीकरण के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा उसकी एक-एक प्रति निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म, सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी कार्यालय को एक सप्ताह के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जायेगी।

10. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम-26(2) के अनुसार स्वीकृत खनन/चुगान पट्टों की पट्टावधि की संगणना पट्टा विलेख निष्पादन के उपरान्त पंजीकरण की तिथि से नदीतल स्थित राजस्व/वन भूमि में अवस्थित उपखनिजों के खनन पट्टों हेतु अधेत्तर 05 वर्ष की अवधि एवं 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे 10 वर्ष की अवधि के लिये तथा स्वस्थाने प्रकृति के उपखनिज के खनन क्षेत्र हेतु 25 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे।

11. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम-44 के अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र में खनन संक्रियाओं हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish एवं Consent to operate प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।

12. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम-45 के अनुसार खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों, मा0 न्यायालयों, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/दिशा-निर्देशों के अधीन खनन संक्रियायें सम्पादित की जायेगी।

13. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम-50(2) के अनुसार चुगान पट्टा क्षेत्रों से खनिजों के परिवहन हेतु उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों का पंजीकरण भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में कराया जाना अनिवार्य होगा, जिस हेतु यदि राज्य सरकार के द्वारा कोई शुल्क निर्धारित किया जाता है तो वह वाहन स्वामी के द्वारा देय होगा।

14. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम-50(3) के अनुसार प्रत्येक पट्टाधारक/अनुज्ञापत्र धारक को चुगान कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वाणिज्यकर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपद स्तरीय कार्यालयों में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

15. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम-50(6) के अनुसार नदीतल उपखनिज क्षेत्रों में जे0सी0बी0, पोकलैण्ड, सैक्शन मशील, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन/चुगान कार्य नहीं किया जायेगा। परन्तु विशेष परिस्थितियों में जैसे पहुंच मार्ग का निर्माण किये जाने, क्षेत्र में बडे आकार के बोल्डर को हटाने, पट्टा क्षेत्र में फंसे वाहनों को निकालने आदि की दशा में अनुमति सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के द्वारा खान अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त प्रदान की जायेगी।

16. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम-50(9) के अनुसार पट्टाधारक पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों का विदोहन/परिवहन सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य करेगा।

17. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम-50(10) के अनुसार खनन पट्टा का आशय पत्र व खनन पट्टा के शासनादेश निर्गत होने के उपरान्त यदि आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उक्त खनन पट्टा का आशय पत्र व खनन पट्टा के शासनादेश आवेदनकर्ता के विधिक वारिस को सक्षम स्तर से निर्गत उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र तथा उक्त आवेदन हेतु इच्छुक होने का नोटराईज्ड अनुरोध शपथ पत्र निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में 03 माह की अवधि के अन्तर्गत प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत आशय पत्र/शासनादेश को निरस्त कर आवेदित क्षेत्र को रिक्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

18. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम-64 के अनुसार नियमावली के अधीन देय किसी धनराशि का भुगतान ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा राज्य सरकार तत्पश्चात निर्दिष्ट करे।
19. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम-70(1) के अनुसार खनिजों के परिवहन हेतु पट्टाधारक /अनुज्ञाधारकों को भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के ई-रवन्ना पार्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
20. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम-70(2) के अनुसार खनन पट्टाधारक द्वारा किसी गाड़ी, पशु या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा उपखनिज का परिवहन कर ले जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ई-रवन्ना प्रपत्र एम0एम0-11 में पास जारी करेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विक्रम सिंह)
अपर सचिव।

संख्या- /VII-A-1/2023/02(3)/2019, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, ऊधमसिंहनगर।
4. गुरूनानक इन्टरप्राईजेज, सूद कॉलोनी, भोना इस्लामनगर, बालपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हनुमान प्रसाद तिवारी)
अपर सचिव।

उत्तरांचल शासन

औद्योगिक विकास विभाग

संख्या :1187 /औ0वि0/2001-2219/2001

सचिवालय,देहरादून दिनांक30 अप्रैल-2001

अधिसूचना

चूँकि उत्तर प्रदेश उप- खनिज [परिहार] नियमावली-1963 उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम -2000 की धारा-86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में लागू है । अतः अब उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम-2000 [अधिनियम संख्या-29 सन् 2000] की धारा-87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल उत्तरांचल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश उप-खनिज [परिहार] नियमावली-1963 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अधीन अध्यधीन लागू रहेगा :-

उत्तरांचल उप-खनिज [परिहार] नियमावली- 2001 [अनुकूलन एवं उपान्तरण] आदेश-2001

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ

[1] यह आदेश उत्तरांचल उप-खनिज [परिहार] नियमावली -2001 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001 कहलायेगा ।

[2] यह तत्काल लागू होगा ।

2. उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :

उत्तर प्रदेश उप-खनिज [परिहार] नियमावली-1963 में जहाँ-जहाँ शब्द "उत्तर प्रदेश" आया है, वहाँ शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा ।

3. उपरोक्तानुसार प्रख्यापित उत्तरांचल उप-खनिज [परिहार] नियमावली-2001 के नियम-1 में उपधारा-5 निम्नवत् जोड़ दिया जायेगा :-

" यह नियमावली राज्य-सरकार द्वारा सरकारी विभागों, सरकारी निगमों या कानूनी निगमों से खनन् कार्य को कराने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी । "

.....2

4. उपरोक्तानुसार प्रख्यापित उत्तरांचल उप खनिज (परिहार) नियमावली-2001 के नियम-3 के उपनियम-2 में कोई से पहले निम्नवत् जोड़ दिया जायेगा :-

"जहाँ पर खनन् कार्य सरकारी विभाग, सरकारी निगमों या कानूनी निगमों द्वारा किया जा रहा हो, को छोड़कर "

आज्ञा से,

एन0एन0 प्रसाद
सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या 1870(1)/औ0वि0/2001 तद्दिनांकित :

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की जिला-हरिद्वार को सरकारी गजट में प्रकाशनार्थ ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तरांचल ।
4. गार्ड-फाइल ।

आज्ञा से,

(दया राम)
अपर सचिव ।

खण्ड – एक

उत्तर प्रदेश उप–खनिज (परिहार) नियमावली – 1963

उत्तर प्रदेश सरकार उद्योग (च) विभाग

विज्ञप्ति, 26 अगस्त, 1963 इं.

1575–एम / 18–ख–माइन्स एण्ड मिनरल्स् (रेगूलेशन एण्ड डेवलपमेन्ट) एक्ट, 1957 (एक्ट संख्या 67/ 1957) की धारा–15 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्

उत्तर प्रदेश उप–खनिज (परिहार) नियमावली, 1963

अध्याय – 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार, प्रारंभ और प्रयुक्ति :**

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उप–खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 [Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules; 1963]

(2) इनका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) वे गज़ट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रचलित होगें।

(4) यह राज्य में उपलब्ध समस्त उपखनिजों पर प्रवृत्त होगी। (20 वाँ संशोधन)

(5) यह नियमावली राज्य सरकार द्वारा सरकारी विभागों, सरकारी निगमों या कानूनी निकायों से

2. **परिभाषायें : जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :**

(1) 'अधिनियम'' का तात्पर्य माइन्स एण्ड मिनरल्स् (रेगूलेशन एण्ड डेवलपमेन्ट) एक्ट, 1957 (एक्ट संख्या 67 आफ 1957) से हैं।

*(1–क) ''समिति'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा सरकारी अधिसूचना संख्या – 4343 / 18–20–90–601 / 87 दिनांक 29 अगस्त, 1990 द्वारा गठित समिति से है, जिसमें जिला अधिकारी अध्यक्ष और निदेशक के प्रतिनिधि तथा प्रभागीय वन अधिकारी सदस्य होगें और जिसे राज्य सरकार ने नियम 71 के अधीन आरक्षित वन क्षेत्रों के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजित कर दी हों।

(* 20 वाँ संशोधन)

* (1–ख) ''निदेशक'' का तात्पर्य निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश से है।

(* 20 वाँ संशोधन)

(2)''जिला अधिकारी'' से तात्पर्य उस जिले के कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर से है जिसमें भूमि स्थित है।

खनन कार्य को कराने के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी।

(3) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली की तृतीय अनुसूची में दिये गये प्रपत्र से है।

✱ (3–क) ''स्वस्थाने चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप'' का तात्पर्य चट्टानों के रूप में पाये जाने वाले खनिज से है और जो अपनी उत्पत्ति के स्थान से विस्थापित न हुआ हो।

(✱ 20 वाँ संशोधन)

(4) 'खनन'' और ''स्वामी'' के वही अर्थ होगें जो माइन्स एक्ट 1952 (एक्ट, संख्या 35, 1952) में दिये गये है।

(5) ''खनन सक्रियाओं'' का तात्पर्य किसी उप–खनिज को लब्ध करने के प्रयोजन के लिये की गई संक्रियाओं (operations) से है।

(6) ''खनन अनुज्ञा–पत्र'' का तात्पर्य उस अनुज्ञा–पत्र (परमिट) से है जो इन नियमों के अधीन अनुज्ञा–पत्र में नियत अवधि के भीतर उप–खनिज की निर्दिष्ट मात्रा को निकालने के लिये दिया गया हो।

(7) ''उप–खनिजों'' का तात्पर्य इमारती पत्थर, बजरी (gravel), मामूली मृदा (clay), नियत प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू (sand) से भिन्न मामूली बालू अथवा किसी ऐसे खनिज से है जिसे केन्द्रीय सरकार ने समय–समय पर घोषित किया है या जिसके उप–खनिज होने के बारे में माइन्स एण्ड मिनरल्स् (रेगूलेशन एण्ड डेवलपपमेंट) एक्ट, 1957 (1957 की एक्ट संख्या 67) की धारा–3 के खण्ड (e) के अधीन सरकारी गज़ट में विज्ञप्ति द्वारा घोषित करें।

✱ (7–क)''खनिमुख मूल्य'' का तात्पर्य खनिमुख पर मूल्य या उत्पादन के बिन्दु पर मूल्य उपखनिज के विक्रय–मूल्य से है।

(✱ 20 वाँ संशोधन)

(8) ''रेलवे'' और ''रेलवे के प्रशासन'' के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके लिये इण्डियन रेलवेज एक्ट, 1890 (एक्ट संख्या 9, 1890) में दिये गये हैं।

(9) ''अनुसूची'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची से है।

(10) ''राज्य'' और ''राज्य सरकार'' का तात्पर्य क्रमशः उत्तर प्रदेश राज्य और उत्तर प्रदेश सरकार से है।

3. खनन संक्रियायें, खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा–पत्र के अधीन होंगी :–

(1) कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी क्षेत्र में किसी ऐसे उप–खनिज की, जिस पर यह नियमावली प्रयोज्य हो, इस नियमावली के अधीन दिये गये खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा–पत्र की शर्तों पर प्रतिबन्धों के अधीन और उनके अनुसार के अतिरिक्त कोई खनन संक्रियायें न कर सकेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी बात का प्रभाव इस नियमावली में प्रारम्भ होने के पूर्व यथाविधि दिये गये खनन पट्टा या अनुज्ञा–पत्र की शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अनुरूप की गई खनन सक्रियायों पर न पड़ेगा।

(2)✗ कोई खनन पट्टा या खनन अनुज्ञा–पत्र इस नियमावली के उपबन्धों से भिन्न प्रकार न दिया जायेगा।

✗ जहाँ पर खनन कार्य सरकारी विभाग, सरकारी निगमों या कानूनी निगमों द्वारा किया रहा हो को छोड़कर

अध्याय – 2

खनन पट्टे का दिया जाना

4. खनन पट्टे के दिये जाने पर निर्बन्धन :

खनन पट्टा किसी ऐसे व्यक्ति को न दिया जायेगा जो भारतीय राष्ट्रिक न हो।

स्पष्टीकरण :– इस नियम के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति भारतीय राष्ट्रिक समझा जायेगा :–

(क) कम्पनीज़ एक्ट, 1956 में यथा परिभाषित "public company" (सार्वजनिक कम्पनी) की दशा में, केवल उस स्थिति में जब कम्पनी के अधिकांश निदेशक भारत के नागरिक हों और उसकी अंशपूजीं का कम से कम इक्यावन प्रतिशत ऐसे व्यक्ति धारण करते हों, जो या तो भारत के नागरिक हो या कम्पनीज़ एक्ट, 1956 में यथा परिभाषित "companies" (कम्पनियाँ) हों।

(ख) कम्पनीज़ एक्ट 1956 में यथा परिभाषित "private company" (निजी कम्पनी) की दशा में केवल उस स्थिति में जब कम्पनी के सभी सदस्य भारत के नागरिक हों।

(ग) फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ (other association of individuals) की दशा में, केवल उस स्थिति में जब फर्म के सभी सदस्य भारत के नागरिक हों, और

(घ) किसी व्यक्ति विशेष की दशा में, केवल उस स्थिति में जब वह भारत का नागरिक हो।

***5. खनन पट्टा दिये जाने या उसके नवीकरण के लिये प्रार्थना पत्र :**

(1) खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम.एम. 1 में या उसके नवीकरण के लिये प्रपत्र एम.एम. 1 (क) में राज्य सरकार को सम्बोधित किया जायेगा।

(2) उपनियम (1) में अभिदिष्ट प्रार्थना पत्र जिला अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी को चार प्रत्तियों में दिया जायेगा। ऐसा अधिकारी सभी चारों प्रत्तियों में, प्रार्थना पत्र की प्राप्ति, उसकी प्राप्ति का स्थान, समय और दिनांक लिखकर पृष्ठाकित करेगा। उसकी एक प्रति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को तुरन्त लौटा दी जायेगी।

(3) उप नियम (1) में अभिदिष्ट प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम.एम. – 2 में खनन पट्टों के लिये प्रार्थना पत्रों के रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। (* 20 वां संशोधन)

▲*6. खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना–पत्र शुल्क और जमा :

(1) खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रत्येक प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित होगा :–

(क) एक हजार रुपये का शुल्क,

(ख) नियम 17 में विनिर्दिष्ट व्ययों से भिन्न अन्य प्रारम्भिक व्ययों को पूरा करने के लिये दो हजार रुपये की जमा और

(ग) भू–कर सर्वेक्षण मानचित्र (कैडेस्ट्रल सर्वेमैप) की चार प्रतियाँ, जिसमें वह क्षेत्र, जिसके लिये प्रार्थना–पत्र दिया गया है, स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो और भू–कर सर्वेक्षण के

अन्तर्गत न आने वाले ऐसे क्षेत्र की स्थिति में धरातल सर्वेक्षण मानचित्र (टोपोग्राफिकल सर्वे मैप), ऐसे पैमाने पर, जिसमें कम से कम 4" = 1 मील हो, की चार प्रतियाँ, जिसमें वह क्षेत्र जिसके लिये प्रार्थना पत्र दिया गया है, ठीक–ठीक चिन्हांकित हो।

(घ) जिला अधिकारी या ऐसे अधिकारी द्वारा जो जिला अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कियाजाय, जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि प्रार्थी के विरूद्ध कोई खनन देय राशि बकाया नहीं है :–

प्रतिबन्ध यह है कि जहां प्रार्थी ने यह कथन करते हुये कि राज्य क्षेत्र के भीतर वह कोई खनन पट्टा या कोई अन्य खनिज परिहार धारित नहीं करता है या धारित नही किया था, राज्य सरकार के सन्तोषानुसार शपथपत्र दे दिया है, वहाँ ऐसे प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(ड़) जहां प्रार्थना पत्र बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली–जुली अवस्था में उपलब्ध हो, वहां आवेदक की जाति और निवास का प्रमाण पत्र।

(2) यदि प्रार्थना पत्र किसी प्रकार से पूरा नहीं है या उसके साथ उप नियम (1) में उल्लिखित शुल्क जमा या अभिलेख नहीं है, तो जिला अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी नोटिस द्वारा प्रार्थी से, ऐसे समय के भीतर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रार्थना पत्र को सभी प्रकार से पूरा करने या शुल्क जमा करने या अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा करेगा और वह दिनांक जब प्रार्थना पत्र सभी प्रकार से पूरा हो, नियम 9 के प्रयोजन के लिये प्रार्थना पत्र की प्राप्ति का दिनांक समझा जायेगा।

(*20वां संशोधन ▲21वां संशोधन)

***6.क खनन पट्टा के नवीकरण के लिये प्रार्थना पत्र शुल्क आदि :**

खनन पट्टा के नवीकरण के लिये प्रार्थना–पत्र, पट्टे की अवधि की समाप्ति के दिनांक से, कम से कम छः माह पूर्व, पट्टे द्वारा धृत क्षेत्र के मानचित्र, जिसमें वह क्षेत्र स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो, जिसके नवीकरण के लिये प्रार्थना की गई हो, की चार प्रतियों सहित दिया जा सकेगा और नियम 6 के उपनियम (1) खण्ड (क) और (ख) के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(* 20 वां संशोधन)

***7. जाँच और प्रतिवेदन :**

जिला अधिकारी, जब तक कि वह खनन पट्टा देने या उसका नवीकरण करने के लिये प्राधिकृत न हो, सभी सुसंगत मामलों की जाँच करायेगा और खनन पट्टे का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के दिनांक से दो माह के भीतर प्रार्थना पत्र की दो प्रतियाँ अपने प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार या ऐसे अन्य प्राधिकारी को भेजेगा जिसे राज्य सरकार तदर्थ प्राधिकृत करे।

(* 20 वां संशोधन)

***8. प्रार्थना पत्र का निस्तारण :**

(1) राज्य सरकार या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत प्राधिकारी, इस नियमावली के उपबंधों के

अधीन रहते हुये और ऐसी अग्रेतर जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् :–

(क) खनन पट्टे के लिये प्रार्थना पत्र की स्थिति में या तो प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर सकती है या आवेदित क्षेत्र के पूरे या उसके किसी भाग के लिये ऐसी अवधि के लिये, जैसी वह उचित समझें, खनन पट्टा स्वीकृत कर सकती है।

(ख) खनन पट्टे के नवीकरण के लिये प्रार्थना पत्र की स्थिति में या तो प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर सकती है या आवेदित क्षेत्र के सम्पूर्ण या उसके किसी भाग के लिये और मूल पट्टे की अवधि से अनधिक ऐसी अवधि के लिये, जो वह उचित समझे, खनन पट्टे का नवीकरण कर सकती है।

प्रतिबंध यह है कि जब खनन पट्टा देने या उसके नवीकरण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है या क्षेत्र में कमी की जाती है तो उसके कारण अभिलिखित किये जायेगे और आवेदक को संसूचित किये जायेंगे।

(2) किसी प्रार्थना पत्र को

(क) खनन पट्टे का प्रार्थना पत्र, यथास्थिति, उसकी प्राप्ति के दिनांक से या उस दिनांक से जब उसे नियम 6 के उप नियम (2) के अधीन प्राप्त हुआ समझा गया हो, छः माह के भीतर निस्तारित किया जायेगा और यदि वह उक्त अवधि में निस्तारित नहीं किया जाता है तो खनन पट्टा अस्वीकार कर दिया गया समझा जायेगा।

(ख) खनन पट्टे के नवीकरण के लिये प्रार्थना पत्र उसकी प्राप्ति के दिनांक से चार माह के भीतर निस्तारित किया जायेगा और यदि उक्त अवधि में निस्तारित नहीं किया जाता है तो खनन पट्टा अपनी अवधि की समाप्ति से छः माह के लिये नवीकृत किया गया समझा जायेगा। पट्टे के नवीकरण की स्थिति में वह मूल पट्टे की समाप्ति के दिनांक से प्रारम्भ होगा। (* 20 वां संशोधन)

***9 – कतिपय व्यक्तियों के अधिमानी अधिकार :**

(1) जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने एक ही भूमि के संबंध में खनन पट्टे के लिये आवेदन कियाहो, वहाँ उस प्रार्थी को जिसका प्रार्थना पत्र अपेक्षाकृत पहले प्राप्त हुआ हो, उस आवेदक के, जिसका प्रार्थना पत्र बाद में प्राप्त हुआ है, ऊपर पट्टा दिये जाने का आधिमानी अधिकार होगा। प्रतिबंध यह है कि जहां ऐसे प्रार्थना पत्र एक ही दिन प्राप्त हुये हों, वहां राज्य सरकार उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट बातों पर विचार करने के पश्चात् खनन पट्टा प्रार्थियों में से किसी एक ऐसे प्रार्थी को दे सकती है जिसे वह उचित समझे।

(2) उपनियम (1) में अभिदिष्ट बातें :

(क) प्रार्थी का खनन संक्रियाओं में विशिष्ट ज्ञान अथवा अनुभव;

(ख) प्रार्थी के वित्तीय संसाधन;

(ग) प्रार्थी द्वारा सेवायोजित या सेवायोजित किये जाने वाले प्राविधिक कर्मचारी वर्ग (स्टाफ) की प्रकृति और गुणवत्ता;

(घ) किसी पूर्व पट्टे या अनुज्ञा पत्र के आधार पर खनन संक्रियाओं को कार्यान्वित करने में और ऐसे पट्टे या अनुज्ञा पत्र की शर्तों या उसके संबंध में किसी विधि के उपबंधों का पालन करने में प्रार्थी का आचरण; और

(ड.) ऐसे अन्य बातें जो राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझी जायें;

(3) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुये भी किन्तु उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन रखते हुये राज्य सरकार किन्ही विशेष कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी ऐसे प्रार्थी को जिसका प्रार्थना पत्र पहले प्राप्त हुआ हो, अधिमान में, किसी ऐसे प्रार्थी को, जिसका प्रार्थना पत्र वाद में प्राप्त हुआ हो पट्टा दे सकती है। (* 20 वां संशोधन)

***▲ 9–क–बालू आदि के सम्बन्ध में कतिपय व्यक्तियों के अधिमानी अधिकार :**

(1) नियम 9 में किसी बात के होते हुये भी, नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाने वाली बालू या मौरंग या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिलीजुली अवस्था में हो, के लिये खनन पट्टे के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को चाहें वह निगमित हो अथवा नहीं, निम्न लिखित क्रम में अधिमान दिया जायेगा।

(क) जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से नागरिकों के पिछड़े वर्गों के हों, और वृत्ति के रूप में बालू या मोरंग के उत्खनन कार्य में लगे हों, और उसी जिले के निवासी हो, जिसमें वह क्षेत्र, जिसके लिये पट्टे का आवेदन किया गया है, स्थित हो।

(ख) जिन्होंने राज्य में उपर्युक्त उप खनिज पर आधारित उद्योग स्थापित किया हो या स्थापित करने का इरादा रखते हों।

स्पष्टीकरण :– खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिये नागरिकों के सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के ऐसे नागरिक जो वृत्ति के रूप में बालू या मोरग के उत्खनन कार्य में लगे व्यक्तियों का तात्पर्य मल्लाह, केवट, बिन्द, निषाद, मांझी, बाथम, धीवर, थेमर, चाई, सोरहिया, तुरहा, रैकवार, केबर्त, खुलवट, तियार, गौड़िया, गौड़िया और कश्यप से है और इसमें ऐसे व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस रूप में सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा विशिष्ठित किया जाय।

(2) जहां उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट कोटि के दो या दो से अधिक व्यक्तियों या व्यक्तियों के निकाय ने एक ही भूमि के सम्बन्ध में खनन पट्टे के लिये आवेदन किया हो, वहां उस प्रार्थी का, जिसका प्रार्थना पत्र अपेक्षाकृत पहले प्राप्त हुआ हो, अधिमानी अधिकार होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसे प्रर्थना पत्र एक ही दिन प्राप्त हुये हों, वहां अधिमान का विनिश्चय लाट निकाल कर किया जायेगा। (* 20 वां एवं ▲ 21 वां संशोधन)

10. अधिकतम क्षेत्र जिसके लिये खनन पट्टा दिया जा सकता है :

कोई व्यक्ति किसी उप–खनिज के सम्बन्ध में, एक या एक से अधिक ऐसे खनन पट्टे अर्जित न करेगा जिनके अन्तर्गत कुल क्षेत्र तीस एकड़, से अधिक हो।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित. में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी व्यक्ति को एक या एक से अधिक खनन पट्टे जिनके अन्तर्गत उपर्युक्त अधिकतम तीस एकड़, से अधिक का क्षेत्र हो, अर्जित करने की अनुमति दे सकती है।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजनों के लिये यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा या दूसरे व्यक्ति के नाम से ऐसा खनन पट्टा अर्जित करे जो स्वयं उसके ही लिये अभिप्रेत हो, तो यह समझा जायेगा कि वह उसे स्वयं अपने लिये अर्जित कर रहा है।

11. पट्टे पर दिये जाने वाले क्षेत्र की लम्बाई और चौड़ाई :

खनन पट्टे के अधीन किसी क्षेत्र की लम्बाई साधारणतया उसकी चौड़ाई के चार गुने से अधिक न हो।

12. खनन पट्टे की अवधि :

(1) उप नियम (2) में की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये, वह अवधि जिसके लिये खनन पट्टा दिया जा सकता है, दस वर्ष से अधिक न होगी।

(2) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी अवधि के लिये खनन पट्टे दे सकती है, जो 10 वर्ष से अधिक हो किन्तु 15 वर्ष से अधिक न हो।

***13. प्रतिभूति जमा :–** नियम 14 में अभिदिष्ट विलेख के निष्पादन के पूर्व खनन पट्टे का प्रार्थी पट्टे के निबन्धनों और शर्तों के उचित पालनके लिये 2000/– रुपये (दो हजार रुपये) की निम्नतम सीमा के अधीन वार्षिक अपरिहार्य भाटक (डेड रेंट) या पट्टाकृत क्षेत्र की वार्षिक पट्टा धनराशि के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि प्रतिभूति के रूप में, उस प्रकार जमा करेगा, जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा विर्निदिष्ट करे। ऐसी प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज देय न होगा।

(*20 वां संशोधन)

***▲14. पट्टा विलेख तीन मास के भीतर निष्पादित किया जायेगा :–**

(1) यदि बालू, मौरम बजरी, और बोल्डर के लिये खनन पट्टा से भिन्न, खनन पट्टा दिये जाने की अनुमति दे दी गई हो तो प्रपत्र एम.एम.–3 में या लगभग उसके समान प्रपत्र में जैसा कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों से अपेक्षित हो, उक्त आज्ञा की सूचना के दिनांक से तीन मास के भीतर, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जिसकी राज्य सरकार तदर्थ अनुमति दे, पट्टा विलेख निष्पादित किया जायेगा और यदि प्रार्थी की ओर से किसी चूक के कारण उक्त अवधि के भीतर ऐसा पट्टा विलेख निष्पादित न किया जाय तो राज्य सरकार पट्टा देने की अनुमति को रद्द कर सकती है और उस दशा में प्रार्थना पत्र शुल्क और प्रतिभूति धनराशि राज्य सरकार के प्रति जब्त हो जायेगी।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट खनन पट्टे के प्रारम्भ होने का दिनांक वह दिनांक होगा जब उक्त

उप नियम के अधीन विलेख निष्पादित किया जाय।

(3) यदि बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली–जुली अवस्था में हो, के लिये खनन–पट्टा दिये जाने का आदेश दे दिया गया हो, वहां वार्षिक पट्टा धनराशि का पच्चीस प्रतिशत, आदेश के दिनांक से सात दिन के भीतर या सात दिन से अनधिक ऐसी अग्रतर अवधि के भीतर जैसी जिला अधिकारी अनुमति करे, जमा कर दी जायेगी और प्रपत्र एम.एम. 3 में या लगभग उसके समान प्रपत्र में, जैसा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, एक पट्टा विलेख, उक्त आदेश के संसूचना के दिनांक से एक माह के भीतर या ऐसी अग्रतर अवधि के भीतर, जैसी राज्य सरकार तदर्थ अनुमति करे, निष्पादित कर दिया जायेगा।

बालू एवं मोरम के संबंध में वार्षिक पट्टा धनराशि उस क्षेत्र से विगत तीन वर्षों में प्राप्त धनराशि के औसत के आधार पर या ऐसे क्षेत्र से पूर्ववती वर्ष में प्राप्त धनराशि जो भी उच्चतर हो निर्धारित की जायेगी और बालू, बजरी और बोल्डर या इनमें से जो भी मिली–जुली अवस्था में हो, उन क्षेत्रों में पूर्ववर्ती तीन वर्षों में प्राप्त अधिकतम आय के आधार पर निर्धारित की जायेगी। यदि प्रार्थी की और से किसी चूक के कारण उपर्युक्त अवधि में पट्टा धनराशि जमा नहीं की जाती है या फट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार पट्टा देने वाले आदेश को प्रतिसंहृत (रद्द) कर सकती है और उस दशा में प्रार्थना पत्र शुल्क प्रतिभूति धनराशि राज्य सरकार के प्रति जब्त हो जायेगा।

(4) उप नियम (3) में विनिर्दिष्ट खनन पट्टे के प्रारम्भ होने का दिनांक उक्त उप नियम के अधीन विलेख निष्पादित किये जाने का दिनांक या वास्तविक रूप से खनन संक्रिया प्रारम्भ किये जाने का दिनांक, इनमें से जो भी पहले हो, होगा।

(5) उप नियम (3) में निर्दिष्ट नीचे अनुसूची के स्तम्भ–1 में उल्लिखित एक वर्ष की अवधि के भीतर स्वीकृत पट्टे की स्थिति में वार्षिक पट्टा धनराशि पट्टे की अवधि के प्रथम तथा अनुवर्ती वर्षों के लिये वार्षिक पट्टा धनराशि के ऐसे प्रतिशत की किश्तों में और ऐसे दिनांक के पूर्व, जो उसके संबंधित स्तम्भ में प्रत्येक के सामने उल्लिखित है, जमा की जायेगी, अर्थात :

(*20 वां एवं ▲21 वां संशोधन)

▲ जमा की अनुसूची

अवधि जिसमें पट्टा दिया जाय।	उपनियम (3) के अधीन जमा पट्टा धनराशि का प्रतिशत	प्रथम वर्ष की किश्तें			अनुवर्ती वर्षों की किश्तें		
1	2	3			4		
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
जनवरी से मार्च	25%	25%	25%%	25%	50%	25%	25%
		1 जुलाई	1 अक्टूबर	1 जनवरी	1 अप्रैल	1 अक्टूबर	1 जनवरी

अप्रैल से जून	25%	25%	50%	–	25%	25%	50%
		1 अक्टूबर	1 जनवरी	–	1 अक्टूबर	1 जनवरी	1 अप्रैल
जुलाई से सितम्बर	25%	25%	50%	–	25%	25%	50%
		1 जनवरी	1 अप्रैल	–	1 अक्टूबर	1 जनवरी	1 अप्रैल
अक्टूबर से दिसम्बर	25%	50%	25%	–	25%	25%	50%
		1 अप्रैल	1 जुलाई	–	1 अक्टूबर	1 जनवरी	1 अप्रैल

(*20 वां एवं ▲21 वां संशोधन)

***15. शुल्क की वापसी :**

(1) यदि खनन पट्टा दिये जाने के लिये अथवा उसके नवीकरण के लिये प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया जाये तो नियम 6 के उपनियम (1) या नियम 6–क के अधीन प्रार्थी द्वारा दिया गया शुल्क उसको वापस कर दिया जायेगा।

(2) यदि नियम 6 के उप नियम (1) के खण्ड (ख)के अधीन जमा की गई धनराशि पूर्णतः या अंशतः उक्त खण्ड में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये व्यय न की गई हो तो वह प्रार्थी को वापस कर दी जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये व्यय की जाने वाली धनराशि उसके अधीन जमा की गई धनराशि से अधिक हो, तो प्रार्थी को ऐसी अतिरिक्त धनराशि जमा करनी पड़ेगी जो राज्य सरकार निश्चित करे।

(3) यदि राज्य सरकार किसी विशेष मामले के तथ्यों को ध्यान में रखकर अन्यथा आदेश न दे, प्रार्थना–पत्र शुल्क, प्रार्थना–पत्र के वापस लिये जाने पर, वापस न किया जायेगा।

(4) उपनियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुये भी, यदि खनन पट्टा दिये जाने के लिये या उसके नवीकरण के लिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से किसी चूक के कारण अस्वीकार कर दियाजाये तो प्रार्थना–पत्र शुल्क और प्रारम्भिक व्यय वापस नहीं किया जायेगा और राज्य सरकार के प्रति जब्त हो जायेगा।

(* 20 वां संशोधन)

***16. पट्टे की समाप्ति पर निर्बन्धन :**

कोई भी पट्टेदार राज्य सरकार को कम से कम छः माह की लिखित नोटिस देने के पश्चात ही खनन पट्टा समाप्त करेगा।

(*20 वां संशोधन)

***17. पट्टे पर दिये गये क्षेत्र का सर्वेक्षण :**

(1) जब खनन पट्टा दिया जाये तो निदेशक द्वारा पट्टे पर दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन का प्रबन्ध किया जायेगा जिसके लिये पट्टेदार से निम्नलिखित दर से प्रभार लिया जायेगा :

(क) मैदानी क्षेत्र में :

(एक) 10 हैक्टेयर तक के क्षेत्र के लिये 1000.00 रुपये।

(दो) 10 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिये 100.00 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से किन्तु कम से कम 1,200.00 रुपये।

(ख) पर्वतीय क्षेत्रों में :

(एक) 10 हैक्टेयर तक के क्षेत्र के लिये 1600.00 रुपये।

(दो) 10 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिये 160.00 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से किन्तु कम से कम 2,000.00 रुपये।

(2) पट्टेदार, उसे पट्टा दिये जाने के पश्चात् ट्रेजरी चालान द्वारा सीमांकन प्रभार देगा और पट्टे पर दिये गये क्षेत्र का जिला अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक मानचित्र संबंधित खान अधिकारी को या ऐसे अधिकारी को, जिसे निदेशक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, प्रस्तुत करेगा। खान अधिकारी या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी प्रमाणित मानचित्र प्राप्त होने और सन्तुष्ट होने पर कि सीमांकन प्रभार जमा कर दिया गया है, ऐसी प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमांकन कर देगा।

(3) खान अधिकारी या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी, क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के प्रयोजनार्थ जिले के राजस्व और वन विभाग के ऐसे अधिकारी की सहायता ले सकता है जैसा वह आवश्यक समझे।

(4) यदि क्षेत्र के सीमांकन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो मामला निदेशक को अभिदिष्ट कर दिया जायेगा, जो पक्षकारों की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात मामले का विनिश्चय करेगा।

(5) उपनियम (1) के अधीन निदेशक का विनिश्चय अन्तिम होगा। (* 20 वां संशोधन)

18. भूतल के नीचे की सीमायें :

खनन पट्टे के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की सीमायें भूतल के नीचे पृथ्वी के केन्द्र की ओर अधोदिशा (vertically) में होगी।

***19. पट्टे का संक्रमण :**

(1) पट्टेदार –

(क) किसी खनन पट्टे को या उसमें किसी अधिकार, स्वत्व या हित को न तो अभ्यर्पित करेगा, न शिकमी पर देगा, न बंधक रखेगा और न किसी अन्य रीति से उसका संक्रमण करेगा, या

(ख) न तो कोई प्रबंध, संविदा या समझौता करेगा, जिसके द्वारा पट्टेदार पर्याप्त मात्रा में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा वित्त पोषित किया जा सकता है, या जिससें खनन संक्रियायें किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय द्वारा पर्याप्त रूप से नियंत्रित की जा सकती है।

प्रतिबंध यह है कि पट्टेदार राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से और ऐसी शर्तों और निवर्बन्धनों के अधीन, जैसा राज्य सरकार द्वारा आरोपित की जाय, खनन पट्टे या उसमें किसी

अधिकार, स्वत्व या हित को राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणधीन किसी वित्त निगम अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा (2) के खण्ड (क) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या बैंकिग कम्पनीय (उपक्रमों या अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की प्रथम अनुसूची के स्तम्भ – 2 में विनिर्दिष्ट किसी बैंक को बंधक कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को अभ्यर्पित कर सकता है।

(2) यदि राज्य सरकार की राय में पट्टेदार ने खनन पट्टे को या उसमें किसी अधिकार स्वत्व या हित को अभ्यर्पण, शिकमी, बंधक द्वारा या किसी अन्य रीति से किसी को संक्रमित कर दिया है या राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई प्रबन्ध, संविदा या समझौता करा लिया है या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ विनिर्दिष्ट किसी शर्त या निबंन्धन का उल्लघंन किया है तो राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा किसी भी समय किसी पट्टे को समाप्त कर सकती है।

(* 20 वां संशोधन)

20. रजिस्टर :

जिला अधिकारी के कार्यालय में निम्नलिखित रजिस्टर रखे जायेगें :–

(क) प्रपत्र एम.एम. 2 में खनन पट्टों के लिये प्रार्थना–पत्रों का रजिस्टर, और

(ख) प्रपत्र एम.एम. - 4 में खनन पट्टों का रजिस्टर।

अध्याय – 3

स्वामित्व (रायल्टी) और अपरिहार्य भाटक का भुगतान

▲ 21 स्वामित्व :

(1) इस नियमावाली के लागू होने के दिनांक को या उसके पश्चात् दिये गये खनन पट्टे का धारक, किसी ऐसे खनिज के संबंध में जिसे उसने पट्टे पर दिये गये क्षेत्र से निकाला हो, इस नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय निर्दिष्ट दरों पर स्वामित्व का भुगतान करेगा।

(2) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी खनिज के स्वामित्व (Royalty) की दर को ऐसे दिनांक से जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाये, शामिल करने या बहिष्कृत करने अथवा बढ़ाने या घटाने के लिये प्रथम अनुसूची को संशोधित कर सकती है।

प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकार किसी खनिज के संबंध में स्वामित्व की दर को तीन वर्ष की किसी अवधि में एक बार से अधिक नहीं बढ़ायेगी और स्वामित्व की दर को खनिमुख मूल्य (Pits mouth value) के 20 प्रतिशत से अधिक पर निश्चित नहीं करेगा।

(3) यदि खनिज के खनिमुख मूल्य पर स्वामित्व लिया जाने वाला हो तो राज्य सरकार ऐसे मूल्य का निर्धारण पट्टा देते समय कर सकती है और स्वामित्व की दर पट्टा बिलेख में उल्लिखित

की जायेगी। राज्य–सरकार वर्ष में अधिक से अधिक एक बार खनिमुख मूल्य का पुनः निर्धारण कर सकेगी, यदि वह इसका बढ़ाया जाना आवश्यक समझे। (▲ 21 वां संशोधन)

***22. अपरिहार्य भाटक :**

खनन पट्टे का धारक पट्टे की अवधि में पट्टे के प्रत्येक वर्ष के लिये अपरिहार्य भाटक के रूप में, ऐसे धनराशि का किस्तों में अग्रिम रूप से भुगतान करेगा, जैसी इस नियमावली की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित दरों पर राज्य सरकार द्वारा पट्टा विलेख में विनिर्दिष्ट की जायें, और यदि पट्टे की शर्तें उसी क्षेत्र में एक से अधिक खनिज निकालने की अनुमति देती है तो ऐसे प्रत्येक खनिज के लिये उक्त अपरिहार्य भाटक का भुगतान पृथक–पृथक रूप से किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि पट्टेदार प्रत्येक खनिज के संबंध में अपरिहार्य भाटक या स्वामित्व (रायल्टी) की धनराशि का, जो भी अधिक हो देनदार होगा किन्तु दोनों का नहीं। (* 20 वां संशोधन)

अध्याय – 4

नीलाम – पट्टा

■ 23. नीलाम/निविदा/नीलाम एवं निविदा पट्टे के लिये क्षेत्र की घोषणा :

(1) राज्य सरकार सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसी किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की, जिसे या जिन्हें नीलाम करके निविदा द्वारा या नीलाम एवं निविदा द्वारा पट्टे पर दिया जा सकता है, घोषणा कर सकती है।

(2) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों के अधीन रहते हुये, किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों को एक बार में पांच वर्ष से अधिक के लिये नीलाम करके या निविदा द्वारा या नीलाम एवं निविदा द्वारा पट्टे पर नहीं दिया जायेगा।

किन्तु प्रतिबंध यह है कि एक बार में स्वस्थाने चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप के सम्बन्ध में अवधि पांच वर्ष और नदी तल खनिज निक्षेप के सम्बन्ध में एक वर्ष होगी।

(3) उप नियम (1) के अधीन किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की घोषणा किये जाने पर, इस नियमावली के अध्याय 2, 3 और 6 के उपबन्ध उस क्षेत्र अथवा क्षेत्रों पर लागू नहीं होगे जिसके या जिनके सम्बन्ध में घोषणा जारी कर दी गई है। ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को इस अध्याय में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पट्टे पर दिया जा सकता है।

(4) जिला अधिकारी, उप नियम (1) के अधीन घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा यथास्थिति, नीलाम या निविदा या नीलाम एव निविदा के लिये निर्धारित दिनांक के पूर्व न्यूनतम बोली या प्रस्ताव निर्धारित करने के लिये खनिज के गुण और मात्रा का मूल्यांकन करायेगा। (■ 17 वां संशोधन)

11.	पट्टे पर दिये जाने वाले क्षेत्र की लम्बाई और चौड़ाई Length and breadth of the area to be leased.	13-14
12.	खनन पट्टे की अवधि Period of mining lease.	13-14
13.	प्रतिभूति जमा Security deposit.	13-14
14.	पट्टा विलेख तीन मास के भीतर निष्पादित किया जायेगा Lease deed to be executed within three months.	17-18
15.	शुल्क की वापसी Refund of fee.	17-18
16.	पट्टे की समाप्ति पर निर्बन्धन Restriction on determination of mining lease.	17-18
17.	पट्टे पर दिये गये क्षेत्र का सवेक्षण Survey of the area leased.	19-20
18.	भूतल के नीचे की सीमायें Boundaries below the Surface.	19-20
19.	पट्टे का संक्रमण Transfer of lease.	21-22
20.	रजिस्टर Registers.	

अध्याय-3

Payment of Royalty and Dead Rent

स्वामित्व (रायल्टी) और अपरिहार्य भाटक का भुगतान

21.	स्वामित्व Royalty	21-22
22.	अपरिहार्य भाटक Dead Rent	23-24

अध्याय-4

Auction Lease नीलाम-पट्टा

23.	नीलाम/निविदा/नीलाम एवं निविदा पट्टे के लिये क्षेत्र की घोषणा Declaration of area for auction/tender/auction cum tender lease.	23-24
24.	नीलाम या निविदा या नीलाम एवं निविदा से क्षेत्र का वापिस लिया जाना Withdrawal of area from auction or tender or auction cum tender.	25-26
25	नीलाम या निविदा या नीलाम एवं निविदा के लिये षोषित क्षेत्र या क्षेत्रों का रजिस्टर	25-26

	Register of area or areas declared for auction or tender or auction cum tender Lease	25-26
26.	पट्टे के देने पर निर्बन्धन Restriction on grant of lease.	25-26
27.	नीलाम द्वारा पट्टा स्वीकृत करने की प्रक्रिया Procedure for grant of lease by Auction.	27-28
27-क.	निविदा द्वारा पट्टा दिये जाने की प्रक्रिया 27-A. Procedure for grant of lease by tender.	29-30
27-ख.	नीलाम एवं निविदा द्वारा पट्टे की स्वीकृति की प्रक्रिया 27-B. Procedure for grant of lease by auction cum tender.	31-32
28.	पट्टे का दिया जाना Grant of lease.	31-32
29.	पट्टा विलेख का निष्पादन Execution to lease deed.	33-34
30.	पट्टा का रजिस्टर Register of lease.	

अध्याय-5

Conditions of a Mining Lease खनन पट्टे की शर्तें

31.	इस अध्याय में उल्लिखित शर्तें सभी पट्टों में लागू होंगी Conditions mentioned in this chapter to apply to all leases.	33-34
32.	अन्य खनिजों की खोज Discovery of other minerals.	33-34
33.	विदेशी राष्ट्रिक सेवायोजित नहीं किया जायेगा Foreign nationals not to be employed.	33-34
34.	खनन संक्रियायें छः मास के भीतर प्रारम्भ होंगी Mining operations to commence within six months.	33-34
35.	सीमा चिन्ह खड़ा करना और उसका अनुरक्षण Erection and maintenance of boundary marks.	35-36
36.	खनिजों का ठीक-ठीक लेखा रखना Maintenance of correct accounts of minerals.	35-36
37.	खाइयों, गड्ढों आदि का अभिलेख रखना Maintenance of records of trenches, pits etc.	35-36
38.	पट्टेदार द्वारा मजबूत करना, टेक आदि लगाना Lessee to strengthen, support etc.	37-38
39.	अग्रक्रयाधिकार (हकशक) Right of pre-emtion.	37-38

40.	पट्टेदार की स्वतन्त्रता, अधिकार और विशेषाधिकार Liberties, powers and privileges of the lease.		37-38
41.	पट्टेदार की स्वतन्त्रता, अधिकार और विशेषाधिकार के प्रयोग के संबंध में निर्बन्धन एवं शर्तें Restrictions and conditions as to exercise of the liberties, powers and privileges of lessee.		39-40
42.	सभी दावों के विरूद्ध पट्टेदार सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा Lessee to indemnify Government against all claims.		41-42
43.	पट्टेदार, गड्ढे कूपकों आदि को सुरक्षित अच्छी दशा में रखेगा Lessee to secure and keep in good condition, pits, shafts, etc.		41-42
44.	पट्टेदार, कार्यकारणों के निरीक्षण की अनुमति देगा Lessee to allow inspection of workings.		43-44
45.	पट्टेदार दुर्घटना का प्रतिवेदन देगा Lessee to report accident.		43-44
46.	पट्टेदार तौलमशीन की व्यवस्था करेगा Lessee to provide weighing machine.	हटा दिया गया omitted	43-44
47.	पट्टेदार तौलमशीन की जाँच करने की अनुमति देगा Lessee to allow test of weighing machine.	हटा दिया गया omitted	43-44
48.	पट्टेदार कोई भी अतिरिक्त आवश्यक धनराशि जमा करेगा Lessee shall deposit any additional amount necessary.		43-44
49.	सरकार द्वारा किये गये व्यय की वसूली Recovery of expenses incurred by the Government.		43-44
50.	प्रतिभूति जमा का वापस किया जाना Refund of security deposits.		45-46

अध्याय-6

Mining Permit खनन अनुज्ञा-पत्र

51.	खनन अनुज्ञा-पत्र के दिये जाने पर निर्बन्धन Restriction of grant on mining permit.	45-46
52.	खनन अनुज्ञा-पत्र दिये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र Application for grant of mining permit.	45-46
53.	प्रार्थना-पत्र का निस्तारण Disposal of application.	45-46
53-क. 53-A.	अनुज्ञा-पत्र दिये जाने के लिये कतिपय व्यक्तियों के अधिमानी अधिकार Preferential right of certain persons for grant of permit.	47-48

54.	स्वामित्व का जमा किया जाना Deposit of royalty.	47-48
55.	खनन अनुज्ञा-पत्र का जारी किया जाना Issue of mining permit.	47-48
56.	खनन अनुज्ञा-पत्रों का रजिस्टर Register of Mining permit.	47-48

अध्याय-7

Contraventions, Offences and Penalties उल्लंघन अपराध और शास्तियां

57.	अनधिकृत खनन के लिये शास्ति Penalty for unauthorised mining.	49-50
58.	स्वामित्व, भाटक या अन्य देयों को भुगतान न करने के परिणाम Consequences of non-payment of royalty, rent or other dues.	49-50
59.	कतिपय शर्तों का उल्लंघन करने के परिणाम Consequences of contravention of certain conditions.	49-50
60.	सामान्यतया नियमों और पट्टे की शर्तों के उल्लंघन का परिणाम Consequences of contravention of rules and conditions of lease generally.	49-50

अध्याय-8

Miscellaneous विविध

61.	प्रत्यक्ष अशुद्धियों को ठीक करने का अधिकार Power to rectify apparent mistakes.	51-52
62.	रजिस्टरों का निरीक्षण करने दिया जायेगा Registers to be open to inspection.	51-52
63.	नाम, राष्ट्रिकता आदि में परिवर्तन की सूचना दी जायेगी Change of name, nationality, etc. to be intimated.	51-52
64.	शुल्कों और जमा का भुगतान कैसे किया जायेगा Mode of payment of fees and deposit.	51-52
65.	छात्रों के प्रशिक्षण के लिये सुविधायें Facilities for training of students.	53-54
66.	निर्धारण करने, प्रवेश और निरीक्षण करने का अधिकार Power of assessment, entry and inspections.	53-54
67.	भूमि के स्वामी द्वारा खनन संक्रियाओं पर कोई निर्वन्धन आदि आरोपित नहीं किया जायेगा No restriction, etc. to be imposed by owner of land on mining operations except demand of compensation.	55-56

	60,62,67,70, प्रपत्र एम.एम. 1, एवं एम.एम. 3 में संशोधन	धनराशि निर्धारित करने, सीमा बन्धन, सीमा स्तभ लगाने, अपरिहार्य भाटक अग्रिम लिये जाने, खनन अनुज्ञा–पत्र स्वीकृत करने, देय भुगतान न किये जाने भूस्वामियों को क्षतिपूर्ति किये जाने एवं रवन्ना जारी करने इत्यादि के प्राविधानों को स्पष्ट किये गये।
	नियम 46 एवं 47 समाप्त किये गये	तौल मशीन लगाने की आवश्यकता समाप्त की गई
	नये नियम 6–क, 9–क, 53क, 72,73,74, 75, 76,77, 78,79 एवं प्रपत्र एम0एम0 1–क बढ़ाये गये	इन नियमों में खनन पट्टा नवीकरण, नदी तल में उपलब्ध बालू/मोरम के क्षेत्रों के लिये प्राथमिकता दिये जाने, क्षेत्र की उपलब्धता घोषित किये जाने, रिटर्न प्रस्तुत करने, अपराध सज्ञान एवं अपराध शमन, अपील एवं रिवीजन के प्राविधान किये गये।
▲21. सं. 5471/18–12–94 10–90–टीसी दि. 2.2.1995	नियम 6, 9–क, 14 21, 53, 53–क, 72 प्रथम अनुसूची (नियम 21) प्रपत्र एम0एम0 1, प्रपत्र एम0एम0 1–क एवं प्रपत्र एम0एम0–3 में संशोधन	इन संशोधनों में नदी तल मे उपलब्ध बोल्डर/बजरी के क्षेत्रों में प्राथमिकता, अध्याय–2 के अन्तर्गत स्वीकृत क्षेत्र की उपलब्धता, साधारण मिट्टी एवं ऐसे खनिज जिनकी रायल्टी की दर निर्धारित नहीं है, के प्राविधान स्पष्ट किये गये।
22. 4520/18-11-96-200-77 200-77 दि. 9-1-1997	प्रथम अनुसूची (नियम – 21) द्वितीय अनुसूची (नियम – 22)	रायल्टी एवं अपरिहार्य भाटक की दरों में संशोधन

खण्ड - एक

उ.प्र. उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963

अध्याय-1

Prelimanay **प्रारंभिक**

नियम Rules	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.	संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार, प्रारंभ और प्रयुक्ति Short title, extent, commencement and application.	1-2
2.	परिभाषायें Definitions.	1-2
3.	खनन संक्रियायें, खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा-पत्र के अधीन होगी Mining Operation to be under a mining lease or mining permit.	3-4

अध्याय-2

Grant of Mining Lease खनन पट्टे का दिया जाना

4.	खनन पट्टे के दिये जाने पर निर्बन्धन Restriction on the grant of mining lease.	5-6
5.	खनन पट्टा दिये जाने या उसके नवीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र Application for grant or renewal of mining lease.	5-6
6.	खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र शुल्क और जमा Application fee and deposit for grant of lease.	5-6
6-क. 6-A.	खनन पट्टा के नवीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र शुल्क आदि Application fees etc. for renewal of Mining lease.	7-8
7.	जाँच और प्रतिवेदन Enquiry and reports.	7-8
8.	प्रार्थना-पत्र का निस्तारण Disposal of application.	7-8
9.	कतिपय व्यक्तियों के अधिमानी अधिकार Preferential right of certain persons.	9-10
9-क. 9-A.	बालू आदि के संबंध में कतिपय व्यक्तियों के अधिमानी अधिकार Preferential right of certain persons in respect of Sand etc.	11-12
10.	अधिकतम क्षेत्र जिसके लिये खनन पट्टा दिया जा सकता है Maximum area for which a mining lease may be granted.	11-12

■ 24. नीलाम या निविदा या नीलाम एवं निविदा से क्षेत्र का वापिस लिया जाना :

राज्य सरकार घोषणा, द्वारा नियम 23 के उप नियम (1) के अधीन घोषित किसी क्षेत्र या क्षेत्रों या उसके किसी भाग को उसमें निर्दिष्ट पट्टे पर देने की किसी प्रथा से वापस ले सकती है और घोषणा में विनिर्दिष्ट वापसी दिनांक से, जो इस अध्याय के अधीन दिये गये पट्टे की साधारण अवधि के दौरान वापसी का दिनांक न होगा, इस नियमावाली के अध्याय 2, 3 और 6 के उपबन्ध उस क्षेत्र या क्षेत्रों पर लागू होंगे।

(■ 17 वां संशोधन)

■ 25. नीलाम या निविदा या नीलाम एवं निविदा के लिये घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों का रजिस्टर :

जिला अधिकारी, नियम 23 के उप नियम (1) के अधीन क्षेत्रों का एक रजिस्टर प्रपत्र एम.एम. 5 में रखवायेगा। (■ 17 वां संशोधन)

■ 26. पट्टे के देने पर निर्बन्धन :

किसी व्यक्ति को, जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं हैं या जिसके विरुद्ध खनिज देय बकाया है, नीलाम की बोली बोलने की या पट्टे के लिये निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(■ 17 वां संशोधन)

■ 27. नीलाम द्वारा पट्टा स्वीकृत करने की प्रक्रिया :–

नियम 23 के उप नियम (1) के अधीन नीलाम द्वारा पट्टे की स्वीकृति के लिये क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया होगी :–

(क) नियम 71 के अधीन, जिला अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत समिति, जिसे एतद्पश्चात् समिति कहा गया है, नीलाम के दिनांक के कम से कम तीस दिन पूर्व नीचे दी गई रीति से सूचना देगा, जिसमें नीलाम का दिनांक, समय और स्थान इंगित होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह हैं कि जहां किसी भी कारण से नीलामी किसी कारणवश पूरी न हुई हो वहां कम से कम सात दिन की अल्प नोटिस देने के पश्चात् नई नीलामी की जा सकती है।

(एक) नोटिस की प्रतियां जिला अधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर और उस क्षेत्र के निकट किसी सुविधाजनक स्थान पर चिपकाई जायेगी।

(दो) नोटिस की एक प्रति गांव सभा को या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी को भेजी जायेगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में भूमि स्थित हो।

(तीन) सर्वसाधरण की सूचना के लिये नोटिस उस क्षेत्र में डुग्गी पिटवाकर दी जायेगी, जहां भूमि स्थित हो, और

(चार) किसी ऐसे अन्य रीति से, जैसी राज्य सरकार द्वारा निर्देशित की जाय।

(ख) जिला अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को नीलाम के लिये पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर सकता है।

(ग) क्षेत्र या क्षेत्रों का ब्यौरा तथा पट्टे की निबन्धन और शर्तें बोली बोलने के इच्छुक व्यक्तियों को नीलाम के समय पढ़ कर सुनाई जायेगी।

(घ) कोई व्यक्ति, जो बोली बोलने का इच्छुक हो, पीठासीन अधिकारी के पास बयाने (अर्नेस्ट मनी) के रूप में दो हजार रुपये अग्रिम जमा करेगाा।

ड.) (एक) नीलाम की समाप्ति पर, परिणाम की घोषणा की जायेगी और अनन्तिम रूप से चुना गया बोली बोलने वाला पट्टा विलेख के निष्पादन के लिये और पट्टे के निबन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिये प्रतिभूति के रूप में बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहले किश्त के रूप में उतनी ही धनराशि तुरन्त जमा करेगा। बोली तब तक स्वीकृत नहीं समझी जायेगी जब तक कि यथास्थिति, राज्य सरकार या ज़िला अधिकारी या समिति उसे स्वीकार न कर ले।

(दो) चुना गया बोली बोलने वाला किसी संक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया शोधनक्षमता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा और अपना स्थायी पता देगा।

(च) बयाना नीलाम के अन्त में वापस कर दिया जायेगा, सिवाय उसके जो अनन्तिम रूप से चुने गये बोली बोलने वाले द्वारा जमा किया गया हो, उसके मामले में बयाने को प्रतिभूति के रूप में समायोजित कर दिया जायेगा।

(छ) पीठासीन अधिकारी पत्रादि, यथास्थिति, जिला अधिकारी या समिति को प्रस्तुत करेगा।

(■ 17 वां संशोधन)

■27–क. निविदा द्वारा पट्टा दिये जाने की प्रक्रिया–नियम 23 के उपनियम (1) के अधीन किसी क्षेत्र या क्षेत्रों को निविदा द्वारा पट्टा दिये जाने के लिये क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

(क) (एक) जिला अधिकारी या समिति निविदाओं के प्रस्तुत किये जाने के अन्तिम दिनांक से कम से कम तीस दिन पूर्व किसी ऐसे दैनिक हिन्दी समाचार–पत्र में जिसका उस जिले में परिचालन हो, जिसमें वह क्षेत्र या वे क्षेत्र स्थित है, निविदा सूचना प्रकाशित कराकर निविदायें आमंत्रित करेंगे। निविदा में पट्टे की निबन्धन और शर्तें और निविदा प्रस्तुत किये जाने के अन्तिम दिनांक और समय और उस स्थान सहित जहां निविदायें प्रस्तुत की जा सकती हैं, क्षेत्र या क्षेत्रों के ब्योरे होगें।

(दो) निविदा सूचना की प्रतिलिपियां जिला अधिकारी के कार्यालय में सूचना पट पर और उस क्षेत्र के समीप किसी सुविधाजनक स्थान पर चिपकायी जायेगी।

(ख) जिला अधिकारी निविदा कार्यावाहियों को संचालित करने के लिये अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है।

(एक) कोई भी व्यक्ति, जो नियम 26 के अधीन अपात्र न हो, अपने हस्ताक्षर से, निविदा यथास्थिति, जिला अधिकारी या समिति को संबोधित मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत कर सकता है जिसमें निम्नलिखित बातें होगी।

(क) निविदाकार का नाम, पिता का नाम और पता (स्थाई और अस्थाई)

(ख) उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिये उसने निविदा प्रस्तुत की है।

(ग) दी गई धनराशि शब्दों और अंकों में।

(घ) जिला अधिकारी के पक्ष में बयाने के लिये दो हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट।

(ड.) इस घोषणा के साथ कि कोई खनन सम्बन्धी देय उस पर बाकी नहीं है जिला अधिकारी का एक प्रमाण–पत्र या इस आशय का एक शपथ–पत्र।

(च) किसी सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी की गई बैंक गारन्टी या सम्पत्ति प्रमाण पत्र या शोधन क्षमता प्रमाण–पत्र और स्थाई पता।

(दो) यदि उप खण्ड (1) की अपेक्षानुसार कोई सूचना, प्रमाण–पत्र या दस्तावेज प्रस्तुत न किया जाय, तो पीठासीन अधिकारी द्वारा निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

(ग) पीठासीन अधिकारी निविदाओं को निविदाकारों की उपस्थिति में खोलेगा, यदि वे निविदा खोलने के समय उपस्थित हों और विभिन्न निविदाओं में दी गई धनराशि की घोषणा करेगा। ऐसे निविदाकार को, जिसने अधिकतम धनराशि की है, निविदा में प्रस्तावित धनराशि का 25 प्रतिशत पट्टा विलेख के निष्पादन के लिये प्रतिभूति के रूप में और पट्टे की निबन्धनों और शर्तों के सम्यक् अनुपालन के लिये और स्वामित्व की प्रथम किश्त के रूप में उतनी ही धनराशि तुरन्त जमा करना होगा, निविदा को स्वीकृत नहीं समझा जायेगा जब तक कि राज्य सरकार या जिला अधिकारी या समिति उसे स्वीकार न करे।

(घ) बयाने के रूप में जमा किये गये बैंक ड्राफ्टों को निविदाकारों को वापस कर दिया जायेगा सिवाय उस बैंक ड्राफ्ट के जो उस निविदाकार द्वारा जमा किया गया है, जिसका प्रस्ताव अधिकतम पाया जाय जिसके सम्बन्ध में उसे प्रतिभूति में समायोजित कर दिया जायेगा।

(ड.) पीठासीन अधिकारी पत्रादि को, यथास्थिति जिला अधिकारी या समिति को प्रस्तुत करेगा।

(■ 17 वां संशोधन)

■ 27 –ख– नीलाम एवं निविदा द्वारा पट्टे की स्वीकृति की प्रक्रिया :

(1) जहाँ जिला अधिकारी या समिति की यह राय हो कि नीलाम एवं निविदा द्वारा पट्टे को स्वीकृत करना समाचीन है वहां यथास्थिति, वह या समिति एक साथ निविदा आमंत्रित करेंगे और नीलाम के लिये दिनांक, समय और स्थान का निर्धारण करेंगे।

(2) जिला अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर सकता है।

(3) कोई निविदाकार भी एक ही क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये किसी नीलाम में बोली लगाने में भाग लेने के लिये पात्र होगा।

(4) निविदाकार को नीलामी के स्थान पर उपस्थित होना चाहिए।

(5) पीठासीन अधिकारी नीलाम के प्रारम्भ होने पर किसी विशेष क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये प्राप्त निविदाओं की संख्या की घोषणा करेगा।

स्वीकार करने का आदेश प्रतिसहरित हो जायेगा और उस दशा में बोली बोलने वाले या निविदाकार द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राज्य सरकार द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

(2) पट्टे की अवधि की सगणना बोली बोलने वाले या निविदाकार द्वारा बोली या निविदा द्वारा स्वीकृति–पत्र की प्राप्ति के दिनांक से की जायेगी।

(3) यथास्थिति, जिला अधिकारी या समिति द्वारा क्षेत्र के मानचित्र सहित पट्टा विलेख की एक प्रतिलिपि उसके निष्पादन के दिनांक के 15 दिन के भीतर, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश को भेजी जायेगी। (■17 वां संशोधन)

■30. पट्टा का रजिस्टर :

खनन पट्टों का एक रजिस्टर जिला अधिकारी के कार्यालय में प्रपत्र एम.एम. 7 में रखा जायेगा और उसकी एक प्रतिलिपि जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश को भेजी जायेगी।

(■17 वां संशोधन)

अध्याय – 5

खनन पट्टे की शर्तें

■31. इस अध्याय में उल्लिखित शर्तें सभी पट्टों में लागू होगी :

(1) प्रत्येक खनन पट्टा इस अध्याय में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा, जिन्हें इस नियमावली के अधीन दिये गये खनन पट्टे में समाविष्ट कर लिया गया समझा जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि नियम 46 एवं 47 के उपबन्ध इस नियमावली के अध्याय 4 में निहित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत पट्टों पर लागू नहीं होंगे। (■17 वां संशोधन)

32. अन्य खनिजों की खोज :

(1) पट्टेदार, पट्टे पर दिये गये क्षेत्र में किसी ऐसे खनिज की सूचना, जो पट्टे में निर्दिष्ट न हो, राज्य सरकार को उक्त खोज के दिनांक से तीस दिन के भीतर देगा।

(2) यदि पट्टे पर दिये गये क्षेत्र में किसी ऐसे खनिज का पता चल जाये, जो पट्टे में निर्दिष्ट न हो तो, पट्टेदार ऐसे खनिज को तब तक लब्ध (win) और उसका निस्तारण न करेगा जब तक कि उसके लिये पृथक पट्टा न ले लिया जाये।

33. विदेशी राष्ट्रिक सेवायोजित नहीं किया जायेगा :

राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना पट्टेदार खनन संक्रियाओं के संबंध में किसी ऐसे व्यक्ति को सेवायुक्त नहीं करेगा जो भारतीय राष्ट्रिक न हो।

***34. खनन संक्रियायें छः मास के भीतर प्रारम्भ होगीं :**

(1) सिवाय उस दशा में जब राज्य सरकार पर्याप्त कारणों से अन्यथा अनुमति दे, पट्टेदार पट्टा

विलेख के निष्पादन के दिनांक से छः मास के भीतर खनन संक्रियायें प्रारम्भ और तत्पश्चात जानबूझकर आंतरायिक (इंटरमिशन) किये बिना ऐसी संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्व रीति से तथा कुशल कारीगर की भांति करेगा।

(2) स्वस्थाने चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप के संबंध में खनन संक्रियायें, निदेशक द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित योजना के अनुसार जिसमें वार्षिक विकास योजनाओं का ब्यौरा होगा, की जायेगी।

(3) उपनियम (2) में अभिदिष्ट खनन योजना खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन बनाये गये खनिज रियायत नियमावली 1960 के उपबंधों के अनुसार भारतीय खान ब्यूरों से तदर्थ मान्यता प्राप्त अर्ह किसी व्यक्ति द्वारा तैयार की जायेगी।

(4) पट्टेदार खनन योज़ना को अनुमोदन हेतु निदेशक को प्रस्तुत करेगा, जो खनन योजना की प्राप्ति के दिनांक से तीन माह के भीतर उसे अनुमोदित कर सकता है, उपान्तरित कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है। ऐसा करने में विफल रहने पर खनन योजना प्रथम वर्ष के लिये अनुमोदित समझी जायेगी।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनों के लिये खनन संक्रिया के अन्तर्गत खान से कार्य के संबंध में मशीनों का लगाना, ट्रामवे बिछाना और सड़क का निर्माण भी है। (* 20 वां संशोधन)

***35. सीमा चिन्ह खड़ा करना और उसका अनुरक्षण :**

पट्टेदार, पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के पश्चात और पट्टा विलेख निष्पादित करने के पूर्व, अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्भे को लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शें में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक हो और उनका सदैव अनुरक्षण करेगा और अच्छी दशा में रखेगा। (* 20 वां संशोधन)

36. खनिजों का ठीक–ठीक लेखा रखना :

पट्टेदार ठीक–ठीक लेखा रखेगा, जिसमें वह खान (mine) से प्राप्त तथा भेजे गये सभी खनिजों की मात्रा तथा अन्य विवरण देगा और साथ ही परिवहन की प्रणाली वाहन की निबन्ध (रजिस्ट्रेशन) संख्या, वाहन या पशु का प्रभारी व्यक्ति तथा ढोये गये खनिज का प्रकार और मात्रा, खनिज की सभी बिक्री के मूल्य तथा समस्त अन्य विवरण, उसमें सेवा–युक्त व्यक्तियों की संख्या और राष्ट्रीयता तथा खान के पूरे नक्शें देगा, और केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी समय उसके (पट्टेदार) द्वारा रखें गये किन्हीं लेखों, नक्शों और अभिलेखों का परीक्षण करने की अनुमति देगा और केन्द्रीय या राज्य सरकार को ऐसी समस्त सूचना तथा विवरणियाँ देगा जो केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा उनमें से किसी के द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी अपेक्षा करे।

37. खाइयों, गडढों आदि का अभिलेख रखना :

पट्टेदार, पट्टे के अधीन अपने द्वारा की गई खनन संक्रियाओं के दौरान में अपने द्वारा खोदी गई खाइयों, गडढ़ों और बरमा से बनाये गये सूराखों (Drilings) का ठीक–ठीक अभिलेख रखेगा और केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को उसका निरीक्षण करने की अनुमति देगा। ऐसे अभिलेखों में

निम्नलिखित विवरण होगें, अर्थात

(क) वह अधोभूमि (Sub Soil) और भूगर्भ स्तर (strata) जिससे होकर ऐसी खाइयां गडढें खोदे जायें या बरमें से सूराख किये जायें।

(ख) कोई खनिज जो प्राप्त हो।

(ग) ऐसे अन्य विवरण जिनकी केन्द्रीय या राज्य सरकार समय–समय पर अपेक्षा करें।

38. पट्टेदार द्वारा मजबूत करना, टेक आदि लगाना :

पट्टेदार यथास्थिति संबद्ध रेलवे प्रशासन या राज्य सरकार के संतोषानुसार, खान के किसी ऐसे भाग को मजबूत करेगा और उसमें टेक लगायेगा (strength & support) जिसे ऐसे प्रशसन या सरकार की राय में किसी रेल, जलाशय (reservoir) नहर, सड़क या किसी अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य या भवनों की सुरक्षा के लिये इस प्रकार मजबूत करना या उसमें टेक लगाना आवश्यक हो।

39. अग्रक्रयाधिकार (हकशक) :

(1) राज्य सरकार को सदा ऐसी भूमि से, जिसके सम्बन्ध में पट्टा दिया गया हो, लब्ध खनिजों या खनिजों के उत्पादन का अग्रक्रयाधिकार (right of pre-emption) होगा, जिस मूल्य का भुगतान किया जायेगा वह अग्रक्रयाधिकार के समय प्रचलित उचित बाजार मूल्य होगा।

(2) उक्त मूल्य निकालने में सहायता देने के लिये पट्टेदार, यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाये तो राज्य सरकार को उसकी गोपनीय सूचना के लिये अन्य ग्राहकों को बेचे गये ऐसे खनिजों या उनके उत्पादनों तथा उन्हें ढोने के लिये अधिकार–पत्रों का विवरण और मूल्य प्रस्तुत करेगा।

40. पट्टेदार की स्वतन्त्रता, अधिकार और विशेषाधिकार :

नियम 41 में उल्लिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन रहते हुये, इस नियमावली के अधीन खनन पट्टा धारण करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता, अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होगा :

(क) पट्टे में उल्लिखित भूमि पर प्रवेश करना और खान की खोज़ करना, उस खनिज का जिसके लिये पट्टा हो, वेधन करना, (bore) उसे खोदना, उनमें बरमें द्वारा सूराख करना (drill) या उसे लब्ध करना, उस पर काम करना, उसका प्रसाधन (dress) करना, उसकी प्रक्रिया करना, उसे बदलना, उसे ले जाना और उसका निस्तारण करना।

(ख) उक्त भूमि में कोई गड्ढा खोदना, कूपक (shafts) ढाल (inclines) पशु मार्ग (drifts) समतल, जलमार्ग (waterways) बनाना या अन्य निर्माण कार्य करना।

(ग) भूमि पर कोई मशीन, संयंत्र (plant) स्थापित करना, प्रसाधन (dressing) करना, फर्श बिछाना, भट्टियां (furnaces) बनाना, ईट भट्टे लगाना, कर्मशालायें, माल गोदाम और उसी प्रकार के अन्य भवनों का निर्माण करना।

(घ) उक्त भूमि पर सड़क तथा अन्य रास्ते बनाना और उनका उपयोग करना और उन पर आवागमन करना।

(ड.) पत्थर खोदना (to quarry) और पत्थर की बजरी (stone gravel) तथा अन्य भवन और सड़क सम्बन्धी सामान तथा मृदा तैयार करना और उसका उपयोग करना और ऐसे ईटों या खपरैल (tiles) निर्मित करना और ऐसी मृदा से ईटों या खपरैलों का प्रयोग करना, किन्तु ऐसे सामान, ईट या खपरैलों को न बेचना।

(च) उक्त भूमि की सतह के पर्याप्त भाग का खानों के लिये किसी उत्पादन, या किये गये कार्यों और औजारों (tools) सज्जा (equipment), गिट्टी तथा सामानों और खोदे गये या निकाले गये पदार्थों का संग्रहण या जमा करने के प्रयोजन के लिये उपयोग करना और

(छ) अन्य व्यक्तियों के वर्तमान अधिकारों के अधीन रहते हुये और नियम 41 के खण्ड (घ) में की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये झाड़ियों (under growth) और घनी झाड़ी (brushwood) को साफ करना तथा उक्त भूमि पर खड़े या पाये गये वृक्षों या इमारती लकड़ी के वृक्षों को गिराना और उसका उपयोग करना। बशर्ते कि जिला अधिकारी पट्टेदार को उसके (पट्टेदार) द्वारा गिराये गये और उपयोग में लाये गये किन्हीं वृक्षों या इमारती लकड़ियों का उन दरों पर भुगतान करने के लिये कह सकता है जो जिला अधिकारी द्वारा उनके बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुये निर्धारित की जाय।

41. पट्टेदार की स्वतन्त्रता, अधिकार और विशेषाधिकार के प्रयोग के संबंध में निर्बन्धन एवं शर्तें:

पट्टेदार नियम 40 के उल्लिखित स्वतन्त्रता, अधिकार और विशेषाधिकार का प्रयोग निम्नलिखित निर्बन्धनों एवं शर्तों के अधीन रहते हुये करेगा :–

(क) निम्नलिखित स्थानों पर न कोई चीज खड़ी या स्थापित की जायेगी और न कोई सतह संक्रियायें की जायेगी :

(1) किसी सार्वजनिक विनोद स्थल, शमशान अथवा कब्रिस्तान या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र माना जाने वाला कोई स्थान या मकान अथवा ग्राम–स्थल, सार्वजनिक सड़क या कोई अन्य स्थान, जो जिला अधिकारी द्वारा सार्वजनिक स्थान घोषित किया जाये, और

(2) ऐसी रीति से न तो कोई चीज खड़ी या स्थापित की जायेगी और न कोई सतह संक्रियायें की जायेगी जिससे किसी भवन, निर्माण कार्य, सम्पत्ति या अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को क्षति पहुंचे अथवा उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ें।

(ख) पट्टे में असम्मिलित निर्माण कार्यों या प्रयोजनों के निमित्त कोई ऐसी भूमि, सतह संक्रियायें के लिये प्रयुक्त न की जायेगी, जो राज्य–सरकार से भिन्न व्यक्तियों के दखल में पहले से ही हो।

(ग) किसी भी मार्ग, कुआं या तालाब का उपयोग करने के अधिकार पर हस्तक्षेप न किया जायेगा।

(घ) प्रभागीय वन अधिकारी (Divisional Forest Officer) की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना न तो किसी आरक्षित (reserved) सुरक्षित (protected) या निहित (vested) वन में प्रवेश किया जायेगा और न उक्त अधिकारी की लिखित स्वीकृति प्राप्त किये बिना और न ऐसी शर्तों के विपरीत, जो राज्य सरकार तदर्थ आरोपित करें, किसी इमारती लकड़ी या वृक्षों को गिराया, काटा या उनका उपयोग किया जायेगा।

(ड.) सम्बद्ध रेलवे प्रशासन की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी रेलवे लाइन से या ज़िला अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी जलाशय (reservoir) नहर या अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य–जैसे सार्वजनिक सड़कों और भवनों या निवसित स्थल (inhabited site) से और ऐसे अनुदेशों तथा शर्तों के विपरीत, चाहे वे सामान्य या विशेष हो, जो ऐसी अनुमति में दी जाये, 50 मीटर की दूरी के भीतर किसी स्थान (point) पर या किसी स्थल तक कोई खनन संक्रियायें न की जायेंगी। रेलवे, जलाशय, नहर या सड़क की दशा में 50 मीटर की उक्त दूरी, यथास्थिति, किनारे (bank) के बाहरी जिहवाय (toe) या कटाई (cutting) के बाहरी कोर (edge) से क्षितिज रूप से (horizontally) और भवन की दशा में उसकी कुर्सी (plinth) से क्षितिज रूप से मापी जायेगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ग्राम सड़क की दशा में यह कटाई के बाहरी कोर से 10 मीटर होगी; और

स्पष्टीकरण :– इस उप नियम के प्रयोजनों के लिये पद "सार्वजनिक सड़क" का तात्पर्य ऐसी सड़क से होगा जो कृत्रिम रूप से समतल किये जाने के पश्चात् बनाई गई हो और जो निरन्तर प्रयोग के परिणामस्वरूप बनेपथ (track) से भिन्न हो और ग्राम–सड़क के अन्तर्गत कोई ऐसा पथ होगा, जो राजस्व अभिलेख में ग्राम–सड़क के रूप में किया गया हो।

(च) किसी ऐसी भूमि के संबंध में, जो पट्टेदार द्वारा धृत भूमि में समाविष्ट हो या उससे आसन्न हो या उससे अभिगम्य हो, सरकारी पट्टे या अनुज्ञा–पत्र के वर्तमान या भावी धारकों को वहां आने–जाने की समुचित सुविधायें दी जायेगी। यदि इस स्वतन्त्रता का प्रयोग करने के कारण ऐसे पट्टाधारियों या अनुज्ञापत्रधारियों द्वारा कोई हानि या क्षति पहुंचाई जाये तो ऐसे पट्टेदारों या अनुज्ञापत्रधारी द्वारा पट्टेदार को उसके लिये उचित प्रतिकर (जो परस्पर सहमति द्वारा तय हो या असहमति होने की दशा में, जो राज्य सरकार द्वारा निर्णीत किया जाये) देय होगा।

42. सभी दावों के विरूद्ध पट्टेदार सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा :

पट्टेदार सभी हानि, क्षति या विक्षोभ (disturbance) के लिये, जो पट्टे द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करने में उसके द्वारा की गई हो, भुगतान करने की प्रत्याभूति (guarantee) देगा और ऐसे समुचित प्रतिकर का भुगतान करेगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाये और उन सभी दावों, वादों तथा मागों से और उनके प्रति जो किसी ऐसी हानि, क्षति या विक्षोभ के संबंध में किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा की जायेगी या लायी जायें और उनके संबंध में सभी परिव्ययों की राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा पूर्णतया क्षतिपूर्ति करता रहेगा।

43. पट्टेदार गड्ढों, कूपकों आदि को सुरक्षित और अच्छी दशा में रखेगा :

पट्टेदार, पट्टे की अवधि में ऐसे सभी गड़ढों, कूपकों (shafts) और कार्यकरणों (workings) को, जो भूमि में बनाये जाये या प्रयुक्त किये जाये, इमारती लकड़ी या अन्य स्थाई उपायों से पर्याप्त रूप से सुरक्षित और खुला रखेगा और राज्य सरकार के संतोषानुसार प्रत्येक ऐसे गडढे, कूपक या कार्यकरण के चारों ओर, चाहे वह परित्यक्त कर दिया गया हो या नहीं पर्याप्त रूप से बाड़े लगायेगा और उनका अनुरक्षण करेगा और उसी अवधि में, भूमि पर के सभी कार्यकारणों को सिवाय उनके, जो परित्यक्त किये जाये,

प्रवेश्य और यथासंभव जल एवं दूषित वायु से मुक्त रखेगा।

44. पट्टेदार, कार्यकारणों के निरीक्षण की अनुमति देगा :

पट्टेदार, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ, प्राधिकृत किसी अधिकारी को भू–गृह दि में जिसके अन्तर्गत पट्टे में समाविष्ट कोई भवन, उत्खनन या भूमि भी है, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण करने और उसके नक्शे (plans) बनाने, न्यादर्शन (sampling) और कोई आधार सामग्री एकत्र करने के प्रयोजन के लिये प्रवेश करने की अनुमति देगा और पट्टेदार ऐसे उपयुक्त व्यक्ति के साथ, जो पट्टेदार द्वारा सेवायोजित किया गया हो तथा जो खानों और खनिकर्म से परिचित हो, उक्त अधिकारी, अभिकर्ताओं, सेवकों और कर्मचारी (workmen) को प्रत्येक ऐसे निरीक्षण करने में प्रभावपूर्ण रूप से सहायता देगा और उन्हें खानों का कार्यप्रणाली (working) से संबद्ध सभी सुविधायें व सूचना देगा, जिनकी वे उचित रूप में अपेक्षा करें और ऐसी सभी आज्ञाओं तथा विनियमों के अनुसार कार्य भी करेगा ओर उनका पालन करेगा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, ऐसे निरीक्षण के फलस्वरूप या अन्य प्रकार से समय–समय पर देना या बनाना उचित समझे।

45. पट्टेदार, दुर्घटना का प्रतिवेदन देगा :

पट्टेदार अविलम्ब जिला अधिकारी को प्रत्येक ऐसी दुर्घटना का प्रतिवेदन भेजेगा जो पट्टे के अधीन किन्हीं संक्रियाओं के दौरान में हो जाये और जिसके कारण मृत्यु हो जाये या गंभीर शारीरिक चोट पहुंचे या संपत्ति को गंभीर क्षति पहुंचे, या जिससे जीवन या संपत्ति पर गंभीर प्रभाव पड़े, या वह संकट में पड़ जाये।

***46. पट्टेंदार तौलमशीन की व्यवस्था करेगा :**

***47. पट्टेंदार तौलमशीन की जाँच करने की अनुमति देगा :**

उक्त नियमावली के नियम **46** और **47** निकाल दिये जायेंगे। (*20 वां संशोधन)

48. पट्टेदार कोई भी अतिरिक्त आवश्यक धनराशि जमा करेगा :

जब कभी प्रतिभूति जमा या उसका कोई भाग या उसकी पूर्ति (replenishment) में राज्य सरकार के पास जमा की गई कोई अतिरिक्त धनराशि इस नियमावली द्वारा दिये गये अधिकार के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जब्त कर ली जाये या प्रयुक्त की जाये, तो पट्टेदार राज्य सरकार के पास ऐसी और धनराशि जमा करेगा जो ऐसी जब्ती या प्रयुक्ति के कारण हुई कमी को पूरा करने के लिये आवश्यक हो।

49. सरकार द्वारा किये गये व्ययों की वसूली :

यदि कोई निर्माण का या विषय, जो इस नियमावली के अनुसार पट्टेदार द्वारा कार्यान्वित या संपादित किये जाने वाले हो, तदर्थ निर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्यान्वित या संपादित करा सकती है और पट्टेदार मांगने पर राज्य सरकार को उनके संबंध में राज्य सरकार द्वारा किये गये सभी व्ययों का भुगतान करेगा। ऐसे व्ययों के संबंध मं राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

50 – प्रतिभूति जमा का वापस किया जाना :–

खनन पट्टे की समाप्ति के पश्चात् राज्य सरकार के पास जमा पड़ी हुई प्रतिभूति की धनराशि, जो इस नियमावली में उल्लिखित किन्हीं भी प्रयोजनों में प्रयुक्त किये जाने के लिये अपेक्षित न हो, साधारणतया पट्टे की समाप्ति के दिनांक से छः मास की अवधि के भीतर पट्टेदार को वापस कर दी जायेगी।

अध्याय – 6

खनन अनुज्ञा–पत्र

51 – खनन अनुज्ञा–पत्र के दिये जाने पर निर्बन्धन :–

कोई खनन अनुज्ञा–पत्र ऐसे व्यक्ति को न दिया जायेगा जो भारतीय राष्ट्रिक न हो, या छः मास से अधिक अवधि के लिये न दिया जायेगा ।

❖ 52 – खनन अनुज्ञा–पत्र दिये जाने के लिये प्रार्थना–पत्र :–

खनन अनुज्ञा–पत्र दिये जाने के लिये प्रार्थना–पत्र प्रपत्र एम.एम. 8 में, तीन प्रतियों में, जिलाधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा जो ऐसा अनुज्ञा–पत्र देने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाये। इसके साथ निम्नलिखित होगें :–

(एक) 400 रुपये का शुल्क और

(दो) भू–कर सर्वेक्षण मानचित्र की दो प्रतियां या ऐसे सर्वेक्षण के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्र की स्थिति में धरातल मानचित्र की ऐसे पैमाने पर जिसमें कम से कम "4 इंच बराबर एक मील" के हो, दो ऐसी प्रतियां जिसमें वह क्षेत्र, जिसके लिये प्रार्थना –पत्र दिया गया है, स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो। (❖16 वां संशोधन)

▲ 53 – प्रार्थना पत्र का निस्तारण :–

अनुज्ञा पत्र देने के लिये 'प्राधिकृत' अधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात जो आवश्यक समझी जाय, अनुज्ञा पत्र देने से इन्कार कर सकता है या उसकी किसी आज्ञा द्वारा ऐसी शर्तें और निबन्धनों के अधीन जो उक्त अधिकारी आवश्यक समझे, प्रार्थित क्षेत्र के कुल या कुछ भाग के लिये दे सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे क्षेत्र के लिये, जो पट्टे या खनन अनुज्ञा पत्र के अधीन पहले से धृत है, अनुज्ञा पत्र दिये जाने के लिये कोई प्रार्थना पत्र समय पूर्व समझा जायेगा और उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा और यदि कोई प्रार्थना पत्र शुल्क दिया गया है, तो उसे वापस कर दिया जायेगा। (▲ 21 वां संशोधन)

▲ 53–क अनुज्ञा पत्र दिये जाने के लिये कतिपय व्यक्तियों के अधिमानी अधिकार :

नदी के तल से अनन्य रूप से पायी जाने वाली बालू या मोरम या बजरी या बॉल्डर या इनमें से कोई भी अनन्य अथवा मिली–जुली अवस्था में हो, खनन अनुज्ञा पत्र के संबंध में अधिमान किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं, दिया जायेगा जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से नागरिकों के पिछड़े वर्गों के हों और वृत्ति के रूप में बालू या मोरम के उत्खनन कार्य में लगे हों और उसी जिले के निवासी हों, जिसमें वह क्षेत्र स्थिति हो, जिसके अनुज्ञा पत्र के लिये आवेदन किया गया हो।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिये नियम – 9–क का स्पष्टीकरण लागू होगा।
(▲ 21 वां संशोधन)

*** 54. स्वामित्व का जमा किया जाना :**

(1) जब नियम 53 के अधीन खनन अनुज्ञा पत्र दिये जाने का आदेश दे दिया जाय, तब प्रार्थी आदेश की संसूचना दिये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, उक्त आदेश में अनुज्ञात खनिज की कुल मात्रा के लिये इस नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्काल विनिर्दिष्ट दर पर स्वामित्व जमा करेगा। यदि अनुज्ञापत्र धारक किसी कारण से जो उसके द्वारा हुआ माना जाय अनुज्ञात समय के भीतर खनिज को नहीं हटा लेता तो स्वामित्व के रूप में जमा कोई धनराशि वापस नहीं की जायेगी।

(2) यदि प्रार्थी उप नियम (1) में उल्लिखित अवधि के भीतर या ऐसी अग्रेतर अवधि के भीतर, जैसी अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा दी जाये स्वामित्व जमा करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने वाला आदेश प्रतिसंहृत (रद्द) हो जायेगा और नियम 52 के खंड (एक) में उल्लिखित फीस राज्य सरकार के प्रति जब्त हो जायेगी। (* 20 वां संशोधन)

*** 55. खनन अनुज्ञा –पत्र का जारी किया जाना :**

प्रार्थी को खनन अनुज्ञा पत्र प्रपत्र एम0एम0 10 ऐसे अतिरिक्त निबंधनों और शर्तों के साथ, जिनके अधीन नियम 53 में आदेश दिये जाय, नियम 54 के उपनियम (1) में स्वामित्व जमा करने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर जारी कर दिया जायेगा और इस प्रकार जारी अनुज्ञापत्र, में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक तक या ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाय, इसमें से जो भी पहले हो, वैध रहेगा।
(*20 वां संशोधन)

56. खनन अनुज्ञा–पत्रों का रजिस्टर :

खनन अनुज्ञा–पत्रों के सभी प्रार्थना–पत्रों का एक रजिस्टर जारी किये गये अनुज्ञा–पत्रों के ब्यौरों के साथ प्रपत्र एम.एम. 9 में जिला अधिकारी अथवा खनन अनुज्ञा–पत्र देने के लिये प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में रखा जायेगा।

अध्याय – 7

उल्लंघन अपराध और शास्तियां

57. अनधिकृत खनन के लिये शास्ति :

जो कोई भी नियम 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करे व दोष सिद्ध हो जाने पर दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास के दण्ड से दण्डनीय होगा, जो छः मास तक हो सकता है अथवा अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों दण्डों से दण्डनीय होगा।

■ 58. स्वामित्व, भाटक या अन्य देयों को भुगतान न करने के परिणाम :

(1) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, पट्टेदार पर इस बात की सूचना तामील करने के पश्चात् कि वह सूचना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को देय स्वामित्व (रायल्टी) सहित पट्टे के अधीन देय कोई धनराशि या अपरिहार्य भाटक का भुगतान करें, यदि उस भुगतान के लिये निश्चित दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उसका भुगतान न किया गया हो, तो खनन पट्टा समाप्त कर सकता है। यह अधिकार पट्टेदार से ऐसे देयों को भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली करने के राज्य सरकार के अधिकार के अतिरिक्त होगा और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) इस नियमावाली के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले,बिना, उप नियम (1) के अधीन सूचना की अवधि की समाप्ति के पश्चात् इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार को देय किसी भाटक स्वामित्व, सीमांकन शुल्क और किन्हीं अन्य देयों पर 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जा सकता है। (■17 वां संशोधन)

■ 59. कतिपय शर्तों का उल्लंघन करने के परिणाम :

खनन पट्टाधारण करने वाला कोई पट्टेदार (जो कार्यकारिणें और तौल मशीनों के निरीक्षण से संबंधित) नियम 44 और 47 में व्यवस्थित किन्हीं शर्तों को भंग करे, दोष सिद्ध हो जाने पर दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास के दण्ड से दण्डनीय होगा, जो छः मास तक हो सकता है, अथवा अर्थदण्ड से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों दण्डों से दण्डनीय होगा। (■17 वां संशोधन)

***60. सामान्यतया नियमों और पट्टे की शर्तों के उल्लंघन का परिणाम :**

(1) पट्टेदार द्वारा इन नियमों या पट्टे में दी गई या दी गई समझी जाने वाली शर्तों और प्रसंविदाओं के, सिवाय उनके, जो स्वामित्व, भाटक या राज्य सरकार को देय अन्य धनराशियों के भुगतान से संबंधित हों, भंग या उल्लंघन किये जाने की दशा में राज्य सरकार पट्टेदार को अपना मामला बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात पट्टा समाप्त कर सकती है।यह अधिकार नियम 59 के उपबंधों के अतिरिक्त होगा और इसका उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) यदि उप नियम (1) के अधीन पट्टा समाप्त कर दिया जाता है तो पट्टेदार का नाम जिला अधिकारी द्वारा पांच वर्ष से अनाधिक ऐसी अवधि के लिए जैसा उचित समझा जायें काली सूची में डाल दिया जायेगा और ऐसी अवधि के दौरान उसको इस नियमावली के अधीन कोई खनिज

परिहार स्वीकृत नहीं किया जायेगा। इस संबंध में, यथास्थिति, खनन पट्टे के रजिस्टर में या नीलाम रजिस्टर के अभ्युक्ति वाले स्तम्भ में एक प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी।

(* 20 वां संशोधन)

अध्याय – 8

विविध

61. प्रत्यक्ष अशुद्धियों को ठीक करने का अधिकार :

राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा इस नियमावली के अधीन दी गई किसी आज्ञा में कोई लिपिक या अंकीय अशुद्धि यथास्थिति राज्य सरकार, प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा ठीक की जा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसी आज्ञा, जो किसी व्यक्ति के लिये हानिकर हो, तब तक न दी जायेगी जब तक कि उसे अपना मामला बताने के लिये समुचित अवसर न दे दिया गया हो।

*** 62. रजिस्टरों का निरीक्षण करने दिया जायेगा :**

(1) इस नियमावली द्वारा रखे जाने वाले नियत सभी रजिस्टरों को प्रत्येक प्रविष्टि के लिये बीस रुपये का शुल्क भुगतान करने पर निरीक्षण करने दिया जायेगा।

(2) उपनियम (1) में अभिदिष्ट रजिस्टरों की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतिलिपि निम्नलिखित शुल्क का भुगतान करने पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है :

(क) सात दिन के भीतर प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये 100.00 रुपये और

(ख) चौबीस घन्टे के भीतर प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये 200.00 रुपये।

स्पष्टीकरण – (1) – "प्रविष्टि" का तात्पर्य यथास्थिति, एक अनुज्ञा पत्र या एक खनन पट्टा या एक नीलामी पट्टा के संबंध में समस्त प्रविष्टियों से है।

स्पष्टीकरण – (2) – शुल्क का भुगतान नियम 64 में निहित रीति से किया जायेगा और यथास्थिति निरीक्षण के लिये प्रार्थना पत्र या प्रमाणित प्रतिलिपि के लिये प्रार्थना पत्र के साथ ट्रेजरी चालान लगा होगा। (* 20 वां संशोधन)

63. नाम, राष्ट्रिकता आदि में परिवर्तन की सूचना दी जायेगी :

खनन पट्टे का प्रार्थी या उसका धारक राज्य सरकार को साठ दिन के भीतर प्रत्येक ऐसे परिवर्तन की सूचना देगा जो उसके नाम, राष्ट्रिकता या संगत प्रपत्रों में उल्लिखित अन्य विवरणों में किया जाये।

64. शुल्कों और जमा का भुगतान कैसे किया जायेगा :

इस नियमावली के अधीन देय किसी धनराशि का भुगतान ऐसी रीति से किया जायेगा, राज्य सरकार तदर्थ निर्दिष्ट करे।

65. छात्रों के प्रशिक्षण के लिये सुविधायें :

(1) खनन का प्रत्येक स्वामी अभिकर्ता या प्रबन्धक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित खनिकर्म एवं भूतत्व संबंधी संस्थाओं के छात्रों को उनके द्वारा चलायी जाने वाली खानों और सयंत्रों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति देगा और ऐसे छात्रों के प्रशिक्षण के लिये अपेक्षित सभी आवश्यक सुविधायें देगा।

(2) खनिकर्म या भूतत्व शास्त्र की शिक्षा देने वाली संस्थाओं के छात्रों के प्रशिक्षण के लिये प्रार्थना पत्र खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक को उक्त संस्थाओं के आचार्य (Principal) या प्रधान के माध्यम से भेजे जाने चाहिये। खान के किसी स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक द्वारा व्यावहारिक, प्रशिक्षण के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करने से इनकार करने के मामले भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशक, उत्तर प्रदेश को अभिविष्ट किये जाने चाहिये।

o 66. निर्धारण करने, प्रवेश और निरीक्षण करने का अधिकार :

(1) किसी खान या परित्यक्त खान के रायल्टी का निर्धारण करने और उसकी वास्तविक या भावी कार्य की स्थिति की जांच करने के लिये या इस नियमावली से सबंद्ध किसी प्रयोजन के लिये जिला अधिकारी या भू–विज्ञान तथा खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश के ऐसे अधिकारी जो निदेशक द्वारा इस योजना के लिये नियुक्त खान निरीक्षक के पद से नीचे के पद के न हों या राज्य सरकार की सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी:

(क) किसी खान में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है।

(ख) किसी ऐसी खान का सर्वेक्षण कर सकता है और माप सकता है।

(ग) किसी खान में पड़ें हुये खनिज स्टाक को तौल सकता है, उसे माप सकता है या उसकी नाप ले सकता है।

(घ) किसी ऐसे लेख्य, बही, रजिस्टर या अभिलेख का परीक्षण कर सकता है जो किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे या अधिकार में हो, जिसका किसी खान पर नियन्त्रण हो या जो उससे संबद्ध हो और उस पर पहचान के चिन्ह लगा सकता है और ऐसे लेख्य, बही, रजिस्टर या अभिलेख से उद्धरण ले सकता है या उसकी प्रतियां तैयार कर सकता है।

(ड.) खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी ऐसे लेख्य, बही, रजिस्टर या अभिलेख को समन कर सकता है या उसे प्रस्तुत करने की आज्ञा दे सकता है।

(च) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका किसी खान पर नियंत्रण हो या जो उससे संबंद्ध हो, समन कर सकता है या उसका निरीक्षण कर सकता है, और

(छ) ऐसी सूचना या विवरण मांग सकता है जो आवश्यक समझी जाये।

(2) उप नियम (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा और प्रत्येक व्यक्ति से जो उक्त उप नियम

के खण्ड (ड) या खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के आधार पर कोई आज्ञा या समन जारी किया जाय, यथास्थिति, ऐसी आज्ञा या समन का अनुपालन करने के लिये विधितः बाध्य होगा।

(● 8 वां संशोधन)

67. भूमि के स्वामी द्वारा खनन संक्रियाये पर कोई निर्बन्धन आदि आरोपित नहीं किया जायेगा :

(1) कोई भी व्यक्ति, जिसे खनन पट्टा या खनन अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि में किसी भी रूप में अधिकार प्राप्त हो, ऐसी भूमि के पट्टा या खनन अनुज्ञा पत्र धारक खनन संक्रियाओं पर कोई प्रतिषेध या निर्बन्धन आरोपित करने या उपखनिज हटाने के लिये अधिमूल्य (प्रीमियम) या स्वामित्व के रूप में कोई धनराशि मांगने का हकदार न होगा।

प्रतिबंध यह है कि ऐसा व्यक्ति भूमि के धरातल की खनन संक्रियाओं के लिये उपयोग करने हेतु खनन पट्टा या खनन अनुज्ञा–पत्र के उक्त धारक से ऐसा वार्षिक प्रतिकर पाने का हकदार होगा जो उनके बीच तय हो।

(2) जहां खनन पट्टा या खनन अनुज्ञा–पत्रधारक और भूमि की सतह के स्वामी वार्षिक प्रतिकर की धनराशि पर सहमत न हो और उसके संबंध में कोई विवाद हो तो जिला अधिकारी द्वारा उसका अवधारण निम्नलिखित रूप से किया जायेगा :

(क) कृषि योग्य भूमि की दशा में, प्रतिकर की धनराशि उसी प्रकार की भूमि में विगत तीन वर्षों में की गई खेती से प्राप्त औसत वार्षिक शुद्ध आय के आधार पर निकाली जायेगी, और

(ख) गैर कृषि योग्य भूमि की दशा में, वार्षिक प्रतिकर की धनराशि, उसी प्रकार की भूमि के विगत तीन वर्षों के भाटक मूल्य के आधार पर निकाली जायेगी।

(✱ 20 वां संशोधन)

68. विशेष मामलों में नियमों का शिथिल किया जाना : राज्य सरकार किसी भी मामले में यदि उसकी यह राय हो कि खनिज विकास के हित में लिखित आज्ञा द्वारा और उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे ऐसा करना आवश्यक है, इस नियमावली में निर्धारित शर्तों ओर प्रतिबन्धों से भिन्न शर्तों और प्रतिबन्धों पर किसी खनिज को लब्ध करने के लिये किसी खनन पट्टे को देने या किसी खान का कार्य करने का प्राधिकार दे सकती है।

69. स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक ठेकेदार के माध्यम से वसूल किया जा सकता है :

(1) सरकार, खनन पट्टे के धारकों से स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक ठेकेदार द्वारा वसूल किये जाने का प्रबन्ध कर सकती है और ऐसे धारक, जब राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाये, स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक का भुगतान अपने पट्टे में निर्दिष्ट दरों पर उक्त ठेकेदारों को ऐसी अवधि के भीतर करेगे, जो निदेशित की जाये।

(2) खनन पट्टे के धारक द्वारा ठेकेदार का यथास्थिति स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक का भुगतान न करने के वही परिणाम होगें, जो राज्य सरकार को भुगतान करने के होते हैं और उस दशा में राज्य सरकार को पट्टेदार से बकाया की वसूली करने तथा पट्टे को समाप्त करने के

संबंध में ऐसे सभी अधिकार होगें, जो इस नियमावली में व्यवस्थित है।

(3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति के साथ, जो उपयुक्त समझा जाये, तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये निर्दिष्ट क्षेत्र में खनन पट्टों के धारकों से स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक वसूल करने के लिये नीलाम करके या टेण्डर आमंत्रित करके या किसी अन्य रीति से ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर अनुबन्ध कर सकती है जो उपयुक्त समझी जायें।

***70. खनिज के परिवहन पर निर्बन्धन :**

(1) खनन पट्टा या खनन अनुज्ञापत्र धारक या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत व्यक्ति, किसी गाड़ी, पशु या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा उप खनिज का परिषण (कन्साइनमेंट) कर ले जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रपत्र एम.एम. 11 में पास जारी करेगा। राज्य सरकार जिला अधिकारी के माध्यम से, भुगतान के आधार पर मुद्रित एम.एम. 11 प्रपत्र पुस्तिका की सम्पूर्ति का प्रबन्ध करेगी।

(2) कोई भी व्यक्ति राज्य के भीतर रेल को छोड़कर, पशु, गाड़ी या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा कोई उपखनिज उपनियम (1) के अधीन प्रपत्र एमए.म 11 में जारी पास के बिना नहीं ले जायेगा।

(3) किसी उप खनिज को ले जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति, नियम 66 के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांगने पर उक्त ''पास'' को ऐसे अधिकारी को दिखायेगा और उसे उपखनिज की मात्रा के संदर्भ में ''पास' के विवरणों की शुद्धता को सत्यापित करने देगा।

(4) राज्य सरकार खनन पट्टा या अनुज्ञा पत्र में सम्मिलित किसी क्षेत्र के लिये जाँच चौकी (चेक पोस्ट) स्थापित कर सकती है और जब ऐसी जाँच चौकी स्थापित कर दी जाय तो इस तथ्य की सार्वजनिक सूचना गजट में प्रकाशित करके और ऐसी अन्य रीति से दी जायेगी जैसा राज्य सरकार उपर्युक्त समझे।

(5) कोई व्यक्ति, ऐसे उपखनिज का, जिस पर यह नियमावली लागू होती हो, परिवहन ऐसे क्षेत्र से, उस क्षेत्र के लिये स्थापित जांच चौकी पर खनिज के प्रकार या माप के सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये बिना नहीं करेगा।

(6) कोई व्यक्ति जिसके संबंध में यह पाया जाय कि उसने इस नियम का उल्लंघन किया है, दोष सिद्ध हो जाने पर दोनों प्रकार में से किसी भी प्रकार के कारावास के दण्ड से दण्डनीय होगा, जिसकी अवधि छः माह तक हो सकती है अथवा अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। (*20वां संशोधन)

71. प्रतिनिधान :

राज्य सरकार गज़ट में विज्ञप्ति द्वारा यह निदेश दे सकती है कि इस नियमावली के अधीन उसके द्वारा प्रयोज्य कोई भी अधिकार किन्हीं ऐसे विषयों के संबंध में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाँय, राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग किये जा सकते हैं, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जाये।

72. पुनः स्वीकृति के लिए क्षेत्र की उपलब्धता का अधिसूचित किया जाना :

(1) यदि कोई क्षेत्र जो अध्याय–2 के अन्तर्गत खनन पट्टा के अधीन धृत था या अधिनियम की धारा 17–क के अधीन आरक्षित था, पुनः खनन पट्टे पर दिये जाने के लिये उपलब्ध हो जाता है तो जिला अधिकारी नोटिस के माध्यम से उस क्षेत्र की उपलब्धता अधिसूचित करेगा जिसमें दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए, जो नोटिस के दिनांक से तीस दिन पहले का न होगा और ऐसे क्षेत्र का ब्यौरा होगा। खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र आमंत्रित करेगा और ऐसी नोटिस की एक प्रति उसके कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी और एक–एक प्रति उस क्षेत्र के तहसीलदार और निदेशक को भी भेजी जायेगी।

(2) उप नियम (1) के अधीन खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र उक्त उप नियम में निर्दिष्ट नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक से सात कार्य दिवसों के भीतर प्राप्त किये जायेगे। यदि फिर भी, किसी क्षेत्र के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या तीन से कम हो तो जिलाधिकारी अवधि को अग्रतर सात कार्य दिवसों के लिये और बढ़ा सकता है और यदि उसके पश्चात भी प्रार्थना पत्र की संख्या तीन से कम रहती है तो जिलाधिकारी उक्त उप नियम के अनुसार नये सिरें से क्षेत्र की उपलब्धता को अधिसूचित करेगा।

(3) ऐसे क्षेत्र का, जो पहले से किसी पट्टा के अधीन धृत है या नियम 23 के उप नियम (1) के अधीन अधिसूचित है या अधिनियम की धारा 17–क के अधीन आरक्षित है और जिसकी उपलब्धता उप नियम (1) के अधीन अधिसूचित नहीं की गयी है खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र समय पूर्व समझा जायेगा और उस पर विचार नहीं किया जायेगा और यदि कोई प्रार्थना पत्र शुल्क दिया गया है तो उसे वापस कर दिया जायेगा।

(✱ 20 वां व ▲ 21 वां संशोधन)

✱ 73. विवरणियाँ (रिटनर्स) :

(1) इस नियमावाली के अधीन खनिज परिहार धारक, पूर्ववर्ती त्रैमास के संबंध में प्रत्येक वर्ष जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में प्रपत्र एम.एम. 12 में जिला अधिकारी और निदेशक के क्षेत्रीय कार्यालय को त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) जब कभी भी खनिज परिहार धारक उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करने में विफल होता है तो यह 400.00 रुपये की शास्ति का भागी होगा। (✱20 वां संशोधन)

✱ 74 – अपराधों का संज्ञान :–

(1) कोई न्यायालय, जिला अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिखित परिवाद, जिसमें ऐसे अपराध के गठन करने वाले तथ्यों का उल्लेख होगा, के सिवाय, इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(2) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई न्यायालय इस नियमावली के अधीन अपराध का विचार नहीं करेगा। (✱ 20 वां संशोधन)

*** 75. अपराधों का शमन :**

(1) इस नियमावली के अधीन–दण्डनीय किसी अपराध का शमन अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात, जिला अधिकारी द्वारा या ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत करे, राज्य सरकार को ऐसी धनराशि का भुगतान करने पर, जैसी ऐसा अधिकारी विनिर्दिष्ट करे, किया जा सकेगा :–

प्रतिबंध यह है कि केवल अर्थ दण्ड से दण्डनीय किसी अपराध की दशा में, ऐसी धनराशि उस अपराध के लिये आरोपित की जा सकने वाली अधिकतम धनराशि से अधिक नहीं होगी।

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन किसी अपराध का शमन किया जाता है, वहां इस प्रकार शमन किये गये अपराध के संबंध में, अपराधी के विरुद्ध यथास्थिति, कोई कार्यवाही या अग्रतर कार्यवाही नहीं की जायेगी और अपराधी को, यदि अभिरक्षा में हो, तत्काल उन्योचित कर दिया जायेगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन अपराध का शमन करने वाला अधिकारी एक रजिस्टर रखेगा जिसमें निम्नलिखित ब्योरों को दर्शाया जायेगा :–

(क) क्रम संख्या (वित्तीय वर्ष तक)

(ख) अपराधी का नाम और पता।

(ग) दिनांक और अपराध के ब्यौरे।

(घ) शमन धनराशि और उसके भुगतान का दिनांक।

(ड.) दिनांक और मोहर सहित अधिकारी का हस्ताक्षर । **(* 20 वां संशोधन)**

*** 76. पुलिस की सहायता :** नियम 66 में अभिदिष्ट अधिकारी इस नियमावली के अधीन अपनी शक्तियों के विधिसम्मत प्रयोग के लिये स्थानीय पुलिस, की सहायता के लिये प्रार्थना कर सकता है और स्थानीय पुलिस, उस अधिकारी को इस नियमावली के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये आवश्यक, सभी सम्भव सहायता देगी। **(* 20 वां संशोधन)**

*** 77. अपील :** इस नियमावली के अधीन जिला अधिकारी या समिति द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध, ऐसा आदेश क्षुब्ध पक्षकार को संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर, मण्डल आयुक्त के यहां अपील की जायेगी। **(* 20 वां संशोधन)**

*** 78. पुनरीक्षण :** राज्य सरकार किसी भी समय या तो स्वयं या आदेश की संसूचना के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर प्रार्थना पत्र दिये जाने पर जिला अधिकारी, समिति, निदेशक, या मण्डल आयुक्त द्वारा इस नियमावली के अधीन पारित किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही से संबंधित अभिलेख मांग सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और ऐसा आदेश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे। **(* 20 वां संशोधन)**

*** 79. शुल्क :** नियम 77 के अधीन अपील या नियम 78 के अधीन कोई प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम.एम. 13 में दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ एक ट्रेजरी रसीद होगी, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि नियम 64 में विनिर्दिष्ट शीर्षक के अन्तर्गत राज्य सरकार के मद्दे पांच सौ रुपये का शुल्क सरकारी कोष में जमा किया जा चुका है।
(* 20 वां संशोधन)

प्रथम अनुसूची

(22वां संशोधन दि. 9.1.97)

	खनिज	स्वामित्व (रायल्टी) की दर
	1	2
1.	चूना पत्थर	रु. 35.00 प्रति मीट्रिक टन या रु. 63.00 प्रति घन मीटर
2.	मार्बल या मार्बल चिप्स (संगमरमर)	रु. 50.00 प्रति मीट्रिक टन या रु. 90.00 प्रति घन मीटर
3.	ईट बनाने की मिट्टी	रु. 08.00 प्रति हजार बनी ईट
4.	शोरा (साल्ट पीटर)	रु. 0.50 प्रति किलोग्राम या रु. 50 प्रति कुन्तल
5.	इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)	
	(एक) स्लैब्स और अशलर सहित साइज्ड डायमेनशनल स्टोन (सैन्ड स्टोन क्वार्टजाइट)	रु. 80 प्रति घन मीटर
	(दो) मिल्स स्टोन और हथचक्की (सैन्ड स्टोन क्वार्टजाइट)	रु. 90.00 प्रति घन मीटर
	(तीन) खण्डास और बोल्डर्स	
	(क) ग्रेनाइट एवं डोलोस्टोन 25 x 25 x 25 सेमी. तक साइज्ड	रु. 20.00 प्रति घन मीटर
	(ख) सैण्ड स्टोन क्वार्टजाइट 25 x 25 x 25 सेमी. तक साइज्ड	रु. 15.00 प्रति घन मीटर
	(चार) गिट्टी बैलास्ट	
	(क) ग्रेनाइट एवं डोलोमाइट	रु. 20.00 प्रति घन मीटर
	(ख) सैण्ड स्टोन क्वार्टजाइट	रु. 15.00 प्रति घन मीटर
	(पांच) ग्रेनाइट साइज्ड डायमेनशनल स्टोन	
	(क) एक मीटर या उससे बड़ा	रु. 400.00 प्रति घन मीटर
	(ख) एक मीटर से छोटा	रु. 300.00 प्रति घन मीटर
6.	मौरम	
	(एक) नदी तल में उपलब्ध	रु. 15.00 प्रति घन मीटर

	(दो) पहाड़ी के क्षरण के फलस्वरूप उत्पन्न लाल मोंरम	रु. 12.00 प्रति घन मीटर
7.	निहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले साधारण बालू से भिन्न बालू	
	(एक) प्रथम श्रेणी अनुसूची दो में उल्लिखित नदियों और उनके गाह्य क्षेत्र।	13.00 प्रति घन मीटर
	(दो) द्वितीय श्रेणी अन्य नदियों और उनके ग्राह्य क्षेत्र	रु.10.00 प्रति घन मीटर
8.	कंकड़	रु. 8.00 प्रति घन मीटर
9.	बजरी (सिंगिल)	रु. 20.00 प्रति घन मीटर
10.	साधारण मिट्टी	रु.4.00 प्रति घन मीटर
11.	कोई अन्य उपखनिज जिनके लिए स्वामित्व की दर निर्धारित नहीं है।	खान पर बिक्री मूल्य का दस प्रतिशत

द्वितीय अनुसूची

(नियम–22)

(22वां संशोधन दि. 9–1–1997)

उप खनिजों का नाम	जिले/नदी का नाम	प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक की दर
1	2	3
1. मार्बल और मार्बल चिप्स्	देहरादून, सोनभद्र, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल और अन्य जिले, यदि कोई हो	रु. 3000.00
2. चूना पत्थर (लाइमस्टोन)	देहरादून सोनभद्र, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल और अन्य जिले, से यदि कोई हों	रु. 3000.00
3. इमारती पत्थर		
(एक) सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाइट	ललितपुर, सोनभद्र, पिथौरागढ़, बांदा, अल्मोड़ा, मिर्जापुर, इलाहाबाद, मथुरा, नैनीताल, आगरा, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल	4000.00

(दो) ग्रेनाइट	उत्तरकाशी, चमोली और अन्य जिले, यदि कोई हों झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, जालौन, सोनभद्र, और अन्य जिले, यदि कोई हो	रु. 8000.00
4. ऐसे इमारती पत्थर, बौल्डर गिट्टी, (बैलास्ट) बजरी और साधारण बालू जो मिली–जुली अवस्था में नदी के तल पर मिलते हैं	देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, टिहरीगढ़वाल, बिजनौर, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, सहारनपुर, बहराइच, चमोली, लखीमपुर खीरी, उत्तर काशी और अन्य जिले, यदि कोई हों	बोल्डर रु. 4000.00 बजरी रु. 4000.00 साधारण बालू रु. 2000.00 प्रत्येक खनिज पर अलग दर लगेगी।
5. मोरम		
(एक) नदी तल	हमीरपुर, महोबा, झांसी, बांदा, जालौन, ललितपुर, फतेहपुर, सोनभद्र (पहाड़ो पर) पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली, देहरादून, उत्तरकाशी, टेहरी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल	रु. 4000.00
(दो) पहाड़ों के क्षरण के फलस्वरूप जमा लाल मोरम	समस्त जिले जहां उपलब्ध हों	रु. 2000.00
6. साधारण बालू (प्रथम श्रेणी)	इलाहाबाद (यमुना नदी, गंगा नदी)	रु. 3000.00
	मिर्जापुर (गंगा नदी)	रु. 3000.00
	फिरोजाबाद	रु. 3000.00
	आगरा (यमुना नदी, चम्बल नदी)	रु. 3000.00
	गाजियाबाद (यमुना नदी)	रु. 3000.00
	मेरठ (यमुना नदी और अन्य)	रु. 3000.00
	वाराणसी (गंगा नदी, कर्मनाशा और अन्य)	रु. 3000.00
	भदोही	रु. 3000.00

	गोरखपुर (घाघरा और डांडी नदी)	रु. 3000.00
	आजमगढ़ (घाघरा जामिन नदी)	रु. 3000.00
	मऊ	रु. 3000.00
	कानपुर नगर और देहात (गंगा नदी)	रु. 3000.00
	उन्नाव (गंगा नदी, सई नदी)	रु. 3000.00
	इटावा (यमुना और चम्बल नदी)	रु. 3000.00
	बलिया (गंगा नदी)	रु. 3000.00
	बुलन्दशहर (गंगा नदी)	रु. 3000.00
	मुजफ्फर नगर (गंगा, यमुना नदी)	रु. 3000.00
	फैजाबाद (घाघरा नदी)	रु. 3000.00
	अम्बेदकर नगर	रु. 3000.00
	देवरिया (छोटी गंडक और घाघरा नदी)	रु. 3000.00
	बस्ती (घाघरा, कुआनों नदी)	रु. 3000.00
	महाराजगंज	रु. 3000.00
	सिद्धार्थ नगर	रु. 3000.00
	गोण्डा	रु. 3000.00
	गाजीपुर (गंगा नदी)	रु. 3000.00
	बहराइच	रु. 3000.00
	हमीरपुर (जमुना नदी)	रु. 3000.00
7. साधारण बालू (द्वितीय श्रेणी)	शाहजहाँपुर (गर्रा नदी)	रु. 2000.00
	मथुरा (यमुना नदी)	रु. 2000.00
	मुरादाबाद (रामगंगा नदी)	रु. 2000.00
	लखनऊ (गोमती नदी)	रु. 2000.00
	रायबरेली (गंगा, सई नदी)	रु. 2000.00
	प्रतापगढ़ (गंगा, सई नदी)	रु. 2000.00
	एटा	रु. 2000.00
	बाराबंकी (घाघरा, गोमती नदी)	रु. 2000.00
	बरेली (रामगंगा नदी)	रु. 2000.00
	सुलतानपुर (गोमती नदी)	रु. 2000.00
	कानपुर देहात (यमुना नदी)	रु. 2000.00

	सीतापुर (गोमती, सरजू नदी)	रु. 2000.00
	फर्रुखाबाद (गंगा और काली नदी)	रु. 2000.00
	पीलीभीत (गर्रा व देहुआ नदी)	रु. 2000.00
	रामपुर (रामगंगा नदी)	रु. 2000.00
	बदायूं (गंगा नदी)	रु. 2000.00
	मैनपुरी	रु. 2000.00
	जौनपुर (गोमती नदी, सई नदी)	रु. 2000.00
	अलीगढ़ (गंगा नदी)	रु. 2000.00
	हरदोई (गर्रा, गंगा और गोमती नदी)	रु. 2000.00
8. साधारण मिट्टी	उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान का	रु. 1000.00

तृतीय अनुसूची

प्रपत्र एम. एम. –1

खनन पट्टे के लिये प्रार्थना पत्र

(चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)

दिनांक ..... 19 .....

(समय) ..... बजे

(स्थान) .....

(दिनांक) ..... को प्राप्त हुआ।

सभी प्रकार से पूर्ण / अपूर्ण

(पाने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर)

प्रार्थना पत्र सभी प्रकार से .....को पूर्ण किया गया।

पाने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय,

मैं / हम निवेदन करता हूं / करते हैं कि मुझे / हमें उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के अधीन खनन पट्टा दिया जाय।

2. उक्त नियमावली में नियम 6 के उपनियम (1) के अधीन इस प्रार्थना पत्र के संबंध में देय शुल्क और प्रारम्भिक व्यय का क्रमशः ..... रुपया और ..... रुपया जमा कर दिया गया है।

3. अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये है :–

(एक) प्रार्थी का नाम और पूरा पता .....

.....

(दो) क्या प्रार्थी गैर–सरकारी व्यक्ति / निजी कम्पनी / सार्वजनिक कम्पनी / फर्म या निकाय है :

.....

(तीन) यदि प्रार्थी :–

(क) व्यक्ति विशेष है तो उसकी राष्ट्रिकता .....

(ख) निजी कम्पनी है तो कम्पनी के सभी सदस्यों की राष्ट्रिकता और उसके निबंधन (रजिस्ट्रेशन) का स्थान .....

(ग) सार्वजनिक कम्पनी है तो निदेशकों की राष्ट्रिकता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धृत अंशपूंजी का प्रतिशत तथा उसके निगमन का स्थान.....

(घ) फर्म या निकाय है तो फर्म के सभी भागीदारों या निकाय के सभी सदस्यों की राष्ट्रिकता .....

.....

▲ (ड.) बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई मिली–जुली अवस्था में हो, प्रार्थना कर्ता है तो निर्धारित प्रपत्र पर जाति एवं निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिये।

(▲ 21 वां संशोधन)

(चार) प्रार्थी का व्यवसाय या कारोबार .....

(पांच) खनिज जिसे/जिन्हें प्रार्थी खनन करना चाहता है .....

(छः) अवधि, जिसके लिये खनन पट्टा अपेक्षित है .....

(सात) उस क्षेत्र का ब्योरा, जिसके संबंध में खनन पट्टा अपेक्षित है :–

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	क्या रिक्त है/किसी के द्वारा धृत है और यदि धृत हैं तो उसका ब्यौरा।
1	2	3	4	5	6	7

(आठ) निम्नलिखित के संबंध में विशेष उल्लेख के साथ क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण :–

(क) प्राकृतिक आकृतियां, ऐसे स्रोत आदि के उल्लेख के साथ क्षेत्र की स्थिति .....

(ख) वन क्षेत्रों की दशा में, कार्यवृत्त (वर्किंग सर्किल) का नाम, वन रजि (रेंज) और पातन श्रेणी (फेलिंग सीरीज); यदि कोई हो, वन मं ज्ञात और सीमांकित क्षेत्रों के सबंध में क्षेत्र का विवरण तथा विस्तार (लगभग) .....

(ग) भू–कर सर्वेक्षण (कैडेस्ट्रल सर्वे) के अन्तर्गत न आने वाली क्षेत्र की दशा में, धरातल मानचित्र (टोपो मैप) में निश्चित स्थानों के अभिदेश में क्षेत्र के प्रारम्भिक स्थान (स्टार्टिंग प्वॉइंट) विवरण और सीमा रेखा की रेखीय दूरियां और उनकी 4 इंच बराबर 1 मील के पैमाने के धरातल मानचित्र में दिये गये क्षेत्र के तद्नुरूप यथासम्भव ठीक–ठीक दिकस्थिति (बीअरिंग)

(घ) मानचित्र पर कम से कम दो स्थायी अभिदेश बिन्दु अवश्य दर्शाया जाना चाहिये .....

(नौ) राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के भीतर, खनिजवार ऐसे क्षेत्रों के विवरण :–

(क) जिन्हें प्रार्थी या कोई व्यक्ति, जो उसके साथ स्वत्व में संयुक्त (ज्वाइन्ट इन्टरेस्ट) हो, पट्टे के अधीन पहले से धारण किये हो;

(ख) जिसके लिये उसने पहले से ही प्रार्थना पत्र दिया हो किन्तु स्वीकार न किया गया हो;

(ग) जिसके लिये एक साथ ही प्रार्थना पत्र दिया जा रहा हो;

(दस) संयुक्त स्वत्व का प्रकार, यदि कोई हो .....

(ग्यारह) रीति, जिसके अनुसार संग्रह किये गये खनिज का उपयोग किया जायेगा, यदि प्रार्थी आवेदित खनिज का उद्योग स्थापित करना चाहता हो, या उसने पहले से ही स्थापित किया हो उसका पूर्ण विवरण और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिये .....

(बारह) प्रार्थी के वित्तीय संसाधन .....

▲(बारह–क) खननदेय बकाया न होने का जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिये।

यदि प्रार्थी द्वारा राज्य क्षेत्र के भीतर कोई खनन पट्टा या कोई अन्य खनिज परिहार धारित नहीं करता है या धारित नहीं किया था तो इस कथन का शपथ पत्र उक्त प्रमाण पत्र के स्थान पर दिया जाना चाहिये। (▲21 वां संशोधन)

(तेरह) उपर्युक्त (दो) में अभिदिष्ट धनराशि के लिये संलग्न रसीद वाले कोषागार चालान के विवरण .....

(चौदह) कोई अन्य विवरण या रेखा–मानचित्र (स्केच मैप) जो प्रार्थी प्रस्तुत करना चाहें .....

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/ करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण सहीं हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण जिसके अर्न्तगत यथार्थ नक्शें और प्रतिभूति जमा आदि हैं; देने को तैयार हूं/हैं, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों।

स्थान .....

भवदीय

दिनांक .....

प्रार्थी/प्रार्थियों के हस्ताक्षर

अवधेय :– (1) यदि प्रार्थना पत्र प्रार्थी के प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाय तो अभिकरण–पत्र (पावर आफ एटार्नी) संलग्न किया जाना चाहिये।

(2) प्रार्थना पत्र केवल एक सहत खण्ड (ब्लाक) के लिये होना चाहिये।

प्रपत्र एम.एम. –1 (क)

(*20वां संशोधन)

(चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)

आदर्श–प्रपत्र

खनन पट्टे के नवीकरण के लिये प्रार्थना पत्र

(नियम 6क देखिये)

स्थान ..... दिनांक ..... को प्राप्त हुआ।

पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक .....

के माध्यम से

(पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर)

सेवा में,

.....

.....

महोदय,

मैं/हम उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के अधीन अपने खनन पट्टे से नवीकरण के लिये निवेदन करता हूं/ करते हैं। उक्त नियमावली के नियम–6–क के उपनियम (1) के अधीन देय 1000.00 रुपये (एक हजार रुपये) का प्रार्थना पत्र शुल्क जमा कर दिया गया है।

आपेक्षित विवरण नीचे दिये गये है :–

1. प्रार्थी का नाम और पूरा पता .....
2. क्या प्रार्थी कोई गैर–सरकारी व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या निकाय है। .....
3. यदि प्रार्थी :–

   (क) व्यक्ति विशेष है, तो उसकी राष्ट्रिकता .....

   (ख) निजी कम्पनी है, तो कम्पनी के सभी सदस्यों के रजिस्ट्रीकरण के स्थान के साथ उसकी राष्ट्रिकता .....

   (ग) सार्वजनिक कम्पनी है, तो निदेशकों की राष्ट्रिकता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धृत अंशपूंजी का प्रतिशत तथा उसके निगमन के स्थान .....

   (घ) फर्म या संगम है तो फर्म के सभी भागीदारों या संगम के सदस्यों की राष्ट्रिकता .....

(ड.) यदि प्रार्थना पत्र बालू और मोरम के लिये है तो प्रत्येक प्रार्थी की जाति और निवास स्थान के पते का प्रमाण पत्र दिया जायेगा.....

4. प्रार्थी/प्रार्थियों के व्यवसाय या कारोबार की प्रकृति .....

5. खनन देय बकाया न होने का जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृति अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिये।

6. (क) खनन पट्टे का विवरण, जिसका नवीकरण वांछित है .....

(ख) पूर्व में स्वीकृत नवीकरण के ब्योरे, यदि कोई हों, ...

7. अवधि, जिसके लिये खनन पट्टे का नवीकरण अपेक्षित है .....

8. क्या नवीकरण का आवेदन धृत पट्टे के सम्पूर्ण या उसके भाग के लिये किया गया है

(क) क्षेत्र, जिसके नवीकरण के लिये आवेदन किया गया .....

(ख) उस क्षेत्र का विवरण, जिसके नवीकरण के लिये आवेदन किया गया है (विवरण भूखड के सीमांकन के लिये पर्याप्त होना चाहिये) .....

(ग) धृत पट्टा क्षेत्र के मानचित्र का विवरण, जिसमें नवीकरण के लिये आपेक्षित क्षेत्र को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया हो (संलग्न) .....

(घ) विद्यमान या सृजित मलवे के विवरण यदि कोई हो .....

9. क्या प्रार्थी का उस भूमि के धरातल, जिसके खनन पट्टे के नवीकरण के लिये उसने अपेक्षा की है. अधिकार हैं?

10. यदि उसको सतही अधिकार प्राप्त नहीं हैं तो क्या उसने खनन संक्रिया के लिये क्षेत्र के स्वामी और अधिभोगी की सहमति प्राप्त कर ली है? यदि सहमति प्राप्त कर ली है तो स्वामी और अधिभोगी की लिखित सहमति प्रस्तुत की जायेगी .....

11. शपथ पत्र द्वारा समर्थित प्रत्येक राज्य में खनिजवार क्षेत्र का विवरण जिस पर आवेदक या उसके साथ संयुक्त स्वत्व रखने वाला व्यक्ति :

(क) खनन पट्टे के अधीन पहले से धारित करता है;

(ख) पहले ही आवेदन किया हो, किन्तु यह स्वीकार न किया गया हो, या

(ग) साथ–साथ आवेदन कर रहा हो

12. खनन योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(क) क्षेत्र का मानचित्र जिसमें खनिज निकाय तथा खनिज स्थल या स्थलों का प्रकार और उनका विस्तार दर्शाया गया हो, जिसमें प्रथम वर्ष में उत्खनन किया जाना हो, और उसका विस्तार; प्रार्थी द्वारा एकत्र किये गये पूर्वेक्षण आंकड़ों पर आधारित उत्खनन स्थल का विस्तृत ब्यौरा पट्टे की अवधि के लिये अनन्तिम खनन योजना .....

(ख) क्षेत्र के भू–विज्ञान एवं अश्म–विज्ञान (lithology) का ब्यौरा, शारीरिक श्रम और मशीन द्वारा खनन का विस्तार .....

(ग) वार्षिक कार्यक्रम और वर्षानुवर्ष उत्खनन योजना और

(घ) क्षेत्र का नक्शा, जिसमें प्राकृतिक जल स्रोत, आरक्षित वन तथा अन्य वनों की सीमा और वृक्षों की संघनता, खनन क्रिया–कलाप का वन, भूमि और पर्यावरण, जिसमें वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण भी सम्मिलित हैं, पर प्रभाव का आंकलन और वन रोपण भूमि–पुनरूधार, प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के प्रयोग की योजना के ब्योरे दर्शाये गये हों।

टिप्पणी – इसकी आवश्यकता नदी तल के बालू, मोरम, बजरी इत्यादि के लिये नहीं होगी।

13. साधन, जिससे खनिज निकाला जाना है, अर्थात शारीरिक श्रम द्वारा या यान्त्रिक या विद्युत युक्ति द्वारा .....

14. रीति जिसके अनुसार संगह किया गया खजिन उपयोग में लाया जायेगा :–

(क) भारत में विनियोग के लिये

(ख) विदेशों को निर्यात करने के लिये;

(ग) पूर्ववती दशा में उन उद्योगों को, जिसे संबंध में यह अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट किया जायेगा पश्चातवर्ती दशा में, उन देशों का उल्लेख किया जाना चाहिये, जिनकी खनिज का निर्यात किया जायेगा या उल्ल्ेख किया जाना चाहिए कि क्या खनिज प्रक्रमण्ड के पश्चात निर्यात किया जायेगा या कच्चे रूप में .....

15. विगत तीन वर्षों में उत्पादन का ब्योरा और आगामी तीन वर्षो के दौरान विकास के लिये अभिन्यास योजना सहित उत्पादन के लिये चरणबद्ध कार्यक्रम, यदि कोई हों, का उल्लेख किया जाना चाहिये।

16. विद्यमान उपलब्ध रेलवे परिवहन सुविधा और अतिरिक्त परिवहन सुविधा, यदि कोई अपेक्षित हो।

17. कोई अन्य विवरण जो प्रार्थी देना चाहते हों

मैं/ हम एतद्क्षरा घोषित करता हूं। करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं और मैं/ हम, पट्टा दिये जाने या उसका नवीकरण किये जाने के पूर्व आपके द्वारा अपेक्षित कोई अन्य ब्यौरा, जिसमें नक्शे भी है, देने का तत्पर हूं/हैं।

स्थान .....

भवदीय

दिनांक

प्रार्थी का हस्ताक्षर और पदनाम

अवधेय :– यदि प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है तो अभिकरण–पत्र संलग्न किया जाना चाहिये।

प्रपत्र एम.एम. 2

खनन पट्टों के लिये प्रार्थना–पत्र का रजिस्टर (नियम – 5)

1. क्रम संख्या .....

2. खनन पट्टे के लिये प्रार्थना पत्र का दिनांक .....

3. दिनांक जब पाने वाले अधिकारी को प्रार्थना –पत्र प्राप्त हुआ .....

4. यदि प्रार्थना पत्र पहले बार प्राप्त होने पर सभी प्रकार से पूर्ण न रहा तो वह दिनांक जब वह पूरा किया गया .....

5. प्रार्थी का नाम और पूरा पता .....

6. उस भूमि का ब्यौरा जिसके लिये प्रार्थना पत्र दिया गया हो :–

   (क) तहसील (ख) परगना

   (ग) ग्राम (घ) प्लाट नं.

   (घ) क्षेत्रफल :

7. भूमि का कुल क्षेत्रफल :

8. उन खनिजों का विवरण उन्हें प्रार्थी खनन करने का इच्छुक है :

9. चालान संख्या और दिनांक सहित भुगतान किया गया प्रार्थना –पत्र शुल्क और जमा किया गया प्रारंभिक व्यय :

10. प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर :

11. उस अन्तिम आज्ञा की संख्या और दिनांक जब प्रार्थना–पत्र निस्तारित किया गया :

12. दी गई आज्ञा का संक्षिप्त विवरण :

13. प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर :

14. अभ्युक्तियां :

प्रपत्र एम.एम. 3

खनन पट्टे का आदर्श (Model) प्रपत्र – (नियम–14)

यह अनुबन्ध आज .....दिनांक.....
को ..... उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे ''राज्य–सरकार'' कहा गया है, जिस पदावलि में यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिती भी सम्मिलित समझे जायेगे) एक पक्ष और .....

यदि पट्टेदार एक विशेष व्यक्ति हो : (व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय) (जिसे आगे ''पट्टेदार) कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेगे) दूसरा पक्ष

यदि पट्टेदार एक से अधिक व्यक्ति हो : (व्यक्ति का नाम तथा पता और व्यवसाय) तथा ..... (व्यक्ति का नाम तथा पता और व्यवसाय) जिन्हें आगे ''पट्टेदार'' कहा गया है जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो,उनके अपने–अपने दायाद, निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेगे, दूसरा पक्ष)

यदि पट्टेदार कोई रजिस्ट्रीकृत फर्म हो : (भागीदार का नाम और) आत्मज. .....
.....निवासी ..... जो सभी भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का ऐक्ट सं 9) के अधीन निबन्धित फर्म (फर्म का नाम) के नाम और रूप के अधीन भागीदारी में कार बार कर रहे है और जिसका रजिस्टीकृत कार्यालय .....
..... नगर में ..... पर है।) (जिन्हें आगे ''पट्टेदार'' कहा गया है, जिस पदावलि मं, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उक्त समस्त भागीदार, उनके अपने–अपने दायाद, निष्पादक और विधिक प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेंगे) दूसरा पक्ष

यदि पट्टेदार रजिस्ट्रीकृत कम्पनी हो :– (कम्पनी का नाम) .....
(अधिनियम जिसके अधीन निगमित है, के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .....में है, (पता) (जिसे आगे ''पट्टेदार कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उनके उत्तराधिकारी भी सम्मिलित समझे जायेगे)। दूसरा पक्ष।

चूंकि पट्टेदार/पट्टेदारों ने उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली 1963 (जिसे आगे "उक्त नियमावली' कहा गया है) के अनुसार राज्य सरकार को निम्नलिखित अनुसूची के भाग–1 में वर्णित भूमि ..... एकड़ के निमित्त खनन पट्टे के लिये प्रार्थना पत्र दिया है और उसने/उन्होंने राज्य सरकार के पास ..... रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में तथा ....रुपये की धनराशि खनन पट्टे के हेतु आरम्भिक व्ययों की पूर्ति के लिये जमा कर दी है।

यह इस बात का साक्ष्य है कि उपस्थापन पत्र और निम्नलिखित अनुसूची द्वारा रक्षित और उनमें दिये गये और पट्टेदार/पट्टेदारों की ओर से भुगतान किये जाने वाले पालन और सम्पादन किये जाने वाले, किरायों स्वामित्वों, प्रसंविदाओं तथा अनुबन्धों के प्रतिफल में राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों, को निम्नलिखित प्रदान और पट्टान्तरित करती है ..... (यहां **खनिज** या खनिजों का उल्लेख कीजिये) (जिन्हें आगे अभिदिष्ट अनुसूची में "उक्त खनिज" कहा गया है) की समस्त खाने, तल्प (Beds) सदरसीम्स (Viens) जो अनुसूची के भाग–1 में अभिदिष्ट भूमि में या उसके नीचे स्थिति हो, पड़ी हो या हों, उन स्वतंत्रताओं या अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के साथ जिनको इसके संबंध में, उन निबंधनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुये प्रयोग या उपयोग किया जायेगा, जो ऐसी स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के प्रयोग तथा उपयोग करने के बारे में हो ..... सिवाय इसके और इसमें से आरक्षित उक्त नियमावली में उल्लिखित स्वतंत्रतायें, अधिकार तथा विशेषाधिकार राज्य सरकार में पट्टान्तरित हो जायेंगे। दिनांक ..... 19.... से .... वर्ष की आगामी अवधि के लिए पट्टेदार/पट्टेदारों का एतद्द्वारा दिये और पट्टान्तरित ऐसे भू–गृहादि धारण करना, जिसमें खनिज निकलने लगे और

राज्य सरकार को उक्त अनूसूची के भाग – 2 में उल्लिखित कई किरायों और स्वामित्वों का भुगतान उसमें विनिर्दिष्ट भिन्न–भिन्न समयों पर होने लगे किन्तु प्रतिबंध यह है कि ऐसा उक्त भाग में उपबंधों के अधीन हो, और, पट्टेदार एतद्द्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है / करते हैं और राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार/ पट्टेदारों के साथ प्रसंविदा करती है जैसा कि उक्त नियमावली में अभिव्यक्त है;

और, एतदद्वारा इसके साथ दिये गये पक्षों के बीच में परस्पर सहमत हुआ है और जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग–3 में अभिव्यक्त है।

(उपर अभिदिष्ट अनुसूची)

भाग–1

इस पट्टे का क्षेत्रफल

पट्टे का क्षेत्रफल और स्थान ..... जो जिला .....
वह समस्त भूखण्ड....., तहसील .....और .....
थाना..... के अन्तर्गत (परगना) ..... में स्थान ..... पर
(क्षेत्रअथवा क्षेत्रों का विवरण) ..... स्थित है और जिसकी भूकर सर्वेक्षण संख्या
..... है तथा, जिसमें ..... क्षेत्र है, जो यहां संलग्न
नक्शें में चिन्हित है और उसे ..... से रंजित (Coloured) किया गया है और
जिसकी सीमायें निम्नलिखित हैं :–

उत्तर में .....

दक्षिण में .....

पूर्व में .....

पश्चिम में .....

एतद्पश्चात जिसे "उक्त भूखण्ड" कहा गया है।

भाग – 2

इस पट्टे द्वारा आरक्षित अपरिहार्य भाटक और स्वामित्व

अपरिहार्य भाटक या स्वामित्व का, जो इनमें से अधिक हो, भुगतान करना –

(1) पट्टेदार पट्टे के प्रत्येक वर्ष के लिये प्रत्येक खनिज के संबंध में, इस भाग के खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट अपरिहार्य भाटक का वार्षिक भुगतान करेगा :

प्रतिबंध यह है कि पट्टेदार प्रत्येक खनिज के संबंध में अपरिहार्य भाटक या स्वामित्व का, जो धनराशि इसमें से अधिक हो, देनदार होगा, किन्तु दोनों का नहीं।

(2) अपरिहार्य भाटक की दर और उसका भुगतान करने की रीति :

इस भाग के खंड (1) के उपबंध के अधीन रहते हुये पट्टे की अवधि में पट्टेदार राज्य सरकार को इस अनुसूची के भाग–1 में वर्णित और पट्टान्तरित (demised) भूमि के प्रति खनिज प्रति

एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक निम्नलिखित दर/दरों पर या ऐसी संशोधित दर/दरों पर भुगतान करेगा/करेंगे जो पट्टेदार/पट्टेदारों को राज्य सरकार द्वारा लिखित रूप से संसूचित किया जायेगा/किये जायेंगे :–

● खनिज का नाम	प्रति एक निशिचित किया गया अपरिहार्य भाटक	पट्टान्तरित भूमि का क्षेत्रफल	देय अपरिहार्य भाटक	एक वर्ष में देय कुल अपरिहार्य भाटक
1	2	3	4	5
1				
2				
3				

● (यहां पर रीति, जिसके अनुसार और वह समय जब अपरिहार्य भाटक का भुगतान किया जाना चाहिये, लिखिये)

अपरिहार्य भाटक का राज्य सरकार के प्रति भुगतान पट्टा वर्ष के पूरा होने के एक माह के भीतर उस जिले के मुख्यालय के राजकीय कोषगार में, जिसमें धृत पट्टा स्थित हो, ऐसे लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा करके, जैसा कि समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रति वर्ष किया जायेगा।

(3) स्वामित्व की दर और उसके भुगतान की रीति :

इस भाग के खण्ड (1) के नियमों के उपबन्धों रहते हुये पट्टेदार पट्टे की अवधि में राज्य सरकार को ऐसे समयों पर और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार विहित करे, पट्टे पर दिये हुये क्षेत्र से उसके/उनके द्वारा हटाया गया/ हटाये गये किसी खनिज/किन्हीं खनिजों के संबंध में उक्त नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट दर पर स्वामित्व का भुगतान करेगा/करेंगे।

▲ (4) साधारण बालू, मोरम, बजरी एवं बोल्डर की पट्टा धनराशि की दर एवं भुगतान की रीति :

साधारण बालू एवं मोरम के पट्टेदार पट्टे के आगामी वर्षों में पट्टा धनराशि पूर्ववर्ती वर्ष में भुगतान की गई धनराशि से 10 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर से जमा करेगा। साधारण बालू,बजरी, बोल्डर जो मिली–जुली अवस्था में हो, के पट्टेदार पट्टे के आगामी वर्षों में पट्टा धनराशि का भुगतान पूर्ववर्ती वर्ष में भुगतान की गई धनराशि से 25 प्रतिशत की बड़ी हुई दर से करेगा। यदि पट्टा क्षेत्र से हटाये गये खनिज पर देय रायल्टी पट्टा धनराशि से अधिक आती है तो पट्टेदार द्वारा उस धनराशि का भुगतान करना होगा जो इनमें से अधिक होगी। (▲21 वां संशोधन)

(5) **अपरिहार्य भाटक और स्वामित्व कटौती आदि मुक्त होंगे :**

इस भाग में उल्लिखित अपरिहार्य भाटक और स्वामित्व का भुगतान बिना किसी कसौटी के राज्य सरकार को ..... पर और ऐसी रीति से किया जायेगा, जो राज्य सरकार विहित करे।

(6) **स्वामित्व के संगणन की रीति :**

उक्त स्वामित्वों के संगणन करने के प्रयोजनों के लिये पट्टेदार खान से संग्रह किये गये खनिज/खनिजों का और उसको/उनको भेजने की रीति का सही–सही लेखा रखेगा, जिसमें वह वे परिवहन की प्रणाली, वाहन की निबंधन संख्या, वाहन के प्रभारी व्यक्ति, वाहन द्वारा परिवहन किये गये खनिज/खनिजों का विवरण और परिमाण का उल्लेख करेगा/करेंगे, जो एम.एम 11 में पास जारी करेगा और ऐसे अन्य विवरणों का उल्लेख करेगा/करेंगे, जो राज्य सरकार का सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे। नियम 66 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार नियमावली के अधीन समय–समय पर प्राधिकृत करे, स्टाक में रखे गये और निर्यात किये जाने वाले या प्रपत्र एम एम 11 में उल्लिखित खनिज/खनिजों के लेखा उसके/उनके भार का परिमाण की जांच कर सकता है। पट्टेदार प्रति वर्ष जिला अधिकारी और भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्ववर्ती तिमाही के पन्द्रह दिनों के भीतर जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल में प्रपत्र एम.एम. 12 में तिमाही विवरणी प्रस्तुत करेगा और यदि विवरणी नियत समय के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है तो पट्टेदार चूक के प्रत्येक अवसर पर 400.00 रुपये (चार सौ रुपये) की धनराशि का भुगतान करेगा।

(7) **प्रपत्र एम.एम. 11 का भुगतान के आधार पर दिया जाना :**

पट्टेदार, जिला अधिकारी के कार्यालय से प्रपत्र एम.एम. 11 की पुस्तिका, जैसा नियमावली के नियम 70 के (1) के अपेक्षित है, भुगतान करने पर प्राप्त करेगा/करेंगे।

(8) **नियत समय पर भाटक, स्वामित्व आदि का भुगतान न करने पर कार्यवाही :**

यदि पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा इस उपस्थापन पत्र के निर्बंधनों और शर्तों के अधीन किसी भाटक, स्वामित्व या राज्य सरकार, को देय किसी अन्य धनराशि का भुगतान विहित समय के भीतर नहीं किया जाता है तो वह ऐसे अधिकारी के प्रमाण पत्र पर, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उसी प्रकार से वसूल की जा सकेगी, जिस प्रकार से मालगुजारी का बकाया वसूल की जाती है।

भाग – 3

सामान्य उपबन्ध

(1) **नियमों, प्रसंविदाओं और शर्तों के भंग करने पर पट्टा समाप्त किया जा सकता है :**

यदि पट्टेदार उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के किसी नियम या इस पट्टे की किसी प्रसंविदा और शर्त को भंग करे/करें तो राज्य सरकार पट्टा समाप्त कर सकती है और प्रतिभूति जमा को पूर्णतः या अंशतः जब्त कर सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पट्टा समाप्त किये जाने के पूर्व पट्टेदार/पट्टेदारों को उक्त शर्त भंग करने का स्पष्टीकरण देने के लिये युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा। यदि पट्टेदार यथास्थिति, इस नियमावली या इस पट्टे के अधीन किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से क्षुब्ध है तो वह/वे इस नियमावली के नियम 77 और 78 के अधीन अपील/पुनरीक्षण दायर कर सकता है।

(2) **पट्टेदार, पट्टे की समाप्ति पर अपनी सम्पत्तियों को हटायेगा/हटायेंगे :**

पट्टेदार इस उपस्थापन पत्र (प्रजेन्ट्शन) के आधार पर देय किराये और स्वामित्वों का पहले भुगतान और उन्मोचन कर चुकने पर, उक्त अवधि की समाप्ति पर या उसके शीघ्रतर समाप्ति पर या तत्पश्चात तीन कलेण्डर मास के भीतर (जब तक पट्टा इस भाग के खण्ड (1) के अधीन समाप्त न कर दिया जाय, और उस दशा में किसी समय ऐसी समाप्ति के पश्चात कम से कम एक कलेण्डर मास में और अधिक से अधिक तीन कलेण्डर मास में) अपने लाभ के लिये ऐसे सभी या किसी इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन संरचनाओं और अन्य निर्माण कार्य, परिनिर्माण (एरेक्शन्स) और अस्थायी आवास–स्थानों को उखाड़ सकता है/सकते हैं और हटा सकता है/सकते हैं, जो उक्त भूमि में या उस पर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा खनन किया गया हो, खड़े किये गये हों, स्थापित किये गये हों या रखे गये हों और जिन्हें पट्टेदार, राज्य सरकार को देने के लिये बाध्य नहीं है/हैं और जिन्हें राज्य सरकार खरीदने के लिये इच्छुक न हो।

(3) **पट्टे की समाप्ति के पश्चात तीन मास के अधिक समय तक छोड़ी गई सम्पत्ति की जब्ती :**

यदि उक्त अवधि की समाप्ति या उसके शीघ्रतर समाप्ति के पश्चात, तीन कलेण्डर मास के अन्त में, उक्त भूमि में या उस पर कोई इंजन, मशीन, संयत्र, भवन, संरचनायें तथा अन्य निर्माण कार्य, परिनिर्माण और अस्थायी आवास–स्थान या अन्य सम्पत्ति रहे तो उनके संबंध में, यदि वे ऐसे लिखित नोटिस देने के पश्चात जिसमें जिला अधिकारी द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों से उन्हें हटाने की अपेक्षा की गई हो, एक कलेण्डर मास के भीतर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा न हटाये जायं, यह समझा जायेगा कि वे राज्य सरकार की सम्पत्ति हो गई है और किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना या उसके संबंध में पट्टेदार/पट्टेदारों को कोई हिसाब दिये बिना, उनकी बिक्री करके निस्तारण ऐसे रीति से किया जा सकता है, जो राज्य सरकार उचित समझे।

(4) **ठेकेदार के माध्यम से स्वामित्व और अरिहार्य भाटक की वसूली करना :**

यदि राज्य सरकार इस प्रकार निदेश दे, तो पट्टेदार इस उपस्थापन–पत्र द्वारा संरक्षित

स्वामित्वों और अरिहार्य भाटक का भुगतान स्वामित्व की वसूली करने वाले ठेकेदार को राज्य सरकार द्वारा नियम रीति से ऐसी अवधियों में करेगा, जो विनिर्दिष्ट की जायें।

(5) नोटिसें :

इस उपस्थान पत्र द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को दिए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक नोटिस उक्त भूमि पर रहने वाले ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में दिया जाएगा, जिसे पट्टेदार ऐसी नोटिस प्राप्त करने के लिए नियुक्त करे/करें और यदि इस प्रकार कोई नियुक्ति न की गयी हो ऐसी प्रत्येक नोटिस पट्टेदार/पट्टेदारों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा पट्टे में उसके/उनके अभिलिखित पते पर या भारत में ऐसे अन्य पते पर भेजी जाएगी, जिस पट्टेदार समय–समय पर लिखित रूप में राज्य सरकार को नोटिसों को प्राप्त करने के लिए दे/दें और प्रत्येक ऐसी तामील पट्टेदार/पट्टेदारों पर उचित और वैध तामील समझी जाएगी और उसके सम्बन्ध में उसके/उनके द्वारा न तो आपत्ति की जाएगी और न उसे चुनौती दी जाएगी।

(6) स्टाम्प शुल्क :

स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्टान्तरित भूमि से पूर्वानुमानित स्वामित्व प्रतिवर्ष..... रुपये हैं।

इसके साक्ष्य के रूप में उपस्थापन पत्र– एतद्धीन आयी हुई रीति से ऊपर उल्लिखित दिन और वर्ष को निष्पादित किया गया है।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिए ओर उनकी ओर से––

1–

2–

3–

की उपस्थिति में ..... द्वारा हस्ताक्षरित

1–

2–

की उपस्थिति में पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा हस्ताक्षरित।

तथा जिसमें ..... क्षेत्रफल है, और जिसका चित्रण इसमें संलग्न नक्शे में किया गया और उसे रंजित (coloured) किया गया है और जिसकी सीमायें निम्नलिखित हैं :

उत्तर में .....
दक्षिण में .....
पूर्व में .....
तथा
पश्चिम में .....
और जिस एतद्द्वारा "उक्त भू–खण्ड" कहा गया है।

भाग–2

इस पट्टे द्वारा संरक्षित स्वामित्व

स्वामित्व की धनराशि : (1) पट्टेदार, इस पट्टे की अवधि में राज्य सरकार को पट्टे पर दिए गये क्षेत्र में उसके/उनके द्वारा हटाये गये सभी ..... के सम्बन्ध में निम्नलिखित स्वामित्व का भुगतान करेगा/करेगें .....

किश्तों की संख्या	धनराशि	दिनांक, जब किश्त दिया जाएगा
1	2	3

स्वामित्व कटौती आदि से मुक्त होगा : (2) (इस भाग में उल्लिखित स्वामित्व की किश्तों का भुगतान बिना किसी कटौतियों के राज्य सरकार को ..... पर सरकारी कोषागार में जमा करके किया जाएगा तथा चालान की एक प्रति जिला अधिकारी को भेजी जाएगी।

स्वामित्वों का समय पर भुगतान न किया जाये तो कार्यवाही की प्रक्रिया : (3) यदि इस उपस्थापन–पत्र (presents) की शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन राज्य सरकार को देय स्वामित्व की किसी किश्त का भुगतान पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा नियत समय के भीतर न किया जाये तो उसे ऐसे अधिकारी के, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशिष्ट आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट करे, प्रमाण–पत्र पर उसी रीति से वसूल की जा सकती है जैसे मालगुजारी का बकाया।

भाग–3

सामान्य उपबन्ध

नियमों प्रसंविदाओं और शर्तों को भंग करने पर पट्टा समाप्त किया जा सकता है : (1) यदि पट्टेदार उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के किसी नियम या इस पट्टे की किसी प्रसंविदा तथा किसी शर्त को भंग करें तो राज्य सरकार पट्टा समाप्त कर सकती है और प्रतिभूति जमा की पूर्णतः या अंशतः जब्त

कर सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पट्टा समाप्त किये जाने के पूर्व पट्टेदार/पट्टेदारों को उन्हें भंग करने का स्पष्टीकरण देने के लिए यथोचित अवसर दिया जाएगा।

पट्टेदार पट्टे की समाप्ति पर अपनी सम्पत्तियों को हटायेगा/हटायेगें :– (2) पट्टेदार इस उपस्थापन–पत्र के आधार पर देय स्वामित्व का पहले भुगतान और उन्मोचन कर चुकने पर उक्त अवधि की समाप्ति पर उसकी शीघ्रतर समाप्ति पर या तत्पश्चात् तीन कलेण्डर मास के भीतर (जबतक कि पट्टा इस भाग के खण्ड–1 के अधीन समाप्त न कर दिया जाए और उस दशा में किसी समय ऐसी समाप्ति के पश्चात कम से कम एक कलेण्डर मास में) और अधिक से अधिक तीन कलेन्डर मास में अपने लाभ के लिए ऐसे सभी या किसी मशीन, संयंत्र, भवन, संरचनायें और अन्य निर्माण कार्य और अस्थाई आवास स्थानों (conveniences) को उखाड़ सकता है/सकते हैं और हटा सकता है/सकते हैं, जो उक्त भूमि में या उस पर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा रखे गये हों।

पट्टे की समाप्ति के पश्चात तीन मास से अधिक समय ते छोड़ी गयी सम्पत्ति की जब्ती :– (3) यदि उक्त अवधि की समाप्ति या उसके शीघ्रतर समाप्ति के प्रभावी होने के पश्चात् तीन कलेण्डर मास के अन्त में उक्त भूमि में या उस पर कोई इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन, संरचनायें तथा अन्य निर्माण कार्य और अस्थाई आवास स्थान या अन्य सम्पत्ति रहे तो उनके सम्बन्ध में, यदि वे ऐसे लिखित नोटिस देने के पश्चात् जिसमें जिला अधिकारी द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों से उन्हें हटाने की अपेक्षा की गई हो एक कलेन्डर मास के भीतर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा न उठाये जायें, तो यह समझा जाएगा कि वे राज्य सरकार की सम्पत्ति हो गई है और किसी प्रतिकर का भुगतान किए बिना या उसके सम्बन्ध में पट्टेदार/पट्टेदारों को कोई हिसाब दिए बिना उनकी बिक्री या निस्तारण ऐसी रीति से किया जा सकता है जो राज्य सरकार उचित समझें।

नोटिस :– (4) इस उपस्थापन–पत्र द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को दिए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक नोटिस उक्त भूमि पर रहने वाले ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप से दिया जाएगा, जिस पट्टेदार ऐसे नोटिस प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए नियुक्त करे/करें, और यदि इस प्रकार कोई नियुक्ति न की गयी हो तो ऐसा प्रत्येक नोटिस पट्टेदार/पट्टेदारों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा इस पट्टे में उसके/उनके अभिलिखित पते पर या भारत में ऐसे पते पर भेजा जाएगा जिसे पट्टेदार समय–समय पर लिखित रूप में राज्य सरकार को नोटिसों की प्राप्त करने के लिए दे/दें और प्रत्येक ऐसी तामील पट्टेदार/पट्टेदारों पर उचित तथा वैध तामील समझी जाएगी और उसके सम्बन्ध में उसके/उनके द्वारा न तो आपत्ति की जाएगी और न उसे उपाहूत (challenged) किया जाएगा।

स्टाम्प शुल्क : (5) स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्टान्तरित भूमि से प्रत्याशित स्वामित्व प्रति वर्ष .....रू. है।

इनके साक्ष्य के रूप पमें यह उपस्थापनपत्र एतद्धीन आई हुई रीति से ऊपर उल्लिखित दिनांक और वर्ष को निष्पादित किया गया है।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से

1–

2–

3–

1–

2–

की उपस्थिति में पट्टेदार द्वारा हस्ताक्षरित।

प्रपत्र–एम.एम. 7 (संशोधन–17)

नीलाम/निविदा/नीलाम एवं निविदा पट्टा का रजिस्टर– (नियम–30)

1– क्रम संख्या .....

2– भूमि का विवरण .....

(क) तहसील .....

(ख) परगना .....

(ग) ग्राम .....

(घ) गाटा (प्लाट) संख्या .....

(ङ) क्षेत्रफल .....

3– भूमि का कुल क्षेत्रफल .....

4– खनिज या खनिजों का नाम .....

5– पट्टेदार का नाम .....

6– पट्टेदार का पूरा पता .....

7– पट्टा प्रारम्भ होने का दिनांक .....

8– पट्टा अवसान होने का दिनांक .....

9– स्वामित्व की कुल धनराशि .....

10– प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर .....

11– अभियुक्ति .....

प्रपत्र–एम.एम. 8

खनन अनुज्ञा–पत्र के लिए प्रार्थना–पत्र (नियम–52)

(तीन प्रतियों में देना है)

स्थान ..... दिनांक .....19.....

समय ..... बजे

दिनांक ..... को प्राप्त हुआ

पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के अधीन खनन अनुज्ञा–पत्र दिया जाये।

(2) इस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में देय शुल्क .....रु. जमा कर दिया गया है।

(3) अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं :–

(1) प्रार्थी का नाम और पूरा पता .....

(2) क्या प्रार्थी अशासकीय व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/ फर्म या संघ है .....

(3) यदि प्रार्थी .....

(क) व्यक्ति विशेष है तो उसकी राष्ट्रीकता .....

(ख) निजी कम्पनी है, तो कम्पनी के सभी सदस्यों की राष्ट्रियता और उसके निबंधन का स्थान

(ग) सार्वजनिक कम्पनी है तो निदेशकों की राष्ट्रियता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धृत अंश पूंजी का प्रतिशत तथा उसके निगमन का स्थान .....

(घ) फर्म या संघ है तो फर्म के सभी भागीदारों या संघ के सभी सदस्यों की राष्ट्रियता .....

(4) प्रार्थी का व्यवसाय या उसके कारोबार का प्रकार .....

(5) खनिज, जिसे/जिन्हें प्रार्थी खनन करना चाहता हो :

(क) खनिज का नाम .....

प्रपत्र एम. एम. 4

खनन पट्टों का रजिस्टर– (नियम 20)

1– क्रम संख्या .....

2– पट्टेदार का नाम .....

3– पट्टेदार का निवास स्थान और पूरा पता .....

4– प्रार्थना–पत्र का दिनांक .....

5– (क) पट्टा देने की आज्ञा की संख्या और दिनांक .....

(ख) खनन पट्टे के निष्पादन का दिनांक .....

6– भूमि का ब्यौरा .....

(क) तहसील .....

(ख) परगना .....

(ग) ग्राम .....

(घ) प्लाट नं. .....

(ड) क्षेत्रफल .....

7– कुल क्षेत्र, जिसके लिए पट्टा दिया गया हो .....

8– खनिज जिसके/जिनके लिए पट्टा दिया गया हो .....

9– निश्चित अपरिहार्य भाटक .....

(क) खनिज .....

(ख) प्रति एकड़, अपरिहार्य भाटक .....

(ग) कुल अपरिहार्य भाटक .....

10– पट्टा प्रारम्भ होने का दिनांक .....

11– अवधि, जिसके लिए पट्टा दिया गया हो .....

12– प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर .....

13– ऐसे परिवर्तन के ब्यौरों के साथ परिवर्तन का दिनांक, जो खनन पट्टे धारक के नाम, राष्ट्रिकता या अन्य विवरण के सम्बन्ध में हो .....

14– पट्टे का परित्याग (relinquishment) या समाप्ति का दिनांक .....

15– प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर .....

16– अभ्युक्तियाँ .....

प्रपत्र–– एम.एम. 5

(संशोधन– 17)

नीलाम पट्टों के लिए विज्ञाप्ति क्षेत्रों का रजिस्टर– (नियम 25)

नीलाम/निविदा/नीलाम एवं निविदा पट्टे के लिए घोषित क्षेत्रों का रजिस्टर :

1– क्रम संख्या .....

2– क्षेत्र या क्षेत्रों की घोषणों का आदेश संख्या .....

3– घोषणा का दिनांक .....

4– तहसील .....

5– परगना (प्लाट) संख्या.....

6– ग्राम .....

7– गाटा (प्लाट) संख्या.....

8– क्षेत्रफल .....

9– प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर .....

10– नीलाम/निविदा/नीलाम एवं निविदा द्वारा पट्टा पर देने से वापस लेना .....

(क) आदेश संख्या .....

(ख) आदेश का दिनांक .....

(ग) प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर .....

प्रपत्र– एम.एम. 6

खनन के लिए नीलाम पट्टे का आदर्श प्रपत्र – (नियम 29)

यह अनुबन्ध आज .....दिनांक .....19 .....को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे ''राज्य सरकार'' कहा गया है, जिस पदावधि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिती भी समझे जायेगें), एक पक्ष और .....

.....

.....

यदि पट्देदार व्यक्ति विशेष हो : (व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) (जिस आगे ''पट्टेदार'' कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेगें) दूसरा पक्ष .....

.....

.....

यदि पट्टेदार एक से अधिक हों :– (व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) तथा .....

.....

.....(व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) (जिन्हें आगे ''पटटेदार'' कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उनके अपने–अपने दायाद, निष्पादक प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेगें)

.....

.....

यदि पट्टेदार निबद्ध फर्म हो : (भागीदार का नाम और पता) आत्मज .....

निवासी.....आत्मज.....निवासी .....

जो सभी इण्डियन पार्टनरशिप एक्त, 1932 (एक्ट संख्या 9, 1932) के अधीन निबन्धित फर्म .....

(फर्म का नाम) के नाम और रूप के अधीन भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं और जिसका निबद्ध कार्यालय... ..... नगर में .....पर है, (जिन्हें आगे ''लाइसेन्सधारी'' कहा गया है), (जिस पदावलि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उक्त समस्त भागीदार, उसके अपने–अपने दायाद, निष्पादक तथा विधिक प्रतिनिधि भी समझे जायेगें)

यदि पट्टेदार निबद्ध कम्पनी हो : .....

(कम्पनी का नाम) जो ..... (एक्ट, जिसके अधीन निगमित है) के अधीन निबद्ध कम्पनी है और जिसका कार्यालय ..... में है (पता) निबद्ध जिसको आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत, यादि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उत्तराधिकारी भी समझे जायगें) दूसरे पक्ष के बीच किया गया।

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) के अनुसार किये गऐ नीलाम में पट्टेदार/पट्टेदारों को बोली का .....रु. राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे के लिए ..... वर्ष/वर्षों के निमित्त एतद्धीन लिखित अनुसूची के भाग–1 में वर्णित भूमि क सम्बन्ध में ..... एकड़ों के लिए स्वीकार कर लिया गया है और उसने/उन्होंने प्रतिभूमि स्वरूप .....रुपये की धनराशि राज्य सरकार के पास जमा कर दी है।

यह इसका साक्ष्य है कि इस उपस्थापन–पत्र और निम्नलिखित अनुसूची द्वारा रक्षित और उसमें दिए गये और पट्टेदार/ पट्टेदारों की ओर से भुगतान किए जाने वाले, पालन तथा सम्पादन किए जाने वाले स्वामित्वों, प्रसंविदाओं तथा अनुबन्धों के प्रतिफल में राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को निम्नलिखित प्रदान ओर पट्टान्तरित करता है।

.....(यहां खनिज/खनिजों का उल्लेख किया जाये) जिन्हें आगे और अभिदिष्ट अनुसूची में "उक्त" "खनिज" कहा गया है), की समस्त खन, तल्प (beds) संदर सीम्स (veins seams)] जो उक्त अनुसूची के भाग–1 में अभिदिष्ट भूमि में या उसके नीचे स्थित हो, के साथ, जिसके सम्बन्ध में उन प्रतिबन्धों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए प्रयोग या उपयोग किया जाएगा जो ऐसी स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग तथा उपयोग करने के बारे में हों ..... सिवाय इसके और इसमें से आरक्षित उक्त नियमावली में उल्लिखित स्वतंत्रताओं, अधिकार तथा विशेषाधिकार राज्य सरकार में पट्टान्तरित हो जायेगें। दिनांक ..... 19 ..... से ..... वर्ष की आगामी अवधि के लिए पट्टेदार/पट्टेदारों की एतद्द्वारा दिए गए और पदान्तरित ऐसे भू–गृहादि धारण करना, जिनसे खनिज निकलने लगे और राज्य सरकार को उक्त अनुसूची के भाग–2 में उल्लिखित स्वामित्वों का भुगतान उसमें निर्दिष्ट भिन्न–भिन्न समयों पर होने लगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा उक्त भाग के उपबन्धों के अधीन हो और पट्टेदार एतद्द्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है/ करते हैं, और राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों के साथ प्रसंविदा करती है, जैसा कि उक्त निमयावली में अभिव्यक्ति है ओर एतद्द्वारा इसके साथ दिए गए पक्षों के बीच परस्पर सहमत हुआ है और जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग–3 में अभिव्यक्ति है।

(ऊपर अभिदिष्ट अनुसूची)

भाग–1

इस पट्टे का क्षेत्र

पट्टे का स्थान ओर क्षेत्र : वह समस्त भू–खण्ड, जो जिला ..... की तहसील ..... और थाना ..... के अन्तर्गत परगना ..... में स्थान .... पर (क्षेत्र तथा क्षेत्रों का विवरण) स्थित है और उसकी भू–कर सर्वेक्षण संख्यायें ..... हैं

(ख) जितना खनन किया जाना हो उसकी कुल मात्रा .....

(6) अवधि जिसके लिए खनन अनुज्ञा–पत्र अपेक्षित है

(7) उस क्षेत्र का ब्यौरा, जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञा–पत्र अपेक्षित है :

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	क्या रिक्त है या किसी द्वारा धृत है और यदि धृत है तो उसके ब्यौरे

ग्राम : क्षेत्रों की दशा में ग्राम का नाम, और यदि ग्राम के केवल एक भाग के लिये प्रार्थना–पत्र दिया गया हो, तो खसरा (ग्राम) संख्या, प्रत्येक ऐसे खेत या उसके भाग का, जिसके लिये प्रार्थना–पत्र दिया गया हो, हेक्टर में क्षेत्रफल .....

(8) वन क्षेत्रों की दशा, में कार्यवृत्ति (वार्किंग सर्किल) का नाम, वनराजि (range) और पातन श्रेणियों (felling series) यदि कोई हों, वन में ज्ञात और सीमांकित क्षेत्रों के सम्बन्ध में क्षेत्र का विवरण तथा एकड़ों में विस्तार (लगभग)।

(9) भू–कर सर्वेक्षण के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की दशा में, धरातल मानचित्र में निश्चित स्थानों के हवाले से क्षेत्र के प्रारम्भिक स्थल का विवरण और सीमा–रेखा की रेखीय दूरियां और उसके धरातल मानचित्र में दिए गये क्षेत्र के तद्नुरूप यथासम्भव ठीक–ठीक दिक्स्थिति (4" = 1 मील पैमाना)।

(10) रीति जिसके अनुसार संग्रह किय गए खनिज का उपयोग किया जाएगा।

(11) प्रार्थी के वित्तीय संसाधन।

(12) ऊपर 2 पर उल्लिखित धनराशि के लिए संलग्न रसीद वाले कोषागार चालान आदि के विवरण ।

(13) कोई अन्य विवरण या रेखा मानचित्र जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत करना चाहें।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दिए गये विवरण ठीक हैं और मैं/हम कोई अन्य ब्यौरे देने को तैयार हूं/हैं, जो आपके द्वारा अपेक्षित हैं।

स्थान .....

दिनांक .....

भवदीय,

प्रार्थी के हस्ताक्षर

अवधेय :– यदि प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी के प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जायें तो अभिकरण पत्र (power of Attorney) संलग्न किया जाना चाहिये।

प्रपत्र–एम.एम 9

खनन अनुज्ञा–पत्रों के लिए प्रार्थना – पत्र का रजिस्टर– (नियम–56)

(1) क्रम संख्या .....

(2) खनन–अनुज्ञा–पत्र के लिए प्रार्थना–पत्र का दिनांक .....

(3) खनिज का नाम .....

(4) जिस क्षेत्र के लिए प्रार्थना–पत्र दिया गया हो :

(क) तहसील .....

(ख) परगना .....

(ग) ग्राम .....

(घ) प्लाट संख्या .....

(ड.) क्षेत्रफल .....

(5) प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर .....

(6) अनुज्ञा–पत्र न देने या देने की आज्ञा का दिनांक
और प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर .....

(7) यदि अनुज्ञा–पत्र दिया जाये तो उसके ब्यौरे :

(क) दिया गया कुल क्षेत्र :

(ख) अनुज्ञप्त खनिज की कुल मात्रा :

(ग) अवधि जिसके लिए दिया गया हो

(घ) कुल स्वामित्व की धनराशि

(ड) चालान संख्या सहित स्वामित्व जमा करने का दिनांक :

(च) अनुज्ञा–पत्र जारी करने का दिनांक :

(छ) अनुज्ञा–पत्र की समाप्ति का दिनांक :

(ज) प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर :

प्रपत्र – एम.एम. 10
खनन अनुज्ञा पत्र का आदर्श प्रपत्र (नियम 55)

श्री/सर्वश्री ..... को उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम 52 के अधीन ग्राम ..... में ..... (खनिज) का खनन करने के लिये अनुज्ञा–पत्र देने के निमित्त प्रार्थना–पत्र दिया है और 400 (चार सौ) रुपये का प्रार्थना–पत्र शुल्क तथा ..... रुपये प्रतिटन/घन फुट की दर से स्वामित्व का भी ..... रुपया अग्रिम भुगतान कर दिया है। एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित भूमि से ..... टन/घन फुट खनिज को, आज से ..... मास की अवधि के भीतर, निमनलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये हटाने की अनुज्ञा दी जाती है।

भूमि के ब्यौरे

तहसील	परगना	ग्राम	गाटा (प्लाट) संख्या	एकड़ों में क्षेत्रफल
1	2	3	4	5

स्थान :

दिनांक :

अनुज्ञा–पत्र देने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर और उसका पदनाम।

शर्तें :

(1) अनुज्ञा–पत्र धारक, राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावे को उसके उत्पन्न होते ही स्वयं निश्चित करेगा।

(2) अनुज्ञा–पत्र धारक ऐसी रीति से खनिज निकालेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू–गृहादि, सार्वजनिक भू–स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति पर कोई बाधा न पड़े, या उसे क्षति न पहुंचे।

(3) अनुज्ञा--पत्र धारक संग्रह किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्त प्राधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।

दिनांक:

अनुज्ञा–पत्र देने वाले अधिकारी के
हस्ताक्षर और उसका पदनाम।

प्रपत्र – एम.एम. 11

पास – प्रपत्र – (नियम – 70) (1)

(तीन प्रतियों में)

दिनांक ..... समय .....

(1) पट्टा या अनुज्ञा–पत्र धारक का नाम .....

(2) खान का स्थल .....

(3) खनिज का नाम .....

(4) खनिज की मात्रा .....

(5) गंतव्य स्थान .....

(6) परिवहन साधनों का विवरण (यदि मोटर गाड़ी हो तो उसकी निबन्धन संख्या लिखी जाये) .....

(7) पारेषण के प्रभारी व्यक्ति का पूरा नाम और पता : .....

(8) पारेषण के प्रभारी व्यक्ति के पूरे हस्ताक्षर .....

(9) पास जारी करने वाले के पूरे हस्ताक्षर.....

टिप्पणी :–

(1) प्रतिपर्ण खान में रख लिया जायेगा।

(2) पारेषण के प्रभारी व्यक्ति को दो अन्य पास दिये जायेंगे, जिसमें से एक पास को जांच करने वाले सरकारी सेवक द्वारा ले लिया जायेगा।

प्रपत्र – एम.एम. 12

त्रैमासिक विवरणी

(नियम 73 देखिये)

सेवा में,

जिला अधिकारी

.....

..... से ..... माह/वर्ष की विवरणी :–

(1) पट्टेदार/पट्टेदारों का/के नाम/पते .....

(2) पट्टे का विवरण ..... खनिज का नाम .....

(3) पट्टे की अवधि.....क्षेत्रफल ..... एकड़ों में, ग्राम ..... तहसील ..... जिला .....

(4) नियोजित श्रमिकों की संख्या ..... कुशल .....अकुशल.....

महीनों का नाम	खनिज का नाम	महीना/त्रैमास में उत्पादन	महीना/त्रैमास में भेजा गया परिमाण	स्टाक में अवशेष
1	2	3	4	5

स्वामित्व और देय स्वामित्व की नियत दर	त्रैमास में भुगतान किया गया स्वामित्व	स्वामित्व का अवशेष यदि कोई हो	अभ्युक्ति
6	7	8	9

(5) इमारती पत्थर (स्टोन) की खान की दशा में, खनन योजना के अनुसार कार्य करने की रीति का संक्षिप्त उल्लेख किया जाना चाहिये और कार्य–प्रणाली की एक अद्यतन प्रति संलग्न की जानी चाहिये।

स्थान .....

पट्टेदार/पट्टेदारों या उसके/उनके अभिकर्ता

दिनांक .....

के हस्ताक्षर और मोहर

प्रतिलिपि :–

(1) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।

(2) भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रपत्र–एम.एम. 13

अपील या पुनरीक्षण के लिए प्रार्थना–पत्र का आदर्श प्रपत्र (नियम 77, 78 और 79)

(1) आवेदन करने वाले व्यक्ति/व्यक्ति विशेष/फर्म या कम्पनी का नाम, पता .....

(2) व्यक्ति/व्यक्ति विशेष/फर्म या कम्पनी का व्यवसाय .....

(3) अधिकारी के आदेश की संख्या और दिनांक, जिसके विरुद्ध, ...
अपील/पुनरीक्षण दायर किया जाय, (प्रतिलिपि संलग्न की जाय) .....

(4) खनिज/खनिजों का नाम, जिसके/जिनके लिए अपील/पुनरीक्षण दायर किया जाय .....

(5) क्षेत्र का विवरण जिसके लिए अपील/पुनरीक्षण आवेदन पत्र दायर किया जा रहा है :–

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	दावाकृत क्षेत्र का योग
1	2	3	4	5

(क्षेत्र/क्षेत्रों का, मानचित्र संलग्न किया जाएगा)

(6) क्या उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम 77 के उपनियम (4) में विहित रीति में से 500.00 रुपये का प्रार्थना पत्र शुल्क जमा किया गया है?

(7) क्या अधिकारी द्वारा दिये गए आदेश को संसूचित किया जाने के दिनांक के 60 दिन या 90 दिन के भीतर प्रार्थना पत्र दिया गया है।

(8) पक्ष/पक्षकारों के, जो बनाये गये हों, यदि कोई हों, का/के नाम और पूरा पता .....
.....

(9) याचिका, की प्रतियों की संख्या जो संलग्न की गयी हों (प्रत्येक बनाये गये पक्षकार/पक्षकारों के लिए अतिरिक्त संख्या में प्रतियों को संलग्न किया जाना चाहिये) :–

(10) अपील/पुनरीक्षण के आधार :–

(क) संक्षिप्त तथ्य,

(ख) आधार,

(ग) प्रार्थना,

(11) यदि अपील/पुनरीक्षण का प्रार्थना पत्र अभिकरण पत्र धारक (The holder of power of Altorney) द्वारा दिया गया है तो अभिकरण पत्र संलग्न किया जाएगा।

स्थान .....

भवदीय

दिनांक .....

प्रार्थी के हस्ताक्षर

यदि कोई पक्षकार नहीं बनाया गया है, तो प्रार्थना पत्र तीन प्रतियों में दिया जाएगा।

यदि इनके अतिरिक्त कोई हो, तो बनाये गये प्रत्येक पक्षकार के लिए एक अतिरिक्त प्रति संलग्न की जाएगी।